विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-02/2020

श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, श्री शांति लाल शाह लिज्जत भवन, राईट टाउन, जबलपुर (म0प्र0)	–	**आवेदिका/अपीलार्थी**

विरूद्ध

अधीक्षण यंत्री (शहर) वृत्त, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (म0प्र0)	–	**अनावेदक क्र. 1**
मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य), मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (म0प्र0)	–	**अनावेदक क्र. 2**

आदेश
(दिनांक 28.12.2020 को पारित)

01. श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, राईट टाउन, जबलपुर ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर (संक्षेप में – फोरम) के आदेश दिनांक 31.12.2019 से व्यथित होकर अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक निरंक से विद्युत लोकपाल के समक्ष इस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जो दिनांक 24.01.2020 को लोकपाल कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–02/2020 पर दर्ज की गई।

02. प्रस्तुत अपील में आवेदिका/अपीलार्थी ने अपनी अपील में फोरम के समक्ष प्रस्तुत अपनी शिकायत की फोरम द्वारा की गई सुनवाईयों में उभयपक्षों की ओर से कथित रूप से दिये गए साक्ष्यों/तर्कों/अभिलेखों तथा फोरम द्वारा की गई कार्यवाहियों के विवरण सुचित करते हुए निम्नानुसार प्रस्तुति दी गई है :–

Being aggrieved by the order no. 2223-24 dated 31/12/19 (received on 5/1/2020) passed by ECGRF Jabalpur in the case no. 3680/2019, the Appellant/complainant humbly submits representation to the Hon Authority in accordance with the provisions in the clause no. 3.36 of MPERC (Establishment of forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of consumers) Regulation 2009 Rev I dated 20/8/2009 as under;

FACTS OF THE CASE

1/ That the Applicant is sanchalika of Shri Mahila Grih udyog Lijjat Papad Jabalpur constituted for uplifting of the needy women by women and recognized by Khadi & village Industries commission (KVIC). The Udyog does not get any financial assistance from Govt/KYIC.

2/ That as the udyog entered in the field of making other food items like daliya, khichadi, flour,multi grain flour/khichdi,besan badi etc, To do so it had to install electric motors in view of load demand at it's fatory at Richai. Adhartal, Jabalpur.

3/ That the Udyog /unit took a High Tension connection of 120 KVA at 11 KV in Aug 2011 in her premises at Richai , adhartal, Jabalpur In this connection an HT agreement was executed between the Applicant and the then NA1 1, on 24/8/2011 a copy of which is filed herewith as (page no. .As mentioned in the agreement the HV tariff 3.1 was made applicable to our unit.

4/ That due to increasing electricity bills the Applicant has installed one 100 Kw Solar plant seeking financial assistance through subsidy from GOI and seeking permission from Ns was commissioned on on 4th Jan 19 with the expectation that electricity bill will be reduced. Also we had Restricted/reduced our production with lowering of the MD as submitted hereunder,

Month	MD in kva
jan 19	86
Ferb 19	75
March 19	79
April 19	73
May 19	87
June 19	92
July 19	66

5/ That as Applicant's MD recorded since last six months was always less then 100 Kva however we were billed fixed charges for billing demand of 108 Kva. In the circumstances the Applicant requested the Non Applicant1 vide letter dated 28/8/2019 to reduce it's contract demand from 120 to 100 Kva copy of he letter filed herewith (page)

6/ That our Advocate and herself were constantly reminding the NA1 by phone and personal visits to his office. Getting no reply the Applicant visited the office of the NA1 with Advocate on 24/9/2019 and on query vide letter dated 24/9/19 was given to her a copy of which is filed herewith. (page)

7/ That the Applicant filed the necessary details vide letter dated 26/9/19 to the NA1, a copy of which is filed herewith. (page)

8/ That after availing leave NA1 joined office on 16/10/2019.On getting this information the same day the Advocate visited the office of the NA1 and again requested him to kindly accord approval for ewduction in CD as applied by the Appellant. Advocate read The provisions of the Electricity Supply code 2013 from clause 7.10 to clause 7.16 and it was submitted that none of the conditions mentioned in the supply code 2013 is violated and the request in reduction of contract demand is in accordance with the provisions of the Electricity supply code 2013 and in case of no reply/reduction clause 7.12 of Electricity Supply code regarding deemed reduction will be applicable so please take notice.

9/ That having been convinced on the explanation and arguments submitted by the Advocate of the Applicant on 17/10/2019, the NA1 accepted the request for execution of supplementary agreement and permitted the Applicant to come with common seal, adhesive stamp of Rs. 500/ on 18/10/2019 around 4 pm.

10/ That on intimation from our Advocate I, the Applicant when visited the office of the NA1 with the Advocate on appointed time on 18/10/2019, the NA1 was not present in his office and it was intimated that he is at Vijaynagar Dn. On contacting the NA1 by the Advocate on mobile, the AN1 replied that as per opinion of the CGM office, this reduction can not be done. On asking the reasons the NA1 simply stated that after receipt of reply from the NA2 , the same will be provided .In the circumstances the Advocate vide letter dated 18/10/2019 requested the NA1 to intimate the reasons for withholding the application since 26/8/2019 and the reasons and

the basis of prohibiting such reduction. Copy of the letter dated 18/10/2019 is filed herewith. (page)

11/ in the circumstances the Applicant filed a complaint before the ECGRF Jabalpur of Madhya Pradesh Purva Kshetra vidyut vitran co. Jabalpur, mpplvvcl Jabalpur on 21/10/19 requesting as under;

i/ to direct the NA1 to pass order for deemed reduction in contract demand as per clause 7.12 of Electricity Supply code 2013 and execute Supplementary agreement so that billing be started/revised on the basis of contract demand of 100 Kva.

Ii/ To refund the excess amount recovered on account of non reduction with interest at the Bank rate.

Iii/ As the NA1 and NA2 have violated the provisions of the Electricity Supply code 2013 intentionally without assigning any reasons which amounts to violation of the provisions of the Electricity Act 2003 and the Regulations notified therein, the Forum may consider to recommend the Hon MPERC Bhopal for initiating action against the Non Applicants in accordance with the provisions of Section 142 of the Electricity Act 2003 as deem appropriate by the Hon Forum.

Copy of the complaint along with enclosures is filed herewith as Annx I.

12/ That the ECGRF Jabalpur vide letter no. 2724-25 dated 26/10/19 while forwarding copy of our complaint to NAs noticed them to be present with the written reply on the date of hearing fixed for 13/11/19 and submit their side. the complaint was numbered as 3680/2019 as stated in the bottom of the letter and it was also intimated to give a copy of the reply to the Applicant in advance before the date of hearing. Copy of the said notice is filed herewith as Annx II.

13/ That in the meanwhile the Applicant received bill for the month of Oct 2019 where despite input units being 13359, the TMM of 2699 units was charged in the Bill. The Applicant requested NA1 to examine and correct the bill vide letter dated 11/11/19(encls page) and noted that in the past bills TMM has been charged on Net units instead of Input units which in fact was consumption from grid.

Getting no response from NA1 the Appellant filed a Rejoinder dated 2/11/19 before the Forum in 3 copies claiming refund of Rs/1,58,143/ a copy of which is filed herewith as Annx III.

14/The ECGRF Jabalpur vide notice no. 1769-70 dated 4/11/19 intimated the NAs that the hearing fixed on 13/11/19 is proponed and now fixed for 6/11/19.copy of , the said notice is filed herewith as Annx IV. The Forum however in the notice has changed the s.no. of the NAs imp leaded in the complaint dated 21/10/19 NA1 was made as R2 And NA 2 as Respondent no. 1 and did not mention complaint number on the notice top leading to several confusion .

15/ On the date of hearing on 6/11/19 Applicant's representative Smt Sagita kharpate and her Advocate Shri Khandelwal attended the hearing. Nobody was present from NAs. Applicants' Advocate submitted his vakalatnmaa and submitted Applicant's grievance that the NA1 is not reducing his contract demand from 120 to 100 Kva and is also not assigning any reasons for the same since 26/8/2019 despite there being

specific provision in clause no. 7.12 to 7.16 of the Electricity Supply code 2013. The grievance was heard by full forum chairman and two Members.

After some time a AE from NA1 came with application for adjournment of hearing and the date was extended to 13/11/19 with intimation to both the NAs and taking signatures of Applicant. It was however noted that the Forum has not recorded proceeding of 6/11/19 on the order sheet and simply took my signatures, The Applicant objected and requested to record the proceeding before obtaining signatures of Applicant/Non Applicant.

16/ The Applicant vide letter dated 8/11/19 intimated the status of the case to MD MPPKVVCL Jabalpur and requested to direct the NAs to be present during the hearing before ECGRF Jabalpur on 13/11/19 along with reply copy of which is filed herewith as Annx V.

17/ That during hearing before Forum on 13/11/19, Applicant's representative along with Advocate were present at the appointed time. One shri Deviaditya Dubey Manager o/o CGM Commercial mppkvvcl Jabalpur came for haring. The Forum allowed him to attend hearing without asking for authority and no copy of authority/OIC Order was provided to the Applicant. When Applicant enquired from Shri Dubey about reply he stated that the reply will be given after seeing the reply of NA1. Some time after NA1 came and filed reply dated 13/11/2019 on behalf of the NAs which was provided to the Applicant which is filed herewith as Annx VI with with a copy of letter no.3265 dated 3/10/19 addressed to Applicant's factory address. The applicant's representative denied receipt of letter no. 3265 dated 3/10/19 stated to be sent by NA1. When the Applicant' advocate asked NA1 to produce any evidence of serving the said letter to the Applicant, the NA1 remained silent. The NA1 reply dated 13/11/19 summarily stated that it is not possible to reduce the CD of the Applicant. When enquired on the basis of which rules/Regulations he has come to the conclusion that the CD can not be reduced, when the Electricity supply code from clause 7.12 to 7.16 provides procedure for reduction of contract demand. .the NAs did not state anything and kept quiet. . The Applicant's Advocate repeatedly asked the NA1 to show any rule/regulation according to which the CD can not be less then the installed capacity of the solar plant. On this also further they did not state anything. Surprisingly the Forum did not ask anything from NAs.

18/ The Applicant submitted and orally contended grounds for reduction in CD as under;

1/ GOMP Incentive policy 2005 for encouraging generation of electricity from renewable sources of energy in M.P. notification dated 17/10/2006, clause 14 of which provides as under;

“14/कांट्रैक्ट डिमांड मे कमी - ऐसी ओध्योंगिक इकाईयो जो म॰प्र॰ राज्य विद्युत मण्डल की उपभोक्ता है, यदि अपारंपरिक ऊर्जा श्रोत से उत्पादन हेतु स्वयं के उपयोग के लिए इकाई स्थापित करती है, या त्रतीय पार्टी के रूप मे अपारंपरिक ऊर्जा श्रोत से उत्पादित विद्युत क्रय करती है ऐसी इकाईयो को कांट्रैक्ट डिमांड मे कमी की सुविधा दी जाएगी एवं ये इकाइया अपारंपरिक ऊर्जा श्रोत से उत्पादित पूर्ण विद्युत का उपयोग कर सकेंगी.”

Copy of publication in GOMP gazette dated 17/10/2006 was also provided to the Forum and is filed herewith as Annx VII.

2/, MPERC (cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy from renewable sources of energy) Regulation 2008 (f-33 of 2008) notified on 7/11/2008 wherein clause 1.35 provided as under,

“1.35 The reduction in contract demand by such consumers of distribution licensees who were availing power supply from non conventional sources of energy shall be allowed as per provisions of Govt. of Madhya Pradesh incentive policy for encouraging generation of power in Madhya Pradesh through Non Conventional sources of energy.” Copy filed herewith as Annx VIII A

3/ MPERC (cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy from renewable sources of energy) Regulation 2010 Rev 1 Regulation 2010 notified on 29/11/2010 clause 11.2 of which provides as under,

“11.2/ The Reduction in contract demand of such consumers of distribution licensees who are availing power from non conventional sources of energy shall be allowed as per provisions in the Govt. of M.P. incentive

policy for encouraging generation of power in MP. through Non Conventional sources notified on 17/10/2006.”Copy of the said Regulation is filed herewith as Annx VIII B

4/ Electricity supply code 2013 notified on 30/8/2013 wherein clauses 7.12 to 7.16 deals with reduction in contract demand Relevant extract filed herewith as Annx IX.

5/ Interconnection agreement dated 1/1/2019 Annx X

6/ Net metering regulation 2015 notified on14/10/2015 regarding interconnection and connectivity with grid. Annx XI.

7/ Hon Apex Court Judgment dated 15/3/21010 in the case of M/s PTC V/s UOI &Ors. Copy filed herewith as Annx XII.

The Applicant contended that the MPERC Regulation dt. 29/11/2010 , electricity supply code 2013 dated 7/8/2013 , are in the nature of subordinate legislation having the force and efficacy as that of law as held in the Hon Apex Court Judgment dated 15/3/2010, a copy of which is filed herewith as Annx XIII aforesaid mentioned.

The Net metering Regulation 2015 amended up to date does not provide any where that the capacity of roof top solar plant should be equal or less than the CD of the consumer as stated by NAAs in the letter dated 13/10/19.

The Applicant's Advocate contended and asked the NAs to indicate any provisions in these Regulations which prohibits reduction in CD as applied by the Applicant. The NAs did not contest and did not indicate any such provisions in these Regulations or any other Regulation.

18/ The Applicant invited attention of the Forum on the clause 36 (a) of the HT agreement dated 4/8/2011 which provides that the provisions of Electricity Supply code and consequently amendments thereof becomes binding on both the parties. Subsequently the provisions of Electricity Supply code 2013 notified by the MPERC is also binding on both the parties.

In view of no counter/opposition by the NAs the Applicant read the clause 3.25(b) of the MPERC (Establishment of Forum & centricity ombudsman for redressal of grievances of consumers) Regulation 2009 which provided as under 3.25

"a/ The Forum shall refer a copy of such complaint to the concerned office of the distribution licensee As may b granted by the forum.

b/ Where the concerned office of the distribution licensee on receipt of the copy of the complaint, referred to him under sub clause a above, denies or disputes the allegations contained in the complaint or omits or fails to take any action to preset the case with in the time given by the Forum, the Forum shall proceed to settle the consumer disputes;

i/ upon the basis of evidence bought to its' notice by the complainant and the distribution licensee , where the distribution licensee denies or disputes the allegations contained in the complaint or,

ii/ ex parte on the basis of evidence bought to its' notice by the complainant where the distribution licensee omits or fails to take any action to represent his case with in the time given by the Forum."

The Forum kept silence and did not state anything in regard to not invoking clause 3.25 of the 2009 Regulation 2009 which has made the biased attitude of the forum I resolving the Applicant's grievances.

The NAs neither objected/opposed the contentions of the Applicant's Advocate nor have produced any provisions of any Rules/Regulations under Electricity Act 2003 & Regulations notified therein which prohibits reduction of CD as applied by the Applicant.The Applicant in the circumstances requested the Forum to pass ex parte order on the basis of documents and arguments submitted by the Applicant in accordance with the provisions of clause 3.25 of 2009 Regulations quoted above.

19/ The Applicant submitted the monthly Bill of Oct 2019 and invited attention of the Forum that despite the input units which are the units consumed from the grid 13359

units the Applicant has been billed TMM of 2699 units. The Applicant submitted that the NAs are deducting Export units from the Input units and are applying TMM on the Net units which is unfair as the Export units are the units injected to the grid of NAs by the Applicant from electricity generated from solar plant after consumption by the Applicant. In fact it is sale to the NAs. The Applicant contended that the statement enclosed with his Rejoinder shows additional TMM billed to the Applicant despite the Applicant has complied to the guaranteed monthly consumption of 12000 units as per MPERC tariff order Which provides for guaranteed annual minimum consumption. The Applicant therefore submitted to the Forum that additional amount of Rs.158153/ arbitrarily billed and recovered from him be directed too be refunded to him. The NAs did not state any reasons for billing TMM on the basis of net units instead of Input units.

The NA2's unauthorized representative asked for the copies of the documents submitted by the Applicant before the Forum. The Applicant stated that all these documents submitted are in public domain however the chairman of the Forum directed section officer of the Forum to provide a photocopy of all documents to NA2. The NA1 requested the Forum to allow 15 days time to file written reply which .subsequently was repeated by NA2's representative. The Applicant requested the Forum that in view of non submission of any rules/regulations in regard to prohibition of reduction of CD by the NAs and unopposed contentions and grounds in regard to reduction of CD, the Forum may kindly pass ex parte order, however the Forum contravening the provisions of Regulation adjourned the hearing. That no any query/direction was given by the Forum to NAs.

19/ The Forum however did not record the proceedings on 13/11/19 and simply has obtained signatures of attendance and therefore the Appellant vide letter dated 15/11/19 filed the record of proceedings of 13/11/19 requesting the forum to take the same in the record of the case, copy of which is filed herewith as Annx XIII.

20/ The Applicant submitted a counter reply of the reply dated 13/11/19 submitted by NAs vide letter dated 16/11/9 requesting the same to be taken on record of the case , Copy of which is filed herewith as Annx XIV.

21/The forum forwarding copy of the counter reply dated 16/11/2019 to the NAs noticed the NAs to attend hearing on 27/11/19 along with point wise reply of the complaint and counter reply vide notice no. 1892 dated 16/11/19 (page) It was stated in the notice that copy of the counter reply be given to the Applicant before the date of hearing. copy filed herewith at pages .

22/ on 27/11/9, again Shri Dubey from NA2 without any authority to attend the hearing on 27/11/19 appeared and submitted a counter reply dated 20/11/19 signed

by CGM Commercial, NA2 but with a Affidavit dt. 29/11/19 executed by Deviditya Dubey his Manager stating that he is authorized to file counter reply to the Forum. On request a copy was given to the Applicant during hearing on 27/11/19. On perusal of the said counter reply dated 20/11/19 following anomalies were noticed and stated before the Forum,

a/ counter reply is signed by CGM commercial MPPKVVCL Jabalpur on 20/11/2019 along with a false affidavit of Shri Dubey dated 29/11/19 that he is authorized to file counter reply .this made the counter reply dated 20/11/19 as null and void being accompanied with a false affidavit.

b/ copy of reply given to the Applicant was in fact copy of the office copy of the NA2's file. Annx XVA The NA1 also filed counter reply vide letter dated 26/11/19 which was verbatim identical to the reply dated 20/11/2019 signed by CGM commercial but without any affidavit and filed herewith as Annx XVB.

None of the NAs filed any reply on the counter reply dated 16/11/19 of the Applicant in regard to the reply dated 13/11/19 filed by the NAs during the hearing on 13/11/19 holding that the NAs have n rules/emulations to substantiate their contention on 13/11/19 that the CD can not be reduced. Further the NAs have also not opposed any of the Grounds submitted by Applicant in support of his request for reduction in the CD thus holding the contentions of the Applicant sustainable in law. The Applicant contended that the CGM Commercial who has filed counter reply aS he was required to file his Affidavit along with it and the Affidavit of a third party who is not filing counter reply can not be accepted in law. As Shri Dubey was neither the OIC of the case nor has submitted any authority from MD Mppkvcl to file affidavit the reply dated 20/11/19 submitted along with a false affidavit becomes null & void in law and can not be taken on record of the case.

The Forum acted neutrally and did not ask any query from Shri Dubey or from CGM Commercial on phone which was against the fairness and transparency in hearing. Here again the Forum acted in contravention to the clause 3.29 of the 2009 Regulations.

23/ The Appellant opposed the contention of the NA2 in counter reply dated 20/11/19 as under;

There is no provision in net metering Regulations 2015 which prohibits the reduction of CD as applied by the Applicant as under,

1/The definition of "eligible consumer and individual project capacity" does not prohibits reduction in CD. In fact the request for reduction in CD has been made as per provisions of Electricity supply code 2013 which is a part of interconnection agreement dated 1/1/2019 between the Appellant and CE JR mppkvvcl, Jabalpur.

2/ As regards contention of clause 7, Interconnection with the grid where the contracted load and supply voltage are joined with the words “and /or”, the Appellant submitted his reliance on the following;

Pages 404 to 406 of book Principles of statutory interpretation by Hon Justice G.P.SINGH.

Hon Supreme court judgments

a/ M/s Hyderabad asbestos cement Ltd V/ s Union of India date 7/12/1999

b/ Babu Manmohandas Shah & Ors V/s Bishan Das dated 12/10/1966

c/ Kamta Prasad Agrawal V/s Executive officer Ballabahgarh dated 20/12/1973

Dictionary meanings

It was submitted that when two conditions are joined with the word “and/or” it implies either both or any one of the two. Here in the clause 7 contracted load and supply voltage or joined with the words “and/or” supply voltage the Appellant is complying to the supply voltage conditions as specified in the Electricity supply code 2013. Here the Appellant is complying to the clause 3.4 of Electricity supply code 2013 and thus none of the provisions of Net Metering Regulations 2015 updated by 2017 amendment prohibits reduction in CD as applied by the Applicant.

It was further contended by the Appellant that if the Hon Commission intended to impose both conditions then there was no necessity to use “and/or” in place of simple “and.” Copies of the documents relied were supplied to the NAs

24/ The NAs did not state any oral arguments. The Applicant objected the contentions of the reply dated 20/11/19 particularly NAs reliance on clause 7 of Net Metering Regulations 2015.written arguments of the same was filed on 27/11/19 giving copies to the NAs. In regard to method of computation of TMM The NAs stated that the same is as per provisions of Net Metering Regulations 2015. The NAs relied in para 9 in the reply dated 20/11/19 relied on Decentralized policy for renewable source of energy 2016 which is also part of interconnection agreement dated 1/1/12019 ppellant is aware that a petition in regard to such issues has been filed by Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam Bhopal. The Appellant reserves his right to claim excess amount recovered from her on account of TMM in accordance with the amendment if any notified by the Hon Commission in this regard.

The NAs Have not contested the arguments and written arguments of the Appellant and hearing was over. copy of the written arguments dt. 27/11/19 with judgments is filed herewith as abovementioned Annx XVI.

25/ That the Applicant filed a Rejoinder to the written arguments on 29/11/19, copy of which is filed herewith as Annx XVII. The hearing in the complaint was thus completed on 27/ 29/11/19.

26/ That the Applicant herself vide letter dated 4/12/19 filed a Rejoinder to state the proceedings of hearings on 13/11/, 27/11 before the Forum, objections raised by the NAs . counter reply and written arguments filed by the Applicant and pass order in accordance with law along with her Affidavit. Copy of the said letter is filed herewith as Annx XVIII.

27/ That as the Applicant grievances were not being resolved by the ECGRF Jabalpur the Applicant's representatives Smt Sangita parapte & Smt Prgagya Oswal met the MD on 5/12/19 and submitted non action of the Forum.. On this the Applicant's representatives gave a letter dated 5/12/19 to the MD copy of which is filed herewith as Annx XIX.

28/One Shri Deviditra Dubey Manager o/o CGM Commercial vide letter dated 10/12/19 again submitted reply on behalf of NA2 in respect of notice no. 1724 dated 26/10/19 along with an affidavit dated 10/12 /19 stating that he is competent to swear the affidavit and also authorized to file counter reply in the case filed by petitioners. Copy of the reply is filed herewith as Annx XX.

29/The Applicant vide letter dated 13/12/19 filed reply stating that the reply dated 10/12/19 is received without any forwarding letter signed by a stranger who is not a party to the complaint and without any authority to file affidavit .Copy of the reply filed is enclosed herewith as Annx XXI.

30/The Applicant herself again reminded the forum vide letter dated 16/12/19 that her Advocate has submitted contentions on 6/11,13/11, 27/11 which has not been contested by the NAs.

Further written arguments have been filed on 16/11/19, 27/11/19, 3/12/19 in detail. The NAs have not been able to submit any provisions of Regulation/rules under Electricity Act 2003 which prohibits reduction in CD

1./ That 45 days have passed since filing of complaint before the For um. It has not been possible for we women to come again and again or hearing as our Advocate is also sick. No issue is now left for further deliberations and therefore it is requested that order be passed in respect of our main grievance in regard to non reduction of CD. Copy of the letter was also forwarded to your good officer on by speed post copy of which is filed herewith as Annx XXIII.

26/Again a copy of email sent by GM Commercial mppkvvcl Jabalpur dated 21/12/19 was received through email from Forum on ……… .The reply was from an unknown person undated and without any affidavit. Copy of the said mail is filed herewith as Annx XXIV.

27/ The Applicant submitted reply of this mail that such mail without signature and affidavit can not be taken in record however a brief reply on the main contentions was

submitted vide letter dated 24/12/19 contending that on merits also the reply is devoid of any merits and deserves to be rejected, copy of the brief reply is filed herewith as Annx, XXV.

28/Subsequently the Applicant vide letter dated 26/12/19 filed para wise reply of the said email copy of which is filed herewith as Annx XXVI.

29/ Since considerable rime has passed and the Forum was not showing any urgency to pass order the Applicant has given a notice to Shri B..Kumar on 26/12/19 to pass order with in seven days failing which the Applicant will be constrained to file a complaint against him before the Hon Commission under section 142/146 of the Electricity ct 2003.Copy of the same is filed herewith as Annx XXVII.

35/ That the Applicant received the order passed by Forum on31/12/19 BY Regd ost on 5/1/2020 copy of which is filed herewith as Annx XXVIII .

In the said order on the last page 27 of which it was mentioned that the speaking order will be issued, therefore the Appellant vide letter dated 16/1/2020 requested the Chairman ECGRF Jabalpur to intimate the status of redressal of his grievances .copy of the letter is also filed herewith as Annx XXIX.

LEGAL FRAMEWORK

Electricity Act 2003

1/The preamble of the Act provides as under; An Act to consolidate laws relating to generation, transmission, Distribution, Trading of Electricity ……………………………ensuring transient polices regarding subsidies promotion of efficient environmentally benign policies, constitution of central electricity Authority, Regulatory commissions, establishment of Appellate tribunal of electricity and for matters connected or incidental thereto.

Certain sections relating to the dispute under subject are

2/ Section 86 Functions of the state Commission The state commission shall discharge following functions namely;

a/ To determine tariff……………………………

b/To regulate electricity purchase……………………….

/to facilitate intra state transmission………………….

d/to issue licenses to persons seeking to act as transmission licensee, distribution licensees

e/promote cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy by providing suitable measures for connectivity with the grid and sale of electricity to any person , and also specify for purchase of electricity from such

sources, a percentage of the total consumption of electricity in the area of distribution licensee.
3/ In discharge of its' functions the state commission shall be guided by the National Electricity Policy, National electricity Plan and tariff policy polished under sub section 2of the national Electricity tariff policy 2016 notified on …………………
4/ Section 66 Development of market
The Appropriate Commission shall Endeavour to promote development of a market (including trading)in power in such manner as may be specified by the National Electricity policy referred to in section 3 in this regard.

5/ मध्ि्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश मे अपारंपरिक ऊर्जा श्रोतों (सोलर, वायु, बायो एनर्जि आदि) से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु नीति मध्य प्रदेश सरकार राजपत्र असारधन दिनांक 17/10/2006 को प्रकाशित की थी उसमे दिये गए प्रावधान; विषय -- मध्य प्रदेश मे अपपरंपरिक ऊर्जा श्रोतों (सोलर, वायु, बायो एनर्जि आदि से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु नीति –

---अपारंपरिक ऊर्जा श्रोतों के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु निर्णय लिया गया है

सुविधा एवं प्रोत्साहन

7/ क्रय दर

8/ ग्रीन एनर्जि फ़ंड

9/ ओपन एकसेस

10।त्रतीय पक्ष विक्रय

11/व्हीलिंग

12/उद्योग का दर्जा

13/ पावर एवेकुएसन स्सुविधा

14/ कांट्रैक्ट डिमांड मे कमी

6/ The Hon Commission had specified Renewable purchase obligations till FY 2010-11 in respect of non conventional sources of energy. The Commission has received communications and representations from various agencies to promote solar power and other non conventional sources of energy and also, provide facility of banking of unused power. Therefore separate renewable purchase obligations for solar and non – solar power are being specified through the existing Regulation.
7/ MPERC (cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy Regulation2010 Rev 1 notified on 29/11/2010, copy of which is placed at page clause 11.2 of which provides as under ;

“11.2 The reduction in contract demand by such consumers of distribution licensees who are availing power from non conventional source energy shall be allowed as per the provisions in the Movement of M.P. Incentive policy for encouraging generation of power in M.P. through non conventional energy notified on 17/10/2006.”

The above regulation was notified by the Hon MPERC in exercise of the powers under section 181 (2) (zp)read with section 86 (1) (e)of the Electricity Act 2003.

8/MPERC (Net metering Regulation) 2015 notified on 14/10/2015 duly amended in Jan 17

9/ Electricity Supply code 2013 notified on 30/8/2013 which in clauses 7.12 to 7.16 provided provisions for reduction I contract demand of a consumer

10/ The Net metering and grid connectivity Regulation 2015 in the commencement of the regulation states as under,

In exercise of the powers conferred by section 61(h) , 66 & section 86 (1) (e) read with section zd &zi of section 181 of the Electricity Act 2003…………………..

Following regulations connected with the net metering ………….as required under sub section 3 of section 181 of the act.

36/ Section 61(h) deals with promotion of cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy;.
Section 66 deals with development of market.
sub clause “zd” provides for the terms and conditions for determination of tariff under section 61.
sub section zi provides for manner by which development of market including trading specified in section 66.
Thus it is evident that net metering regulation deals with metering and accounting of electricity generated by the renewable sources of energy. Regulation 2010 deals with the cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy and describes incentive being provided for encouragement of generation of electricity from renewable sources of energy ,metering of energy generated by RES and excess energy injected in the grid.

That the above regulations comes under the ambit of subordinate legislation and has the force and efficacy of law as held in the Hon Apex Court Decision dated 15/3/2010 in the case of PTC v/s Union of India &ors. The beginning of the regulation is reproduced as under;

“20/The 2003 Act contemplates the kinds of delegated legislation firstly, under section 176, the Central Govt is empowered to make rules to carry out the provisions of the Act. Correspondingly the State Govt are also given powers under section 181to make

rules. Secondly under section 177, the Central Authority is also empowered to make regulations consistent with the Act and in order to carry out the provisions of the Act. Thirdly under section 173 the Central Commission can make Regulations consistent with the Act. SERCs have corresponding powers under section 181 to make rules Regulations. The rules and Regulations have to be kept before the Parliament and the state legislature, as the case may be, under section 179 and 182.The Parliament has the powers to modify the rules/Regulations. This power is not conferred on the state legislatures. A holistic reading of the Act leads to the conclusion that regulations can be made as long as conditions are satisfied, namely that they are consistent with the Act and that they are made for carrying out the provisions of the Act."

lause 1.4 of the Electricity supply code 2013 Act states that it shall apply to persons engaged in the business of transmission and supply of electricity cover

DISCUSSIONS AND ANALYSIS

1/ It is submitted that the ECGRF Jabalpur has not recorded proceedings of hearings on 6/11, 13/11 & 27/11 and acted in a biased manner as the NAs were not able to substantiate their stand in regard to non reduction of CD. The NAs have not been able to show any provisions of Regulation /rules which prohibits reduction in CD.

Forum in none of the hearings have given any direction or asked any query from the NAs in regard to the basis of NAs' stand.

2/ The NAs have been relying on Net metering Regulation 2015 updated in 2017 and were stating according to these regulations the CD can not be reduced as per interconnection agreement dated 1/1/2019. However the NAs have not been able to show specifically any provision I the net metering Regulation 2015 which prohibits reduction in CD as applied by the Appellant. Even in such position all members of the FORUM remained as mute spectator and did not state anything in direction of redressing the Appellant's grievances in accordance with the provisions of Electricity Supply code 2013.

3/ i/ The first reliance of NAs on the definition of "Eligible consumer and individual project capacity "stated under clause 5, the head of Distribution transformer capacity does not prohibits the reduction of CD. As the installed capacity of solar plant is align to the provisions I Electricity Supply Code 2013, for permitting consumer connections which is clause 3.4 reproduced as under;

"**The supply voltage for different contract demands shall normally be as follows'**

Supply voltage	**Minimum connected load**	**Max connected load or CD**
400	**above 2 Kw**	**3 Kw demand based**

Tariff 150 HP CD without any ceiling on connected load

	Min CD	Max CD
11Kv	**50 kVA**	**300 Kva"**

Ii/ The second reliance of the NAs is in the provisions in Net Metering Regulation 2015 particularly clause 7" Interconnection with the grid" which is also misconceived as submitted in the written arguments dated 27/11/19

which remains unopposed /uncontested and therefore sustainable under law The NAs neither orally nor in writing has been able to contend the written arguments submitted 4/ on 27/11/19 followed by 29/11/2019. The Forum was expected to raise queries in regard to the stand of NAs but it behaved like as an office of the licensee.

The Reliances/grounds submitted by the Applicant during the hearing on 13/1119 along with relevant documents supplied which was also sent through Record of proceedings on 13/11/19 vide letter dated 19/11/19 has not been stated and analyzed by the Forum at all which are reiterated as under;

"4/ आवेदिका अधिवक्ता द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत नियामकआयोग (ग्रिड कनैक्शन व नेट मीटेरींग) रेग्युलेशन 2015 दिनांक 14/10/15 उसके संशोधन दिनांक 20/1/17 प्रस्तुत किया गया ।

आवेदिका अधिवक्ता ने पुनः विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 7.12 से 7.16 की ओर ध्यान आकर्षित हेतु कहा की आपारंपरिक श्रोतों से विद्युत उत्पादन बड़ाने को प्रोतसाहित करने हेतु शुरू से ही संविदा मांग मे कमी की आवश्यकता पर विचार उपरांत करने पर ये प्रावधान किए गए है ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोतशाहित हो, जो की समय की मांग है.उन्होने पुनः दुहराया कि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 आवेदिका व विद्युत कंपनी के मध्य हुये इंटर कनैक्शन अनुबंध दिनांक 1/1/2019 का एक भाग है जिसका अनुपालन दोनों पक्षो पर बंधनकारी है.

आवेदिका अधिवक्ता द्वारा अनावेदकों से यह पूछा कि क्या वे राजपत्र मे प्राकाशित अधिसूचना का उल्लंघन नहीं कर रहे है और क्या वे विद्युत अधिनयम 2003 कि धारा 142 का प्रकरण उनके खिलाफ नहीं बन रहा है, पर इसके बावजूद भी अनावेदक गण चुप रहे .

अनावेदकों ने उपरोक्त रेग्युलेशन व पॉलिसी के विपरीत कोई विरोध प्रगट नही किया व केवल फोरम से उत्तर पेश करने के लिए 15 दिवस का समय मांगते रहे. .

रहे अनावेदक 2 के प्रतिनिधि ने आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज़ो की प्रति मांगी , इस पर आवेदिका अधिवक्ता ने कहा की ये सभी दस्तावेज़ पब्लिक डोमैन मे उपलब्ध है, फोरम के अध्यक्ष महोदय ने फोरम के सेक्शन ऑफिसर को निर्देश दिये कि इन दस्तावेज़ो की एक प्रति कराकर अनावेदक दो के प्रतिनिधि को दिला देवे।

आवेदिका अधिव्स्क्ता ने अपने पत्र दिनांक 16/11/19 द्वारा अनावेदक एक के मौखिक व लिखित तर्को पर प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमे उन्होने लेख किया कि;

i/यह कि अनावेदक एक का यह कथन कि संविदा माँग 120 से 100 करना संभव नहीं है बिना किसी नियम /रेग्युलेशन के अभाव मे निषप्रभावी है व विधि मे इसका कोई आशय नहीं है

|ii/ यह कि अनावेदकों द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेज़ो व अधिवक्ता द्वारा उनकी विवेचना पर कोई आपति नहीं ली जिसके फलस्वरूप इन दस्तावेज़ो के विधिसम्मत होने मे कोई विवाद नहीं रह जाता ।

iv/ जहां तक अनावेदक एक द्वारा तथाकथित आवेदिका को प्रेशित पत्र दिनांक 3/10/2019 का प्रश्न है अधिवक्ता ने कथन किया कि धारा 117 के प्रावधानों के परिपेक्ष मे यह पत्र प्राप्ति के साक्ष्य के अभाव मे निष्प्रभावी हो जाता है॰फिर भी पत्र मे अनावेदक एक ने जो आवेदिका को सलाह दी है कि वे यदि सोलर संयंत्र के क्षमता कम कर ले तो सी डी कम कि जा सकती है पर क्षण भर के लिए यदि इस पर विचार भी किया जावे तो अधिवक्ता नेबार 2 सूचित किया कि आवेदिका ने उक्त सोलर संयंत्र केंद्र सरकार से सब्सिडी योजना कि मदद से स्थापित किया है। केंद्र द्वारा स्थापित विशेष सेल द्वारा सोलर संयंत्र से प्रतिदिन विद्युत उत्पादन का रेकॉर्ड की ऑन लाइन मॉनिटरिंग की जा रही है व संयंत्र की क्षमता कम होने पर उत्पादन कम होने पर केंद्र द्वारा दी जा रही सबसीडी रुक जाने पर आवेदिका को उद्योग बंद करने की नौबत आ सकती है। अतः सोलर प्लांट की क्षमता कम नहीं की जा सकती

The Appellant opposed the counter reply file by the NAs on 13/11/19 on which a counter submission was filed by the Appellant on 19/11/19 which remained

unopposed/un replied resulting that the grounds relied by the Applicant in support of his application for reduction in CD are sustainable under law.”

5/ Proceedings of hearing on 27/11/19 during which the Applicant countered the contentions of NA2 vide letter dated 20/11/19 was elaborately filed along with documents to the Forum with copies to the NAs on 27/11/19 relevant portion of which are reiterated as under;

“6/ दिनांक 27/11/19 को फोरम की सुनवाई मे आवेदिका की ओर से उनकी प्रतिनिधि श्रीमति संगीता खारपटे व श्रीमति प्रज्ञा ओसवाल वउनके अधिवक्ता श्री खंडेलवाल उपस्थित, अनावेदक एक श्री त्रिपाठी, तथा अनावेदक दो की ओर से श्री डुबे मैनेजर उपस्थित जिनको अनावेदक दो ने 27/11 की सुनवाई मे उपस्थित होकर प्रतिवाद करने हेतु अधिक्रत भी नहीं किया गया था व केवल अनावेदक दो का प्रतिउत्तर दिनांक 20/11/2019 प्रस्तुत करने हेतु अधिक्रत किया गया था ।

श्री दुबे ने अनावेदक दो का एक प्रतिउत्तर दिनांक 20/11/19 प्रस्तुत किया जिसके साथ संलग्न एफ़िडेविट दिनांक 27/11/19 श्री दुबे द्वारा निसपादित किया गया था॰ आवेदिका अधिवक्ता ने आपति लेते हुये कथन किया की इस प्रकार का उत्तर विधि मे मान्य नहीं है॰ अनावेदक दो श्री अजय शर्मा को अपने उत्तर के साथ स्वयं द्वारा निष्पादित एफ़िडेविट संलग्न करना था अतः यह प्रतिउत्तर विधि मे मान्य नहीं है व रेकॉर्ड मे लेने योग्य नहीं है फिर भी आवेदिका अधिवक्ता ने अनावेदक दो के प्रतिउत्तर पर आपति करते हुये कथन किया कि;

In regard to the reply of NA 2 contentions in counter reply dated 20/11/19, the Applicant in his written arguments dated 27/11/19 contended as under;

i/There is nothing in the definition of net metering in the Net metering and grid connectivity Regulation 2015 read with it’s 2017 amendment which opposes in any manner the request of the applicant for reduction in the contract demand and nowhere provides that the capacity of the solar plant should be equal to the contract demand of the consumer

ii/ As regards contents of para 4 the same are misconceived. The NA2 is mixing two different independent contents and misleading by an erroneous interpretation. The installation of a solar plant by the

Applicant in her premises and generating electricity by it was not the primary purpose of the Applicant. As previously stated the Applicant has installed solar plant in their own premises for their own purpose and the surplus energy is being injected in the NAs grid as provided in the MPERC Net metering Regulations 2015.Tha the Net Metering is a process of measuring import and export units of electricity by the Applicant as it is a bidirectional meter. Further the installed capacity of the solar plant is also in alignment to the provisions in Electricity supply code 2013.

3/ As regards contents of clause 6, eligible consumer and individual installed capacity is concerned the installed capacity 100 Kva is in alignment to the provisions of clause 3.4 of the Electricity supply code

2013 which provides that 11 kv connection is given prospective consumer when his contract demand lies between minimum 50 Kva to max 300 Kva. Further it is reiterated that the Applicant has installed solar plant as an ancillary to his production unit in factory premises for self purpose and no third party sale had been done and also that the Applicant does not intend to do so in future.

6/ "7/ **Interconnection with the Grid**"

The interconnection of the renewable energy system with the network of the distribution licensee shall be made as per the technical standards for connectivity of distributed generated sources Regulations to be notified by the Central electricity Authority. Until such time the interconnection of the renewable energy system of a particular capacity with the network of the distribution licensee, shall e made on the contracted load and/or respective voltage level applicable to the consumer as per provisions of the Electricity supply code 2013.

7/ The Advocate for the applicant contested the grounds submitted in the reply of NA 2 dated 20/11/2019 contending that the same are misconceived .i/ The interpretation of the word "and/or" used in between the contracted load and supply voltage in the sixth line of clause 7 mentioned above does not prohibits interconnection with the reduction in the contract demand

ii/ /Advocate of the Applicant further contended that the intention of The Commission intended to keep both the alternatives open to comply requirement of interconnection with the grid . The Advocate of the Applicant in this matter submitted reliance on the following documents,

iii/Definition in the book "**Principles of statutory interpretation" by Hon Justice G.P.Singh** which is a standard book not only consulted by the Advocates in the country but in whole judiciary as the most useful book in regard to interpretation of statues. pages 404 to 406

"The word 'or' is normally disjunctive and word 'and' is normally conjunctive ....

"The general rule is that general words in a statue must receive a general construction unless there is something else in the Act itself such as the subject matter which the Act is dealing or the context in which the said words are used to show the intention of the legislature that they must be given restrictive meaning".

8/ The Applicant's Advocate also submitted copy of decentralized policy for renewable energy system 2016 notified in the Madhya Pradesh Rajpatra dated 16/10/2016.

9/ The Advocate to the Applicant relying on the Hon Apex Court Judgments, book on statutory interpretation and various dictionary meanings contended that the Hon Commission in the clause interconnection with the grid used word “and/or” between contracted load and supply voltage which implies that if any one of the two is met the requirement for interconnection with the grid is complied. He further contended that if the commission intended to prescribe both the conditions there was no purpose of using /or after and. In nutshell as stated in the judgments quoted above word “or” can not be replaced by the word “and’.

10/ Advocate of the Applicant further stated that the Applicant is complying to the requirement mentioned after the word “or” in the clause 7 ie, complying to the provisions of the Electricity supply code 2013. As stated aforesaid as per clause 3.4 of the Electricity supply code for a new connection on 11 kv CD is required to be between 50 to300 Kva. As the reduction demand to 100 Kva requirement of the Electricity supply code 2013, the contentions of the NAs are misconceived and do not restricts in any way reduction in the CD requested by the Applicant.

The unauthorized representative of the NA2 who was not authorized by the NA2 to make arguments stated that the Applicant is making interpretation according to his choice. Advocate to the Applicant emphatically contended on the argument being made by an unauthorized person and stated that the Applicant is a electricity consumer and has liberty to substantiate his request sustainable in law. In case the NAs have any counter to the arguments they were at full liberty to submit legal provisions, citations countering the submissions/arguments made by the Applicant. Advocate contended that the NAs have nothing to counter and that the request of the Applicant for reduction in CD is sustainable under law. The unauthorized representative again asked for the copies of documents which were submitted by the Applicant before the Forum at the time of submitting arguments on 13/11/2019 on which the SO of the Forum stated that the same were sent to NA2.”

11/ The NA1 instead of replying on the contentions so far submitted by the Advocate of the Applicant stated that in case reduction in CD is granted to the Applicant they will act as a Generator. Advocate of the Applicant emphatically denied the contention of the NA1 and reiterated that the Applicant has installed the solar plant as an ancillary to its’ main work in her premises and will be using the electricity generated from it for hr own purpose and the excess electricity will be injected to the NAs grid as is being sone till now. The Applicant is not interested in any third polict sale and the contention of the NA1 is arbitrary, imaginary and therefore misconceived.

12/ In spite of the arguments submitted by the Applicant’s Advocate on which no counter reply could be made by the NAs , the unauthorized representative of the NA2

stated that in the case only net metering Regulations 2015 will be applicable and MPERC Regulation 2010 notified on 29/11/2010 has no application in the case. The Advocate to the Applicant stated that the 2010 Regulation is in the form of subordinate legislation and has force and efficacy as that of law. Further it is noted that in the reply dated 20/11/2019, the NA2 has not raised any such objection.

13/ The Applicant Advocate vide letter dated 29/11/2019 submitted a Rejoinder to the written arguments submitted on 27/11/2019 including reply of some additional issues raised by the NAs on 27/11/2019 and also enclosed a set of documents submitted by him before the Forum during hearing on 13/11/2019 requesting to handover the same to NA2 personally and obtain receipt."

The unauthorized representative of the NA2(not one) raised objection that the CD of the Applicant can not be reduced in terms of the interconnection agreement dated 1/1/2019 between the Applicant and the mppkvvcl.

14/ As submitted during the hearing on 27/11/2019, Electricity Supply code 2013 is a integral part of the initial agreement dated 24/8/2011 between the Applicant and NA1, and also interconnection agreement dated 1/1/2019. The Applicant had made his request for reduction in CD in accordance with the provisions in clauses 7.10 to 7.16 of the Electricity Supply code 2013 as mentioned in its' complaint and submitted during the first hearing before the Forum when the NAs were not present. In fact the Applicants' Advocate after noticing that the Forum is not having amended version of the Electricity Supply code 2013 gave his new copy of the same to the chairman of the forum for the purposes of reference.

15/ In regard to the applicability of MPERC (Cogeneration and generation of electricity from Renewable sources of Energy) Regulation Revision 1 , of 2010, the Advocate to the Applicant stated that the said regulation was published in the Gazette of Madhya Pradesh on 19/11/2010. That the regulation was notified by the Hon MPERC in accordance with the powers vested to it as per section 181(2) of the Electricity Act 2003 read with section 86(c) of the Electricity Act 2003.The Advocate mentioned about the section 86 (1) (e) of the Electricity Act 2003 which provides as under,

e/ ***promote cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy by providing suitable measures for connectivity with the grid and sale of electricity to any person , and also specify, for purchase of electricity from such source a percentage of total consumption of electricity in the area of a distribution licensee.***

16/ That the above regulation comes under the ambit of subordinate legislation and has the force and efficacy of law as held in the Hon Apex Court Decision dated

15/3/2010 in the case of PTC v/s Union of India &ors. The beginning of the regulation is reproduced as under,

"The Hon Commission had specified Renewable purchase obligations till FY 2010-11 in respect of non conventional sources of energy. The Commission has received communications and representations from various agencies to promote solar power and other non conventional sources of energy and also, provide facility of banking of unused power. Therefore separate renewable purchase obligations for solar and non – solar power are being specified through the existing Regulation".

17/ The Net metering and grid connectivity Regulation 2015 in the commencement of the regulation states as under,

In exercise of the powers conferred by section 61(h) , 66 & section 86 (1) (e) read with section zd &zi of section 181 of the Electricity Act 2003…………………..

Following regulations connected with the net metering ………..as required under sub section 3 of section 181 of the act.

19/ **Section 61(h)** deals with promotion of cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy;

Section 66 deals with development of market.

sub clause "zd" provides for the terms and conditions for determination of tariff under section 61.

sub section "zi" provides for manner by which development of market including trading specified in section 66.

Thus it is evident that net metering regulation eals with metering and accounting of electricity generated by the renewable sources of energy. Regulation 2010 deals with the cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy and describes incentive being provided for encouragement of generation of electricity from renewable sources of energy.

16/ The Advocate for the Applicant reiterated that as submitted during the hearings on 13/11 and 27/11 and written submissions the applicant has installed solar plant for its' own use in her own premises. They are not involved in third party sale and in future also do not intend to do so.

Advocate for the Applicant further reiterated that the interconnection agreement dated 1/1/2019 in regard to the net metering and grid connectivity for renewable energy system (solar) and in terms of the initial HT agreement dated 24/8/2011for connection no. N-524 which also relied on Electricity supply code as amended and applicable ie, Electricity supply code 2013.

The Applicant filed his complaint/grievance for reduction in CD from 120 to 100 KVA in accordance with clause 7.12 & other clauses of Electricity supply code 2013 Clause 1.4 of the code 2103 states that it shall apply to persons engaged in the business of transmission and supply of electricity covered under section 14 of Electricity Act 2003 and all consumers of Electricity.

17/ That the NAs are engaged in the business of supplying electricity to the consumers in their area as per the license granted by the MPERC. In the circumstances there is no point of any doubt regarding applicability of Electricity supply code 2013 in toto to the NAs.

18/ That the written and oral arguments submitted by the NAs on 13/11 and 27/11 does not counter any of the contentions of the Applicant and the rest of contentions submitted by them are arbitrary, imaginary and therefore devoid of any merits and deserves to be rejected.

19 / Advocate for the applicant requested the Forum

i/ to pass order directing the NA1 to allow reduction in the CD from 120 to 100 Kva in accordance with the provisions in clause 7.12 of the Electricity Supply code 2013 read with clause no. 11.2 of the MPERC (Cogeneration and generation of electricity from Renewable sources of energy) Regulation 2010 Rev 1 dated .29/11/2010 w.e.f after one month from the date of submission of the complete details on 26/9/19, execute supplementary agreement w

20/ The NAs have contended that the Hon Apex Court Judgments relied and submitted by the Appellant does not pertains to 'and/or" without perusing the judgments carefully

The NAs have not gone through the relevant part of these judgments as submitted in the supplementary written arguments dated 27 &29/11/19 which clearly explains the interpretation of and/or which implies either both or any one of it. The NAs have not been able to submit any subsequent judgment of Hon Apex court superseding these judgments and therefore the judgments are binding on all High Courts and adjudicatory institution including the Forum in accordance with the clause 141 of the constitution of India.

21/ The NAs have kept silence on the interpretation on the pages 404 to 406 of 2004 the edition of Principles of interpretation of Statues which is top most referred book by High Court and Apex Court. In this connection the reference in the14th edition revised by Hon Justice A.K.Patnaik ex Hon Supreme court is as under;

"**Justice G.P.Singh's Principles of statutory interpretation is the most comprehensive and authoritative work on the subject, widely quoted in the judgments of supreme**

Court as well as various High Courts , his scholarly work illustrates anexplains rules of interpretation in a lucid, comprehensive and systematic manner. This book is an essential reference for Judges, lawyers, legislators, administrators, academics and scholars."

Copy of the same is filed herewith at page

22/ The NAs only reliance in regard to prohibition for reduction of CD is Net Metering Regulations which is devoid of any merits. The request of the appellant for reduction in CD is in accordance with the clause of Electricity Supply Code 2013 read with ,PERC (Cogeneration and generation of Electricity from Renewable sources of energy) Regulation 2010 Rev 1 notified on 29/11/2010 which are in the nature of subordinate legislation having force and efficacy of law.

It is further submitted that anybody who installs a solar panel spending considerable expenses will try to use generation form solar plant to its' maximum capacity and to encourage this the GOMP has notified incentive policy 2005 which was further included by the Hon MPERC in its' Regulation 2010 dated 29/11/2010. Consequently the drawl from Grid may reduce which may please be perused from the table at page but at the same time increasing consumption from solar generation. The NAs are not having freedom to act at their whims and fancy and are bound by four corners of law. The Appellant has applied for reduction in CD on 26/8/2019 and has filed complaint before the ECGRF on 20/10/19.

GROUNDS

1. Because the order dated 31/12/19 passed by the ECGRF Jabalpur is unjust, biased, illegal , bad in law and therefore deserves to be set aside.

2/ Because the Forum itself admitted in last page (no.27)that speaking order is yet to be issued, this order being a non speaking order without stating the grounds on the basis of which order has been passed is not sustainable under law.

3/ Because the Forum committed a manifest error in violating the provisions of the GOMP incentive policy 2005 notified on 17/10/2006 and also GOMP decentralized policy 2016 for RES system notified on 4/10/16 amended in Jan 17.

4/ Because the Forum committed grave mistake in taking a decision in contravention to the provisions of Electricity Act 2003, National Electricity plan National Electricity Policy & National Electricity Tariff policy.

5/ Because the Forum took a decision in contravention to the Following Regulations notified by MPERC ;

1/ MPERC (Cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy) Regulation 2010 Rev 1 notified on 19/11/2010,

2/ MPERC (Electricity supply code 2013) notified on

3/ MERC (Net metering and grid connectivity) Regulation 2015 dated duly updated and thus making it liable for deterrent action under section 142/146 of Electricity Act 2003.

4/ Because the forum committed a manifest mistake in accepting the reply dated 20/11/19 from NA1 with a false Affidavit of Shri Devaditya Dubey who was neither OIC of the case nor was authorized to swear a false affidavit which converts the reply dated 20/11/19 as null and void in eyes of law.

5/ Because the forum committed intentional mistake in not recording the proceedings of hearings on 6/11, 13/11 and 27/11 with a preconceived mind acting prejudiciously towards the Appellant.

6/Because the Forum committed a manifest mistake in reproducing the contention of the NAs during the hearing on 13/11/19 without considering the counter reply vide dated without mention of the Applicant's contentions and grounds reproduced the same in the Last page of the order and arrived to conclusion in a hurried manner without application of mind.

7/ Because the Forum itself admitting in the last page of the order under the head आदेश that the speaking order is being issued makes this order illegal, contrary to law and un implementable and therefore deserves to be quashed.

8/ Because on the first day of hearing on 6/11/19 NAs were absent during the hearing except the Appellant's representative and her Advocate. The Advocate submitted his vakalatnmaa and briefed the grievance of the Appellant in regard to reduction in CD by the NA1 without assigning any reasons wef 26/8/19. The Forum however acted in a very mechanical manner and violated the provisions of clause 2.25 of the MPERC (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of consumers) Regulation 2009 notified on 20/8/2009(2009 Regulations) and have not recorded the proceeding of 6/11/19.

9/ Because the Forum did not mention that the NA1 was unable to submit any evidence of serving letter no. ……dated 3/10/19 to the Appellant in accordance with the section 127 of the Electricity Act 2003.

10/ Because the forum ordered the Applicant to reduce the capacity of solar plant without any such provision and prohibition in reduction of CD without any rules/ regulation prohibiting reduction at the instance of the NAs without examining/listening to the arguments submitted by the Applicant and did not behave as an independent body as envisaged in the 2003 Act and the 2009 Regulations notified by the Hon'ble Commission.

11/ Because the Forum did not state the grounds submitted by the Appellant during the hearing on 13/11/19 on which the Appellant contended that his application for reduction in CD is sustainable under law which was not opposed by the NAs

12/ Because the Forum did not mention that the NAs could not contest/oppose the policy/ Regulation mentioned by the Appellant.

13/ Because there as no opposition by the NAs on the counter reply dated 19/11/2019 filed by the Applicant aginst the NAs reply dated 13/11/19 making the grounds for reduction in CD sustainable under law and the stand of the NAs unsustainable under law which has been accepted by the Forum verbititim without assigning any reasons for the same.

14/ Because the Forum wrongly mentioned on page 20 of the order that the CGM commercial EZ has submitted his reply no. 2577 dated 20/11/19. This reply was filed by Shri Dubey representative of NA2 at the time of hearing on 27/11/2019 along with his affidavit .

15/ Because the Forum erred in law to allow a stranger Shri Deviditya Dubey to attend hearing on 27/11/19 without proper authority as he was neither OIC of the case nor was authorized by the MD to file affidavit. The affidavit being illegal the counter reply of the complaint submitted became null and void.

16/ Because shri Deviditya duby not being the OIC or a person duly authorized by the MD MPPKVVCL was a unauthorized person in accordance with the provisions in the company law Act/

17/ Because the Forum has not noticed that with the reduction in Maximum demand from the grid quantum of electricity generated from solar plant increases and acted in contravention to the GOMP incentive policy for encouraging generation of electricity in M.P. as per GOMP Incentive policy 2005 notified on 17/10/2006 thus discouraging generation of electricity from solar plant.

18/ Because the Forum has not stated the arguments submitted by the Appellant during the hearing on 27/11/2019 and written arguments dated in reply to reply dated 20/11/19 filed by the NA2 on 27/11/19 contending that the same is devoid of any merits.

19/ Because the Forum has overlooked the Written arguments filed by the Appellant on 27/11/19 with copies of the respondent explaining the interpretation of “and/or” by following reliance’s

i/ pages 404 to 406 of book Principles of statutory interpretation by Hon Justice G.P.Singh

a/ Hon Apex Court Judgment dated 7/11/99 in the case of M/s Hyderabad Sestos cement v/s UOI &Ors

b/ Hon Apex Court Judgment dated 20/12/1973 in the case of Kamta Prasad Agrawal v/ s Executive Engineer Ballabhgarh &Ors,

c/ Hon Apex Court Judgment in the case of /Babu Manmohan das Shah &ors V/s Bishan das

3 dictionary meanings

The Applicant repeatedly contended that when two conditions are joined with and/or it implies both or any one of the two.

20/ Because the Forum further overlooked the supplementary written arguments filed by the appellant in three copies on 29/11/19 before it which also remain unopposed and by a counter reply.

21/ Because none of the provisions of MPERC net metering Regulation 2015 notified on 14/10/2015 prohibits reduction of CD as applied.

22/ Because the Forum committed mistake in overlooking the important fact that NAs could not produce any regulation rules in support of their stand during the hearing on 13/11/19 that reduction in CD is not possible.

23/ Because the Forum further committed mistake in accepting the counter reply dated 20/11/19 which was signed by NA2, CGM commercial mppkvvcl with an affidavit of Manager (P&P) , which can not be accepted in law as a reply accompanied by false affidavit becomes null and void , same being attached with a false affidavit of unknown person who was not authorized to file affidavit

24/Because Forum further committed manifest mistake in accepting the reply dated 10/12/19 filed by Shri Devaditya dubey can not be considered as reply from mppkvvcl as shri Dubey is neither appointed as OIC of the case nor has been authorized by the MD mppkvvcl, Jabalpur to file such counter reply.

25/ because the Forum committed grave mistake of law that Hon Apex Court Judgments defining use of “and /or “ can not be superseded by a judgment of High Court of Keral attached with the reply dated ……….. filed by a unauthorized person. the judgments/pronouncements of the Apex court are binding on all High Courts and semi judicial bodies including the forum under Article 141 of the constitution of India.

26/ because the extract of book Principles of statutory interpretation by Hon Justice G.P.Singh is an authority in itself and being referred in the Supreme court judgments and High Court Judgments which not being contested is sustainable under law.

27/ because shri Dubey was neither OIC nor a person appointed by MD MPPKVVCL Jabalpur his submissions dated 10/12, 21/12 are not sustainable under law being null and void.

28/ Because the CGM commercial order no. 2502 dated 13/11/2019 appointing Shri Deviditya Dubey ,Manager (P&P) **to represent and attend hearings of complaint no. 1726 dated 26/10/19 d**oes not give any authority to Shri Dubey to attend all hearings as the notice no. 1726 dated 26/10/19 was a notice for attending hearing on 13/11/2019 which was subsequently preponed to 6/11/19 Vide ECGRF’s Notice no. 1769=70 dated 4/11/19.By no stretch of imagination the Notice no. 1726 dt. 26/10/19 can not be read as complaint number.

29/ Because in accordance with of company law either MD or a person appointed by the company can represent it before the authorities.

30/ Because CGM Commercial mppkvvcl Jabalpur neither orally or through counter submission could contest the oral contentions of the appellant on 13/11, 27./11 and also written submissions on 27/11 and 29/11 thus making the request of the Appellant for reduction in CD sustainable under law.

31/ Because the Forum acted in gross violation of law accepting the replies from an unauthorized person after closure of hearings on 29/11/19.

32/ Because the Forum simply reproduced the contention of the NAs ignoring the oral and written arguments of the Appellant making the order as biased and not sustainable under law.

33/ Because the Forum committed grave mistake acting in a biased manner on page 26 Under head निष्कर्ष without any analysis and arriving to the conclusion on the basis of NAs reply dated 13/11/19 which was without any provisions of law/Regulation and any foundation.

34/ Because the Forum itself on page 27 stated that the Speaking order will be issued subsequently making this order unsustainable under law and deserves to be quashed.

35/ because the Forum by ordering the Appellant to reduce capacity of solar plant despite there being no rules/regulation to keep the capacity of solar plant less then the CD 36/ Because the Forum avoided to pass decision in regard to charging of TMM on the Net units having agreed that it should be charges on Input units and ordered to take up the issue before MPERC which could have been resolved by it and thus did not redress the grievance of the Applicant in this issue.

PRAYER

In view of the facts and circumstances of the case the Appellant prays to the Hon Authority to pass order as under in the interests of justice.

1/ to kindly hold the hearing of the case at Jabalpur or else call concerned file with all records from ECGRF Jabalpur.

2/ Direct the NA1 to execute Supplementary agreement with the appellant for reduced CD to 100 Kva within 3 days from the order and report compliance to your office with in five days . The reduced CD may please be considered to be made effective after one month from the date of application made by the Appellant ie.26/8/2019 in accordance with the provisions in Electricity Supply code 2013.

3/ To direct the NA1 to revise bills from the date of reduced CD and allow credit/refund of excess amount recovered from the Appellant.

4/ To recommend a invoking section 142 against the two Members of the Forum who have passed order in contravention to the provisions of Electricity Act 2003 and the

Regulations notified therein and post officers who have some exposure to commerce and law.

show cause to be served to NA1 for keeping the Applicant's application dated 26/8/2019 for reduction of CD in his office pending up to 24/10/19 causing harassment and financial loss to the Applicant.

5/ To recommend the Hon MPERC for consideration of amendment inMPERC (Net metering and grid connectivity) Regulations 2015 dated 14/102015 in regard to computing TMM on the basis of Input units which are consumed units by the consumer instead of Net units.

6/ Any other relief as deemed appropriate

अपील के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों के विवरण हेतु निम्न तालिका संलग्न की गई हैं :–

INDEX

S.no.	Particulars	Ref.	Page Numbers
1	Complaint filed before ECGRF JBP on 21/10/19	Annx I	1-43
2/	Copy of Notice no. 2724-25 dt. 26/10/19	Annx II	44
3/	Rejoinder dated 2/11/19 filed by Applicant	Annx III	45-52
4/	EXGRF notice no. 1769-70 dt. 4/11/19	Annx IV	53
5/	Applicant's letter dt. 8/11/19 to MD MPPKVVCL	Annx V	54-56
6/	Reply dated 13/11/19 from NAs with letter no. 3265 dt. 3/10/19	Annx VI	57-60
7/	GOMP notification dt. 17/10/2006	Annx VII	61-66
8/	MPERC notification dated 7/11/2008	Annx VIII A	67-72
9/	MPERC notification dated 29/11/2010	Annx VIII B	73-81
10/	Extract of Electricity Supply Code 2013	Annx IX	82-83
11/	Authority letter of Shri D. Khandelwal dv	……	84
12/	Interconnection Agreement dt. 1/1/2019	Annx X	85-89
12/	Net Metering Regulation 2015 updated	Annx XI	90-105
13/	Hon. Apex Court Judgment dated 10/3/2010	Annx XII	106-148
14/	Record of proceedings dated 15/11/2019	Annx XIII	149-158
15/	Counter reply dated 16/11/19 by Applicant		159-169

16/	Counter reply dated 20/11/19 from NA2 Given during hearing on 27/11/19	Annx XIV A	170-173
17/	Counter reply dt. 26/11/19 from NA 1	Annx XIV B	174-179
7/	Written arguments dated 27/11/19 by Appellant	Annx XV	180-212
18/	Supplementary WS dated 29/11/19 by Appellant	Annx XVI	213-217
19/	Applicant's letter to Forum dt. 4/12/19	Annx XVII	218-223
19/	404-406 of book from Hon Justice P.Singh		204 to 206
20/	Hon. Apex Court Judgment dt. In the case of		199-203
	M/s Hyderabad Asbestos cement Vs UOI & Ors		
21/	Hon. Apex Court Judgment dt. 22/10/1966 in the Case of Manmohandas Shah V/s Bishan Das		188-93
22/	Hon. Apex Court Judgment dt. 20/12/73		194-98
23/	Dictionary Meanings		181-87
24/	Application to MD MPPKVVCL dt. 5/12/19	Annx XVIII	224-229
25/	NA2's representative reply dt. 10/12/19	Annx XIX	230-38
28/	Applicant's reply dated 13/12/19	Annx XX	239-258
29	Applicant's letter dt. 16/12/19 to Forum	Annx XXI	259-261
30	Copy of letter dt. 13/12/19 to Yourself		
31/	Copy of email dt. 21/12 Received from GM Com	XXII	262-69
32	Applicant's reply dated 24/12/19	Annx XXIII	270-75
33/	Rejoinder dated 26/12/19 from Applicant	Annx XXIV	276-80
34/	Notice dated 26/12/19 by Applicant to Chairman ECGRF B. Kumar	Annx XXV	281-82
35/	Copy of Forum's order dated 31/12/19	Annx XXVI	283-97
36/	Applicant's letter dated 6/1/2020 To Chairman ECGRF Jabalpur dated	Annx XXVII	298-99

03. प्रकरण मे प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 5.02.2020 को आयोजित की गई, जिसमें आवेदक की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री डी. खण्डेलवाल तथा आवेदिका की फर्म के एकाउन्टेन्ट तथा

अनावेदक – 01 की ओर से श्री प्रशांत चौबे, सहायक उपस्थित। अनावेदक प्रतिनिधि की ओर से अनावेदक क्र. 01 एवं 02 की ओर से लिखित निवेदन प्रस्तुत कि उन्हें विधिक सलाह लेने तथा तदनुसार प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए न्यायहित में कम–से–कम 2 सप्ताह का समय दिया जाए।

आवेदक अधिवक्ता श्री डी. खण्डेलवाल द्वारा प्रकरण से संबंधित निम्न कथन किए गए :–

1. आवेदिका श्रीमति पुष्पा बेन 85 वर्ष की महिला होकर श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड, जबलपुर की संचालिका हैं जो जरूरतमंद महिलाओं के उत्थान के लिये गठित होकर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से मान्यता प्राप्त है तथा पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित है सिवाय एक ड्राइवर, एक चौकीदार और एक एकाउन्टेन्ट है । व इसे शासन/खादी ग्राम उद्योग से किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता व अनुदान प्राप्त नहीं है ।
2. अपनी गतिविधियों के विस्तार के कारण संस्था के विद्युत भार में वृद्धि होने से संस्था द्वारा वर्ष अगस्त 2011 में 11 के.व्ही. पर 120 के.व्ही. संविदाकृत मांग का उच्च दाब कनेक्शन अपनी रिछाई स्थित फेक्टरी के लिए लिया गया ।
3. टैरिफ बढ़ने के साथ बिजली के बिल भी बढ़े, तब संस्था ने भारत शासन से बित्तीय अनुदान के अन्तर्गत दिनांक 4 जनवरी 2019 को अनावेदकों के अनुमति लेकर 100 कि0वॉ0 के सोलर प्लांट की स्थापना स्वयं के उपयोग के लिए की ।
4. सोलर प्लांट लगाने के बाद अनावेदक से ली जाने वाली बिजली की अधिकतम माँग 100 के.व्ही.ए. से कम हो गई, किन्तु उच्चदाब अनुबंध एवं लागू उच्चदाब टैरिफ प्रावधानुसार 120 के.व्ही.ए. संविदाकृत माँग के 90 प्रतिशत अर्थात 108 के.व्ही.ए. के लिये फिक्स चार्ज देना पड़ रहा था। इस खर्च को कम करने के लिये संस्था ने अपनी संविदाकृत माँग 120 के.व्ही.ए. से घटाकर 100 के.व्ही.ए. करने के लिए आवेदक क्रं. 1 को एक लिखित आवेदन दिनांक 28.08.2019 से निवेदन किया। किन्तु लगातार प्रयास के बावजूद अनावेदक क्रं. 1 द्वारा संविदाकृत माँग मे वांछित कमी की स्वीकृति नही करने के कारण संस्था ने म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर के विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में 21 अक्टुबर 2019 मे शिकायत दर्ज की।
5. फोरम में सुनवाई के दौरान आवेदक संस्था द्वारा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग तथा म.प्र. शासन के विनियम साक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत किये गये जिसके अनुसार विद्युत वितरण कंपनी से विद्युत प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं जिनके परिसर मे सोलर प्लांट की स्थापना की गई है, की संविदाकृत माँग में कमी किये जाने का विधिक प्रावधान किया गया है। अनावेदक द्वारा

सुनवाई के द्वारा ना तो आवेदक संस्था के दावे का ना तो विरोध किया गया ना कोई आपत्ति उठाई गई किन्तु विद्युत अधिनियम 2003 तथा इसके अधीन बनाये गये किसी ऐसे नियम/विनियमन को भी प्रस्तुत नहीं किया जो आवेदक संस्था द्वारा आवेदित संविदाकृत माँग मे कमी को प्रतिबंधित करता हो।

6. इसके बावजुद फोरम द्वारा बिना किसी वैधानिक आधार के दिनांक 31.12.2019 को आवेदक संस्था के विरूद्ध निर्णय देते हुए आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध अपील विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम 2010 (आरजी–33(I) वर्ष 2010) की धारा 7.1 एवं 7.2 में स्पष्ट उल्लेखित है कि समस्त और ऊर्जा (छत पर स्थापित सोर पी.वी को छोड़कर) के नवीकरणीय स्त्रोत से विद्युत का उत्पादन तथा सह–उत्पादन राज्य ग्रिड के साथ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित तकनीकी उपयुक्तता पर आधारित 132/33/11 के.व्ही के वोल्टेज स्तर पर संयोजित किये जायेंगे तथा म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 17.10.2006 को अधिसूचित विद्युत उत्पादन को अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों (सौर पवन, बायो–ऊर्जा आदि) के माध्यम से प्रोत्साहित किये जाने संबंधी प्रोत्साहन नीति के अनुसार विद्युत की निकासी (Power Evacuation) परियोजना का एकीकृत भाग होगी। उल्लेखनीय है कि इन धाराओं में कहीं भी राज्य ग्रिड से संयोजन के लिये सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता को उपभोक्ता की संविदाकृत मांग से सम्बद्ध नहीं किया गया है अर्थात बिना इस बात का संज्ञान लेते हुए कि सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता संविदाकृत मांग से कम अथवा अधिक है, सौर ऊर्जा संयंत्र से विद्युत का उत्पादन राज्य ग्रिड से संयोजित किया जाना न केवल ऐसे विद्युत उत्पादन परियोजना का एकीकृत भाग होगी बल्कि अनुज्ञप्तिधारी के लिये एक वैधानिक बाध्यता भी है ।

उक्त विनियमन दिनांक 19/11/2010 की कंडिका 7.12 में यह प्रावधान किया गया है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के ऐसे उपभोक्ता जो ऊर्जा के अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत प्रदाय का लाभ प्राप्त कर रहे हैं की संविदाकृत मांग की कमी को मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 17/10/2006 को अधिसूचित की गई मध्य प्रदेश राज्य में अपांरपरिक स्त्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने संबंधी प्रोत्साहन नीति के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय किया जावेगा । आवेदक द्वारा इस आधार पर ही संविदाकृत मांग में कमी के लिए आवेदन किया व फोरम के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया था । अनावेदकों ने इस

संबद्ध में कोई उत्तर नहीं दिया है तथा आवेदक की मांग को अस्वीकार कर उक्त विनियमन का उल्लंघन किया है ।

आवेदक ने भारत सरकार द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2013 व 6 जनवरी 2019 को केन्द्रीय विधयुत प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित अधिसूचना प्रस्तुत की है जिसका उल्लेख म. प्र. विद्युत नियामक आयोग की नेट मीटरिंग रेग्युलेशन 2015 की कंडिका 7 के प्रारम्भ में उल्लेख किया गया है और इस विनियम में संविदाकृत मांग तथा सोलर प्लांट की क्षमता के मध्य कोई संबंध नहीं दर्शाया गया है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 23 जनवरी 2015 को प्रकाशित म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम 2015 में प्रथम संशोधन (एजी.39 (i) (वर्ष 2017)) की प्रतियां प्रस्तुत हैं। म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित नेट मीटरींग) विनियम 2015 तथा म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 कहीं भी अनुज्ञप्तिधारी के ऐसे उच्चदाब उपभोक्ता जिनके द्वारा सोलर प्लांट की स्थापना की गई हो, की संविदाकृत मांग मे कमी नही किये जाने के संबंध में कोई प्रतिबंध नही लगाया गया है ना ही संविदाकृत मांग तथा सोलर प्लांट की स्थापित क्षमता के बीच अनुज्ञप्तिधारी के तन्त्र से अर्न्तसंयोजन के लिये कोई संबंध प्रतिपादित किया गया है। म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की धारा 7.12 से 7.15 में संविदाकृत मांग में कमी किये जाने संबंधी वर्णित प्रक्रिया का कोई भी प्रावधान आवेदक संस्था द्वारा संविदाकृत मांग में वांछित कमी की स्वीकृति में कोई बाधा नही डालता है ना इसे प्रतिबंधित करता है। ऐसे उपभोक्ताओं की संविदाकृत मांग में कमी किये जाने में कोई प्रतिबंध नही होने के संबंध मे शासकीय नीति, विनियम संबंधी पर्याप्त साक्ष्य लिखित अपीलीय आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके आधार पर स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मांगी जा रही संविदाकृत मांग मे कमी को स्वीकृत करने में अनावेदक को कोई वैधानिक बाधा नही है।

7. अनावेदक ने फोरम के समक्ष सुनवाई में म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम 2015 की धारा–7 "Interconnection with the Grid" के प्रावधानों को आवेदक संस्था के प्रकरण में स्वीकृति नही दिये जाने का आधार बनाया था। किन्तु उनके द्वारा इस धारा की गलत अवधारणा प्रतिपादित की गई है। इस धारा में स्पष्ट उल्लेख है कि ''वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तन्त्र से किसी विशिष्ट क्षमता के नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का अन्तर्संयोजन, संविदाकृत भार और/या उपभोक्ता को लागू उसके तत्संबंधी वोल्टेज स्तर पर मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा''। इस धारा मे संविदाकृत भार और प्रदाय वोल्टेज स्तर के मध्य में प्रयुक्त 'और/या' किसी भी प्रकार से

सोलर प्लान्ट की स्थापित क्षमता से नीचे संविदाकृत मांग में वांछित कमी उपरांत सोलर प्लांट का ग्रिड से अर्न्तसंयोजन प्रतिबंधित नही करता है, अर्थात 'संविदाकृत भार ओर/या उपभोक्ता को लागू उसके तत्संबंधी वोल्टेज स्तर' में से कोई भी एक शर्त का पालन होने पर उपभोक्ता के सोलर प्लांट का अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र से अन्तर्संयोजन किया जाना वैधानिक रूप से बाध्यकारी है। आवेदक संस्था के प्रकरण में 'इन दोनो शर्तो में से' बाद की शर्त का आवेदक संस्था म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के उपबंधो के अधीन पालन करती है। म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की धारा 3.4 में प्रावधानित है कि 11 के.व्ही. पर नवीन संयोजन की संविदाकृत मांग 50 से 300 के.व्ही.ए. के मध्य होगी। आवेदित वांछित कमी पश्चात आवेदक संस्था की संविदाकृत मांग 11 के.व्ही.ए 100 के.व्ही.ए. होगी जो म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की धारा 3.4 के अनुरूप होकर इसका पालन करती है। आवेदिका द्वारा इस संबंध मे उठाई गई इस आपत्ति का कि सोलर प्लान्ट की स्थापित क्षमता के नीचे संविदाकृत मांग में कमी रेग्यूलेशन 2015 की धारा–7 के प्रावधान के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं की जा सकती है, का कोई विधिक आधार नही है।

आवेदक अधिवक्ता का इस संबंध में आगे कथन है कि **'और/या'** की स्पष्ट व्याख्या के संबंध मे माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न आदेशों तथा अन्य दृष्टांत की प्रतियाँ अपीलीय अभ्यावेदन के साथ संलग्न की गई है यथा

(i) हैदराबाद एसबेस्टास सामेंट विरूद्ध युनियन ऑफ इंण्डिया एवं अन्य –
माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 07.12.1999 (पेज नं. 200–199)

(ii) मनमोहन शाह विरूद्ध बिशन दास –
माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 12.10.1966 (पेज नं. 190–189)

(iii) कामता प्रसाद अग्रवाल विरूद्ध कार्यकारी अधिकारी बल्लभगढ़ –
माननीय सर्वोच्च न्यायालय कामता प्रसाद अग्रवाल आदेश दिनांक 20.12.1973 (पेज नं. 195)

(iv) Book on 'Principles of Statutory Interpretation's by G.P. Singh (पेज नं. 205)

उक्त दृष्टांतों से स्पष्ट है कि 'और/या' के उपयोग मे और के स्थान पर 'या' तथा 'या' के स्थान पर 'और' को प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अतः 'और/या' से जुड़ी किन्ही दो शर्तो में से किसी भी एक शर्त के पालन से ही प्रयोजन पूर्ण हो जाता है । अतः आवेदक संस्था के प्रकरण में संविदाकृत मांग में वांछित कमी पश्चात् ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन निविमय 2015 की धारा–7 में संस्था के सोलर प्लांट का अनावेदक अनुज्ञप्तिधारी के तन्त्र से अन्तर्संयोजन के लिये प्रावधानित दो शर्तो, जो 'और/या' से सम्बद्ध हैं, में बाद की शर्त का पालन करने से पात्र हो जाता है।

8. संस्था द्वारा अक्टूबर 2019 में लागू टेरिफ में प्रस्तावित न्युनतम खपत की गारंटी की सीमा से अधिक मात्रा में बिजली अनावेदक से लेने पर भी आवेदक को टैरिफ मिनिमम के 2699 युनिट की बिलिंग की गई है। बिल बनाने में अनावेदक द्वारा आवेदक से ली गई बिजली की मात्रा में से संस्था के सोलर प्लांट से अनावेदक को निर्यात की गई बिजली की मात्रा को घटाकर शुद्ध खपत पर टैरिफ मिनिमम को लागू किया गया है जो विधिसम्मत नही है। इस गणना से यह आशय निकलता है कि संस्था ने अनावेदक से बिजली लेकर (आयात) उसी में से अनावेदक को विक्रय (निर्यात) की है जबकि वास्तव मे अनावेदक से प्राप्त बिजली (आयात) का उपयोग संस्था द्वारा अपने उच्चदाब संयोजन के लिये किया गया है तथा सोलर प्लांट द्वारा निर्मित अतिरिक्त बिजली को ही अनावेदक की प्रणाली में डाला गया है (निर्यात)। संस्था द्वारा अनावेदक से बिजली अपने उपयोग के लिये ली जाती है ना कि बेचने के लिये। अतः शुद्ध खपत पर न्युनतम खपत की गारंटी का प्रावधान लागू करना आधारहीन होकर निरस्त करने योग्य है।

9. अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत उपभोक्ता द्वारा अपने परिसर में सोलर प्लांट की स्थापना तथा अनुज्ञप्तिधारी के तन्त्र से अंतर्संयोजन के लिये सोलर प्लांट की क्षमता के निर्धारण संबंधी नियम के बारे में आवेदक अधिवक्ता का कथन है कि यह ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन विनियम 2015 की धारा '6' में प्रावधानित है जिसके अनुसार संस्थापित क्षमता उच्चदाब संयोजनों को अनुमति प्रदान करने हेतु म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के उपबंधों के साथ संरेखित किया जाना है व इसमें यह कोई उल्लेख नहीं है कि सोलर प्लांट की क्षमता आवेदक की संविदाकृत मांग से कम होना चाहिए। इस धारा '6' के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी के 11 के.व्ही. वोल्टेज स्तर का उच्चदाब उपभोक्ता संहिता में प्रावधानित 11 कें.व्ही. की अधिकतम संविदाकृत मांग सीमा 300 के.व्ही.ए. तक की क्षमता के सोलर प्लांट की स्थापना कर सकता है और इसका उस उपभोक्ता की संविदाकृत माँग से कोई संबंध नही है अर्थात 11 के.व्ही. वोल्टेज स्तर का एसा उच्चदाब उपभोक्ता भी जिसकी स्वीकृत संविदाकृत माँग 50 के.व्ही.ए. है, अपने परिसर में 300 के.व्ही.ए. अर्थात 270 कि.वा. तक की क्षमता के सोलर प्लांट की स्थापना कर सकता है तथा यह अनुज्ञप्तिधारी के तन्त्र से अन्तर्संयोजन हेतु वैधानिक रूप से मान्य होगा। नेट मीटरिंग रेग्युलेशन 2015 व संशोधन 2017 में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है जिसमें उल्लेख हो कि सोलर प्लांट की क्षमता उपभोक्ता की संविदाकृत मांग से कम होना चाहिए।

04. अगली सुनवाई दिनांक 25.02.2020 में आवेदक की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री डी. खण्डेलवाल तथा अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में आवेदक फर्म के एकाउन्टेन्ट श्री अमित अग्रवाल

तथा अनावेदक क्रमांक–1 श्री आई.के. त्रिपाठी, अधीक्षण यंत्री शहर संभाग, जबलपुर स्वयं तथा उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री राजीव आचार्य उपस्थित। अनावेदक क्रमांक –2 मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) की ओर से श्री डी. दुबे, मैनेजर (वाणिज्य) उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा अनावेदक क्रमांक –2 का एक पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें श्री दुबे को विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुती हेतु अधिकृत किया गया है। चूंकि प्रकरण में अनावेदक क्र. 2 स्वयं या विधिसम्मत रूप से नियत प्रभारी अधिकारी/अधिकृत अधिवक्ता ही प्रस्तुत हो सकता है और श्री दुबे विधिसम्मत रूप से नियुक्त प्रभारी अधिकारी नहीं हैं इस कारण श्री डी. दुबे को सुनवाई की अधिकारिक कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया ।

(अ) आवेदक अधिवक्ता ने सुनवाई में निम्न मौखिक कथन किए :–

1. मध्यप्रदेश सरकार के राजपत्र में दिनांक 17 अक्टूबर 2006 को प्रकाशित 'अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु नीति' में राज्य शासन ने अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है, जिसकी प्रति प्रस्तुत है । इसकी कण्डिका 14 में निम्न प्रावधान किए गए हैं :–

   *"14. **कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड में कमी** – ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जो म0प्र0 राज्य विद्युत मंडल की उपभोक्ता हैं, यदि अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत से स्वयं के उपयोग के लिए इकाई स्थापित करती है या तृतीय पार्टी के रूप में पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पन्न विद्युत ग्राह्य करती है तो ऐसी इकाईयों को कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड में कमी की सुविधा दी जाएगी एवं यह इकाई पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से पूर्ण विद्युत का उपयोग कर सकेगी।"*

2. 9 नवम्बर 2010 को म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरण (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह उत्पादन तथा उत्पादन] (पुनरीक्षण – प्रथम) विनियम 2010, की कण्डिका–11.2 के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के ऐसे उपभोक्ता जो ऊर्जा के अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत प्रदाय का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, की संविदा मांग में कमी को मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 17.10.2006 को अधिसूचित की गई मध्यप्रदेश राज्य को अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से विद्युत के उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने की प्रोत्साहन नीति के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय किया जावेगा ।
3. अनावेदकगणों ने उक्त दोनों प्रावधानों का फोरम के समक्ष सुनवाई दिनांक 13.11.2019 व 27.11.2019 में कोई विरोध या आपत्ति मौखिक या लिखित रूप से प्रस्तुत नहीं की तथा फोरम द्वारा भी आदेश दिनांक 31.12.2019 पारित करते समय उक्त प्रावधानों को अनदेखा कर दिया गया ।

4. उक्त विनियम अधीनस्थ संविधान के रूप में मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है, अतः यह अधिनियम का भाग हो जाता है। उक्त विनियम अनुज्ञप्तिधारियों के लिए बाध्यकारी है व इसमें उल्लेखित विद्युत अधिनियम की धारा 142 की परिधि में आ जाता है ।
5. ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन विनियम 2015 की कण्डिका–6 में स्पष्ट उल्लेख है कि सोलर प्लांट की क्षमता मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 जैसा कि नए कनेक्शनों के लिए लागू हैं उसी प्रकार लागू होगी । आवेदक ने सोलर प्लांट की स्थापना अपने ही परिसर में स्वयं के उपयोग के लिए की है और उसका तृतीय पार्टी को विक्रय का कोई आशय नहीं है ।
6. अन्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण या म0प्र0 राज्य विद्युत आयोग द्वारा जारी विनियमों में कहीं भी सोलर प्लांट की क्षमता का उपभोक्ता की संविदाकृत मांग से संबंध स्थापित नहीं किया गया है जबकि अन्य प्रदेशों के नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों में इन दोनों के मध्य स्पष्ट संबंध स्थापित किया गया है तथा निर्दिष्ट किया गया है कि स्थापित किए जाने वाले सोलर प्लांट की क्षमता निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में कुल संबंद्ध भार तथा उच्चदाब उपभोक्ताओं की कुल संविदाकृत मांग से अधिक नहीं होगी। अपने तर्क के पक्ष में आवेदिका अधिवक्ता की ओर से विद्युत नियामक आयोग दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम, गोआ एवं केन्द्रशासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के नेट मीटरिंग संबंधित विनियमों की प्रतियां दृष्टांत स्वरूप प्रस्तुत हैं। इन दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में आवेकदका अधिवक्ता का कथन है कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग विनियम 2015 में सोलर प्लांट की स्थापित क्षमता एवं उपभोक्ता की संविदाकृत मांग में कोई संबंध नहीं स्थापित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश में अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता के परिसर में स्थापित किए सोलर प्लांट की क्षमता को उसकी संविदाकृत मांग तक सीमित किये जाने का कोई आशय माननीय आयोग का नहीं है ।
7. आवेदक अधिवक्ता का कथन है कि माननीय नियामक आयोग के ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग विनियम 2015 की धारा – 7 में प्रयुक्त शब्द **"और/या"** की स्पष्ट व्याख्या के संदर्भ में गुजरात ऊर्जा विकास निगम विरूद्ध एस.आर. पावर लिमिटेड प्रकरण क्रमांक 1940/2008 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 13 मार्च 2008 की प्रति प्रस्तुत है, जिसकी कण्डिका 26 और 27 में यह स्पष्ट की गई है और इसके

अनुसार आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05.02.2020 की सुनवाई में धारा – 7 के संबंध में किए गए मौखिक एवं लिखित कथन सही सिद्ध होते हैं ।

8. अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रत्युत्तर दिनांक 24.02.2020 के पैरा 17–18 के संबंध में आवेदिका अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नाधीन पिटीशन न0 42/2019 मध्यप्रदेश विद्युत ऊर्जा विकास निगम द्वारा नियामक आयोग के समक्ष नेट मीटरींग रेगुलेशन 2015 के कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए लगाई गई है । आवेदक अधिवक्ता का कथन है कि इसमें सुनवाई चल रही है और सुनवाई के बाद जो भी पुनरीक्षण/संशोधन किया जावेगा वह विधि अनुसार आदेश दिनांक के बाद के समय के लिए लागू होगा । संदर्भित वाद में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माननीय आयोग से केवल ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग विनियम 2015 के कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा गया है और चूंकि इसमें किसी तरह के विवाद का उल्लेख नहीं है, अतः वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त होने की प्रत्याशा में अथवा इस वाद के माननीय आयोग के समक्ष विचाराधीन रहने के आधार पर प्रश्नाधीन प्रकरण में माननीय विद्युत लोकपाल द्वारा सुनवाई को स्थगित किया जाना न्यायोचित नहीं है तथा सुनवाई किए जाने में माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009'' की कण्डिका *4.9* कोई वैधानिक बाधा उत्पन्न नहीं करती है ।

9. आवेदक अधिवक्ता ने पुनः कथन किया कि अनावेदक द्वारा सोलर प्लांट की स्थापना के बाद से लगातार प्रतिमाह शुद्ध खपत (आयातित विद्युत की मांग – निर्यातित विद्युत की मांग) पर टैरिफ आदेश की न्युनतम खपत की गारंटी का प्रावधान लागू करना ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरींग विनियम 2015 के विरूद्ध होकर न्यायोचित नहीं हैं तथा निरस्त किए जाने योग्य है ।

(ब) अनावेदक क्र. 1 की ओर से सुनवाई में पत्र क्र. 391 दिनांक 24.02.2020 से अपना लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्न कथन/तर्क पेश किए गए हैं :–

1. दिनांक 01.01.2019 को संपादित नेट–मीटरिंग अनुबंध की नेट–मीटरींग व्यवस्था के अनुसार म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं. जबलपुर उपभोक्ता श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, जबलपुर को अनुबंध तथा म.प्र.वि.नि.आ. (नेट मीटरिंग) विनियम 2015 की शर्तों के अधीन उसके 100 की क्षमता के नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित विद्युत की अपनी ग्रिड में डालने के लिए ग्रिड संयोजन दिया जाना स्वीकार करता है। इन नेट–मीटरिंग अनुबंध में

उपभोक्ता ने सहमति दी है उसका नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र तथा नेट मीटरिंग व्यवस्था MPERC (Grid Connected Net Metering) Regulations 2015 तथा M.P. Policy for Decentralized Renewable Energy Systems 2016 के साथ साथ निम्न विनियम एवं संहिता व इनमें समय समय पर लिए संशोधनों में विनिर्दिष्ट मानकों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे।

01- Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 as amended.

02- Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 as amended.

03- Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 as amended.

04- MPERC Supply Code Regulations, 2013 as amended.

05- MPERC (Grid Connected Net Metering) Regulations 2015.

2. कृपया ध्यान दें कि ग्रिड संयोजकता तथा नेट मीटरिंग संयोजन के विनियमन के लिए समुचित साधन मुहैया कर नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत के सह–उत्पादन एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग) विनियम 2015 अधिसूचित किया गया है। कंपनी ने तद्नुसार आवेदक को नेट–मीटरिंग संयोजन प्रदान किया है।

3. आवेदिका ने अपनी प्रस्तुत शिकायत में वर्तमान प्रकरण से अप्रासंगिक कई विनियम और नीतियों का उल्लेख किया है और म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं. जबलपुर आवेदक के तर्क से सहमत नहीं है।

4. पात्र नेटमीटरिंग उपभोक्ता के परिसर में स्थापित नवकरणीय प्रणाली की क्षमता उपभोक्ता द्वारा प्राप्त संविदा मांग/स्वीकृत भार के अनुसार होगी। अधीक्षण अभियंता (शहर वृत्त) जबलपुर के पत्र क्रमांक दिनांक 09.10.2019 के माध्यम से आवेदिका को मामले से अवगत करा दिया है। आवेदिका ने इस पत्र की प्राप्ति से इंकार किया है । यह पत्र सामान्य डाक से भेजा गया था और जावक रजिस्टर का अभिलेख अवलोनार्थ संलग्न कर प्रस्तुत है।

5. माननीय लोकपाल का ध्यान मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग) विनियम 2015 व इसके संशोधनों के निम्न प्रावधानों की ओर आकृष्ट है :–

"2(o) "Net metering" means an arrangement under which renewable energy system installed at eligible consumer's premises delivers surplus electricity, if any, to the Distribution Licensee after off-setting the

electricity supplied by the Distribution Licensee during the applicable billing period,"

"2(q) "Premises" means any land, building or structure or part thereof or combination thereof, wherein a separate meter or metering arrangements has been made by the licensee for measurement of supply of electricity where a renewable energy system is set up. **The setting up of the renewable energy system should be ancillary to the purpose of the premises and should not be the primary activity of the premises;"**

"6. Eligible Consumer and individual project Capacity: - The capacity of Renewable Energy System to be installed at any premises shall be subject to the following conditions:-

(i) The installed capacity shall be aligned with the provisions of the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013, for permitting consumer connections.

(ii) Third party sale shall not be allowed."

"7. Interconnection with the Grid

The interconnection of the renewable energy system with the network of the Distribution licensee shall be made as per the technical standards for connectivity of distributed generated resources Regulations to be notified by the Central Electricity Authority. Until such time, the interconnection of the renewable energy system of a particular capacity, with the network of the Distribution licensee, **shall be made on the contracted load and/or respective voltage level applicable to the consumer as per the provisions of Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013.** All the cost related to augmentation shall be borne by the consumer. Provided that the system fulfils the technical requirements for grid interconnection with the network of the distribution licensee. "

उक्त वर्णित प्रावधान सरल और स्पष्ट हैं जिनमें कोई विसंगति नहीं है। परिसर में विद्युत उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना परिसर की प्रधान गतिविधि न होकर परिसर के आनुषंगिक है।

6. आवेदिका ने अपनी प्रस्तुति में माननीय न्यायाधीन जी.पी. सिंह की पुस्तक "Principle of Statutory Interpretation" पर विश्वास व्यक्त करते हुए उल्लेख किया है कि डिस्काम ने **"And/Or"** का गलत अर्थ लगाया है। आवेदक द्वारा इस संबंध में कामता प्रसाद अग्रवाल विरूद्ध कार्यकारी अधिकारी बल्लबगढ़, बाबू मनमोहनदास शाह विरूद्ध बिशन दास और मेसर्स हैदराबाद एस्बेस्टोस सीमेंट विरूद्ध संघीय भारत एवं अन्य के न्यायिक

दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं। यह देखा जा सकता है कि ये सभी प्रकरण **"And/Or"** को, जहां कथन या शर्तें **"And/Or"** से जुड़े हों, विशिष्ट रूप से व्यवहारित नहीं करते हैं ।

माननीय केरल उच्च न्यायालय के WP (c) No. 13688/2010 (I) (Annuere - 4) डॉ. प्रीति नायर विरूद्ध केरल विश्वविद्यालय में दिए गए निर्णय दिनांक 29.11.2013 के पैरा – 11 में शब्द **"And/Or"** का विशिष्ट रूप से निम्नानुसार निपटारा किया गया है :–

"On a perusal of the definition of using the words "and/or" from the various Dictionaries and Law Lexicons relied upon by the learned counsel for the petitioners, one cannot come to a conclusion that it can either be treated as additional qualification or it has to be treated as an alternate qualification. Whether it should be treated as an additional qualification or alternate qualification is a matter to be considered depending upon the facts and circumstances of each case".

7. उपरोक्त पैरा 5 और 6 को दृष्टिगत रखते हुए ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग) विनियम 2015'' के विनियम 7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र का वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से अन्तर्संयोजन संविदा भार पर होगा जो कि एक अनिवार्य शर्त है क्योंकि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 3.4 के अनुसार उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय का वोल्टेज उपभोक्ता द्वारा प्राप्त किए संविदा भार से निर्णित होता है और आवेदिका विनियम का गलत अर्थ लगा रही हैं।

8. **'नेट मीटरींग' {2(0)}** और **'परिसर'' {2 (f)}** की परिभाषा के साथ विनियम 6 और 7 को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि नेट–मीटरिंग के माध्यम से विद्युत का उत्पादन प्रधान गतिविधी नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधानों के साथ संरेखित होगी और इस संयंत्र का अन्तर्संयोजन म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधानों के अनुसार संविदा भार और/या उपभोक्ता को लागू संबंधित वोल्टेज पर होगा ।

9. म.प्र. विकेन्द्रीत नवीकरणीय उत्पादन नीति' M.P. Policy for Decentralized Renewable Generation" भी यह संकेत देती है कि श्रेणी–I (नेट–मीटरिंग प्रकरण के लिए) के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना परिसर के आनुषंगिक (Ancillary) होनी चाहिए न कि परिसर की प्रधान गतिविधि (Primary Activity)।

10. कार्यालय अधीक्षण यंत्री (शहर) जबलपुर ने आवेदिका के संविदा भार में कमी के आवेदन को कभी अस्वीकार नहीं किया है। उपभोक्ता को पहले ही विकल्प दिया जा चुका है कि वे अपने उच्चदाब कनेक्शन की संविदा मांग में इस शर्त पर कमी कर सकती हैं कि सौर

ऊर्जा संयंत्र की उत्पादन क्षमता संविदा मांग के अन्दर या इसके बराबर हो। माननीय फोरम के समक्ष भी यह कथन पूर्व में किया जा चुका है।

11. आवेदिका के आवेदन पर माननीय आयोग द्वारा जारी नियमों एवं विनियमों के अनुसार कार्यवाही की गई है और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 अभियोजित किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

12. अनावेदकों ने फोरम तथा लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत उत्तर में विनियमों एवं प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख किया है और आवेदिका की शिकायत में नेट मीटरिंग विनियम 2015 व इसके संशोधनों में कण्डिका 2 (q) तथा 6 में परिभाषित 'परिसर' तथा 'पात्र उपभोक्ता तथा वैयक्तिक परियोजना क्षमता' के बारे में कुछ भी अभिव्यक्त नहीं करते हुए अपने उत्तरों में मौन रही हैं। आवेदिका ने केवल नेट मीटरिंग विनियम 2015 के विनियम 7 के अर्थ पर बहस की है और न्यायिक निर्णयों के दृष्टांत, जो कि "And/Or" को विशेषतः संबोधित नहीं करते, देते हुए इसका अशुद्ध अर्थ लगाया है। आवेदिका मिथ्या विचार से ग्रसित हैं और अपने लाभ के लिए विनियम की व्याख्या कर रही हैं।

13. नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग, म.प्र. शासन ने अपने प्रमुख सचिव के माध्यम से माननीय आयोग के समक्ष याचिका क्रमांक 42/2019 प्रस्तुत की है जिसमें उपभोक्ता को दिए गए संविदा भार के लिए नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोत की अनुज्ञेय की जाने वाली अधिकतम उत्पादन क्षमता के संबंध में स्पष्टीकरण की पहले ही मांग की जा चुकी है। इस याचिका की मोशन हियरिंग दिनांक 06.12.2019 को आयोजित की गई थी जिसमें माननीय आयोग की याचिका स्वीकार करते हुए अनावेदक को जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है। सभी अनावेदकों की ओर से प्रस्तुत जवाब की प्रति संलग्नक–6 के रूप में अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। प्रकरण माननीय आयोग के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए प्रश्नाधीन मामले को स्वीकार किया जाना 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (संशोधन–प्रथम) विनियम 2009' की कण्डिका 4.11 के प्रावधानों के अनुसार उचित नहीं हैं क्योंकि इस कण्डिका में माननीय आयोग के समक्ष जारी/प्रस्तावित Proceedings की विषय वस्तु से संबंधित किसी अभ्यावेदन को लोकपाल द्वारा स्वीकार किया जाना निषेध किया गया है।

14. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम 2015 के विनियम 8(6) में दिए प्रावधान अनुसार *''उपभोक्ता टैरिफ के साथ–साथ किन्हीं अन्य प्रभारों के*

लिए, जो आयोग द्वारा अनुज्ञेय किए गए हों तथा शासन द्वारा अधिरोपित टैक्स/ड्यूटी/सेस के लिए बिल जारी करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी पात्र होगा।''

15. 'टैरिफ'' शब्द को MPERC (Terms & Condition for Determination of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of Charges) Regulations 2015 (संक्षेप में – टैरिफ निर्धारण विनियम 2015) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है –

    "Tariff" shall mean the schedule of charges payable by consumers **for distribution and supply of electricity** together with terms and condition thereof."

16. उक्त पैरा '14' एवं '15' के अवलोकन से यह बताया जा सकता है कि माननीय आयोग ने टैरिफ तथा उनके द्वारा अनुज्ञेय अन्य प्रभारों एवं शासन द्वारा अधिरोपित टैक्स/ड्यूटी/सेस के अनुसार बिल जारी करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुमति प्रदान की है। न्युनतम टैरिफ प्रभार की मांग माननीय आयोग द्वारा जारी खुदरा प्रदाय टैरिफ आदेश के अनुसार की गई है।

17. टैरिफ निर्धारण विनियम 2015 में टैरिफ विनियम प्रभारों को टैरिफ से आय और टैरिफ में भाग के रूप में माना गया है। इस संबंध में इसका विनियम 39 निम्नानुसार उद्घृत है :–

    "Income from all charges determined by the Commission for Distribution and supply of electricity shall be considered as Tariff income. Tariff income shall include fixed charges, energy charges, minimum charges and other charges as may be specified by the Commission for different consumer categories."

18. टैरिफ मिनिमम चार्जेस का उद्देश्य डिस्काम की स्थाई लागत की गारंटी के साथ वसूली है और यह डिस्काम से न्युनतम वार्षिक खपत (Minimum Annual Consumption) की गारंटी के लिए उपभोक्ता श्रेणी अनुसार संविदा मांग के प्रति के.व्ही.ए. के लिए निर्धारित युनिट्स की मात्रा के आधार पर माननीय आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार बिल किए जाएंगें, चाहे वर्ष के दौरान कोई विद्युत खपत की गई हो या न की गई हो। इस संबंध में टैरिफ की उपरोक्त पैरा में दी गई परिभाषा के साथ टैरिफ निर्धारण विनियम 2015 का विनियम 42.1 (d) पढ़े जाने का अनुरोध हैः–

    "Tariff Minimum: Tariff minimum charges for a class or category of the consumers shall be recoverable from the consumers till the time fixed charges are aligned with recovery of full fixed cost;"

19. साथ ही न्यूनतम प्रभारों का मुद्दा वर्ष 2019–20 के खुदरा प्रदाय टैरिफ आदेश के विषय क्र. 7 में डील किया गया है। माननीय आयोग ने पाया है कि ''टैरिफ मिनिमम प्रभारों का उद्देश्य डिस्काम की स्थाई लागत की गारंटीड वसुली है। किसी माह में न्युनतम खपत की गारंटी से नीचे उपभोक्ता की खपत होने पर यह प्रभार प्रभारित किये

जाते हैं।'' इसलिए, माननीय आयोग ने टैरिफ मिनिमम प्रभारों के वर्तमान प्रावधानों को जारी रखा है।

20. उक्त पैरा '14' से '19' के अनुसार यह स्पष्ट है कि आयोग ने स्पष्टता के साथ नेट मीटरिंग उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग प्रक्रिया निश्चित की है और डिस्काम इसको लागू तथा व्यवहारित करने के लिए बाध्य है।

21. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम 2015' का विनियम 8 'ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन (Energy Accounting and Settlement)', नेट मीटरिंग संयोजनों की बिलिंग को व्यवहारित (Deal) करता है जो निम्नानुसार उद्धृत है :–

8. Energy Accounting and Settlement :-

(1) For each billing period, the licensee shall show the quantum of injected electricity by eligible consumer in the billing period, quantum of electricity supplied by the Distribution licensee in the billing period, net billed quantum of electricity for payment by the consumer for said billing period and net carried over quantum of electricity to the next billing period separately;

(2) In the event of the quantum of electricity injected exceeds the electricity consumed during the billing period, such injected excess electricity shall be carried forward to the next billing period as electricity credit and may be utilized to calculate net electricity injected or consumed in future billing periods.

(3) In such case where the electricity supplied by the Distribution licensee during any billing period exceeds the electricity generated by the eligible consumer's renewable energy system, the Distribution licensee shall raise invoice for the net electricity consumption after taking into account any electricity credit balance remaining from previous billing periods*.*

(4) In such case where the eligible consumer is under the ambit of time of day tariff, as determined by the Commission from time to time, the electricity consumption in any time block (e.g. peak hours, off-peak hours, etc.) shall be first compensated with the electricity generation in the same time block. Any cumulated excess generation over consumption in any other time block in a billing cycle shall be accounted as if the excess generation occurred during the off-peak time block.

(5) The excess electricity measured in kilo-watt hour may only be utilized to offset the consumption measured in kilo-watt hour and may not be utilized to compensate any other fee and charges imposed by the Distribution licensee as per the instructions of the Commission.

(6) ***The Distribution licensee in addition to consumer tariff shall be eligible to raise invoice for any other charges as allowed by the Commission and any tax/duty/cess imposed by the Government.***

(7) *At the end of the each financial year, any net energy credit which remains unadjusted shall be paid by the Distribution licensee to the eligible consumers at the average pooled cost of power purchase as mentioned in the retail supply tariff order of that financial year.*

(8) *The consumer whose entitlement as a consumer of the licensees is ceased or receiving the amount of he is not setting his dues to the licensee, shall not be entitled to receive due amount of the adjustment/credit.*

(9) *In case of any dispute in billing it shall be settled under the provisions of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of the consumers) (Revision - I) Regulations, 2009 as amended from time to time.*

22. विनियम 8(3) में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि ऐसे प्रकरणों में जहां किसी माह में विद्युत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा पात्र उपभोक्ता के नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा से अधिक हो, पूर्व बिलिंग अवधियों के बकाया electricity credit balance को हिसाब में लेने के बाद नेट विद्युत खपत के लिए बिल जारी करेगा। इससे स्पष्ट है कि आवेदिका के सौर संयंत्र से उत्पादित के लिए डिस्काम बिल जारी नहीं कर सकता है और ऐसे सौर युनिट्स को घटाना/समायोजित करना आवश्यक है।

23. आवेदिका द्वारा यह भ्रमित किया जा रहा है कि इससे उनके लिए भारी वित्तीय कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं। इस संबंध में निम्न टैबल की ओर ध्यान आकृष्ट हैं।

Billing Month	**Solar NET Metering Export Units Adjusted**	**Average Tariff Applicable X Solar Generation (B) (in Rs.)**
A	**B**	**C**
Apr - 19	5148	36345

May - 19	5417	38244
June - 19	5635	39783
July - 19	4282	30231
Aug - 19	2618	18956
Sept - 19	1970	15484
Oct - 19	2699	21214
Nov - 19	3356	26378
Dec - 19	497	3906
Jan - 2020	1625	12773
Total		**243314**

The Average tariff Applicable for the HV - 3.1 Industrial is Rs./Unit 7.06 for FY 2018-19 and for FY 2019-20 Rs./ Unit 7.86.

उक्त टेबल से स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 तक की अवधि में लगभग 2,43,314/— रूपयों का लाभ प्राप्त किया है तथा नेट मीटरिंग कनेक्शन से लाभान्वित हुई है और वित्तीय कठिनाईयों के बारे में भ्रमित कर रही हैं।

24. प्रतिमाह उपभोक्ता की बिलिंग आयोग द्वारा जारी खुदरा प्रदाय टैरिफ आदेश तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार उचित रूप से की जाती है।

म.प्र. राजपत्र में दिनांक 04.10.2016 को अधिसूचित विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की म.प्र. की नीति की कण्डिका 4.5 कहती है कि —

*"**4.5.** This Policy sets the roadmap for growth of decentralized RE System in the state. The Regulations, especially pertaining to Net metering, might be further liberalized, so as to enable growth of RE projects in accordance with the target set by Government of India. However, in case of any discrepancy between the provisions of this policy and the regulations of the Commission, at present or in future, the provision of the orders/ regulations of the Commission shall prevail."*

25. आवेदिका द्वारा TMM प्रभारों की मांगी गई राशि अनुरक्षणीय नहीं हैं। सौर ऊर्जा संयंत्र की उत्पादन क्षमता को संविदा मांग तक रखे जाने की शर्त पर आवेदिका को संविदा मांग में कमी का विकल्प पहले ही दिया जा चुका है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शिकायत की कानून की दृष्टि में कोई महत्ता नहीं है।

26. प्रश्नाधीन विवादित प्रकरण आधारहीन है और आवेदिका द्वारा उठाए गए मुद्दों में कोई मेरिट नहीं है। निवेदन है कि मेसर्स श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, जबलपुर द्वारा प्रस्तुत शिकायत खारिज की जाए।

05. अगली सुनवाई दिनांक 05.03.2020 को आयोजित की गई, जिसमें आवेदक की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री डी. खण्डेलवाल तथा अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में आवेदक फर्म के एकाउन्टेन्ट श्री अमित अग्रवाल उपस्थित किन्तु अनावेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

(अ) आवेदिका अधिवक्ता ने मौखिक कथन किया कि –

1. अनावेदक क्रमांक–02 ने ई–मेल दिनांक 03.03.2020 के द्वारा सुनवाई की तिथि को आगे बढ़ाने हेतु जो निवेदन किया है आवेदक उसका सख्त विरोध प्रकट करता है, क्योंकि अनावेदक ने स्वयं उपस्थित न होने का कोई कारण नहीं बताया है तथा इसके पूर्व दिनांक 25.02.2020 की सुनवाई में अनावेदक के स्थानीय वकील के साथ सुनवाई में उपस्थित थे, अतः वकील का उपलब्ध न होना कोई कारण नहीं है । इसके पूर्व भी प्रथम सुनवाई दिनांक 05.02.2020 में अनावेदक ने इसी प्रकार की प्रार्थना विद्युत लोकपाल महोदय से कर 20 दिन का समय लिया था तथा सुनवाई दिनांक 25.02.2020 को नियत की थी।

2. अनावेदक क्रमांक. 2 जान–बूझकर किसी न किसी बहाने से लगातार तिथि बढ़ाने के लिए ही निवेदन करते आ रहे हैं। मैंने पहले भी माननीय को सूचित किया कि फोरम के समक्ष भी उनका इसी प्रकार का आचरण रहा है। आवेदिका को शंका है कि वे अब राजस्व वसूली का बहाना लेकर पुनः यदि कोई तिथि निर्धारित होती है तो उसमें उपस्थित नहीं होंगे। आवेदक को बार–बार जबलपुर से भोपाल आकर अनावश्यक आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलना पड़ रही है। आवेदक ने अपने प्रतिवेदन में तथा प्रत्युत्तर में अनावेदकों के सभी आपत्तियों का उत्तर माननीय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। माननीय विद्युत उपभोक्ता को शिकायतों का निराकरण करने के लिए उच्चतर ऑथारिटी है तथा ऐसी स्थिति में आवेदक नम्र निवेदन करता है कि महोदय अनावेदक के आचरण को देखते हुए एक्स पार्टी आदेश देने की कृपा करें ताकि आवेदक अपने हित के लिए जो उचित हो वह कार्यवाही कर सके।

3. आवेदक को लगभग 50–60 हजार रू. प्रतिमाह अनावश्यक भुगतान करने पड़ रहे हैं तथा विद्युत अधिनियम 2003 व विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अन्तर्गत विद्युत अनुज्ञप्तिधारी अपनी मर्जी से जितनी बिजली देना चाहे उतनी

उपभोक्ता को दें। मेरी वास्तविक मांग कम हो गई है, अतः नम्रता के साथ विधि अनुसार निवेदन है कि संविदा मांग को कम करने की कृपा करें, जिसके लिए विधि में प्रावधान है तथा नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2015 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें यह कथन किया गया हो कि सोलर प्लांट की केपेसिटी उपभोक्ता की संविदा मांग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिसके लिए प्रमाण स्वरूप आवेदक ने अन्य राज्यों के नेट मीटरिंग रेगुलेशन की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने साफ लेख किया है कि उपभोक्ता की सोलर प्लांट की क्षमता संविदा मांग से कम होनी चाहिए, परन्तु ऐसा कोई उल्लेख मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2015 में नहीं है। अतः निवेदन है कि आवेदक की परेशानी देखते हुए न्यायहित में यथोचित आदेश देने की कृपा करें।

(ब) अनावेदक क्र.1 के द्वारा 25.02.2020 की सुनवाई में प्रस्तुत लिखित उत्तर पर आवेदिका अधिवक्ता ने 05.03.2020 की सुनवाई में अपना लिखित प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत किया जिसमें मुख्य रूप से निम्न कथन/तर्क प्रस्तुत किए गए :–

1. आवेदिका पुनः दोहराती है कि संविदा मांग में 120 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए. की कमी ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन] विनियम, 2010 की कण्डिका 7.12 के प्रावधानों के आधार पर की गई है ।
2. प्रतिवादी ने फोरम के समक्ष किसी भी ऐसे नियम (विनियम को नहीं दिया जिसके अनुसार संविदा मांग में कमी असंभव हो ।
3. कथित विनियम 2010 की प्रकृति अधीनस्थ विधान की है और यह कानून के समान शक्ति एवं प्रभाव रखता है ।
4. संविदा मांग में 120 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए. की कमी विद्युत प्रदाय संहिता 2013, जिसको अर्न्तसंयोजन अनुबंध में संदर्भित किया गया है, की कण्डिका 7.12 से 7.15 के प्रावधानों के अनुरूप है। कमी के उपरान्त आवेदिका की संविदा मांग विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 3.4 से संरेखित रहेगी।
5. नेट मीटरींग विनियम 2015, जो अन्तर्संयोजन अनुबंध में संदर्भित है, की कण्डिका 6 पर आवेदिका विश्वास करती है, जिसके प्रावधान में सामान्य शब्द हैं और जिनमें कोई विसंगति नहीं है। सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना आवेदिका द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए की गई है और किसी तृतीय पक्ष को विक्रय में आवेदिका संलग्न नहीं पाई गई है ना ही उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है।

6. आवेदिका की ओर से अनेक राज्यों के विद्युत नियामक आयोग के नेट मीटरींग रेगुलेशन की प्रतियां प्रस्तुत हैं और इन सब में उल्लेखित है कि पात्र उपभोक्ता एवं व्यक्तिगत प्रोजेक्ट क्षमता के अन्तर्गत नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता का उपभोक्ता की संविदा मांग से कम होनी चाहिए। माननीय आयोग ने कण्डिका–6 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है इसलिए प्रतिवादी का तर्क बिना किसी आधार के मात्र एक काल्पनिक धारणा है जो कानून के अन्तर्गत प्रतिरक्षणीय नहीं है।

7. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दिनांक 06.02.2019 को अधिसूचित CEA (Technical Standared for Connectivity of Distributed Generating Sources) Regulation 2019 में उपभोक्ता की संविदा मांग तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापित क्षमता में कोई संबंध स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। इस आधार पर नेट मीटरींग रेगुलेशन 2015 की कण्डिका 7, जिसका दूसरा भाग जो 'Until such time …..' से शुरू होता है, का कोई महत्व नहीं है और इस प्रकार यह कण्डिका, आवेदिका की संविदा मांग में कमी को प्रतिबंधित नहीं करती है।

8. आवेदिका विनियम–7 में प्रस्तुत शब्द "And/or" के बारे में माननीय न्यायाधीश जी.पी. सिंह की पुस्तक "Principles of Statutory Indespretations" के पेज 404–406 पर दिए गए उद्धरण पर विश्वास करती है जिसमें उल्लेखित है कि शब्द "OR" सामान्यतया विभक्तिकारक तथा शब्द "AND" सम्बद्ध कारक होता है। इसके साथ ही माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा भारत संघ विरूद्ध हंसोलीदेवी, हैदराबाद एसबेस्टास सीमेंट विरूद्ध भारत संघ, कामता प्रसाद अग्रवाल विरूद्ध कार्यपालन अभियन्ता बल्लभगढ़ तथा बाबु मनमोहन दास शाह विरूद्ध बिशन दास के प्रकरणों में पारित आदेशों में "And" तथा "or" शब्दों की दी गई व्याख्यायों पर आवेदिका विश्वास करती है।

9. कण्डिका – 7 में ''संविदा भार' तथा 'सप्लाई वोल्टेज' को "And/or" से सम्बद्ध किया गया है। चूंकि प्रयुक्त शब्द सरल प्रकृति के हैं, इनका सीधा अर्थ निम्नानुसार होगा :–

   A. "Until such time, the interconnection of the renewable energy system of a capacity with the network of the distribution system shall be made on the contracted load and respective voltage level applicable to the consumer as per the provisions of Electricity Supply Code 2013."

   B. "Until such time, the interconnection of the renewable energy sytem of a capacity with the network of the distribution system shall be made on the contracted load or respective voltage level applicable to the consumer as per the provision of Electricity Supply Code 2013."

10. आवेदिका फिर दोहराती है कि यदि माननीय आयोग की मंशा संविदाकृत भार तथा सप्लाई वोल्टेज दोनों शर्तों को रखने की होती तो "And" के स्थान पर "And/or" को लिखने की आवश्यकता नहीं होती।

11. आवेदिका की संविदा मांग में 120 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए. की कमी का आवेदन नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2015 की कण्डिका 6 एवं 7 और Madhya Pradesh Policy for Decentralized Renewable Energy Systems, 2016 के प्रावधानों जो 14.11.2017 को पुनरीक्षित किए गए हैं, की शर्तों को पूरा करता है। इसलिए कमी को स्वीकार करने में कोई प्रतिबंध नहीं है।

12. प्रतिवादी द्वारा टैरिफ मिनिमम युनिट्स (TMM) की गणना के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आवेदिका विरोध करती है। आवेदिका का तर्क है कि टैरिफ आदेश की गारंटीड वार्षिक विद्युत खपत संबंधी कण्डिका ग्रिड से लिए गए इनपुट युनिट्स पर लागू होती है और आवेदिका की विद्युत खपत की परिधि में आती है।

यह निर्विवादित है कि किसी माह में प्रत्याभूत खपत से नीचे उपभोक्ता की खपत आने पर ही टैरिफ मिनीमम चार्ज भारित किए जाते हैं, जिसकी पुष्टि माननीय आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश 2019–20 के उच्चदाब टैरिफ शेड्युल की 'शर्तों एवं दी कण्डिका 5 से भी होती है।

सौर संयंत्र की स्थापना के पहले TMM की गणना 12000 युनिट्स की मासिक न्युनतम खपत में से इनपुट युनिट्स को घटाकर की जाती थी किन्तु जनवरी 2019 में सौर संयंत्र की स्थापना के बाद इनपुट में से एक्सपोर्ट घटाकर नेट युनिट्स के आधार पर TMM युनिट्स निकाले जा रहे हैं जो कि अनुचित है। नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2015 में TMM की गणना संबंधी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अपने उत्तर में प्रतिवादी इस रेगुलेशन की कण्डिका 8(3), 8(5) और 8(6) पर विश्वास करती हैं। इनमें से किसी भी कण्डिका या रेगुलेशन की अन्य कण्डिकाओं में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि ग्रिड खपत में से आवेदिका के सौर संयंत्र से उत्पादित अधिशेष मात्रा के एक्सपोर्ट किए गए युनिट घटाएं। प्रतिवादी क्र.–1 ग्रिड से विद्युत की खपत नहीं करने पर आवेदिका पर शास्ति लगा रहे हैं।

13. प्रतिवादीगण नेट मीटरींग रेगुलेशन 2015 की कण्डिका 5 का सहारा लेकर नेट युनिट्स के आधार पर TMM की गणना कर रहे हैं जो कि अनुचित है क्योंकि एक्सपोर्ट किए गए युनिट्स नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोत प्रणाली से उत्पादित विद्युत के अधिशेष युनिट्स हैं

और यह वास्तव में प्रतिवादियों को विक्रित किए गए हैं। इनको आफसेट करने से ग्रिड से की गई वास्तविक विद्युत खपत कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता पर अनुचित TMM अधिरोपित होता है। अपीलार्थी की विनम्र प्रार्थना है कि आदेश में TMM की गणना इनपुट युनिट्स जो कि उपभोक्ता द्वारा ग्रिड से लिए और खपत किए गए युनिट्स हैं, के आधार पर किए जाने का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

14. जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019 तक की अवधि में इम्पोर्ट युनिट्स, एक्सपोर्ट युनिट्स तथा नेट युनिट्स क्रमशः 114180, 40131 तथा 74049 रहे हैं । प्रतिवादियों ने नेट युनिट्स के आधार पर अर्थात् 1440000 – 74049 = 69951 युनिट्स TMM की गणना की है, जबकि इसके स्थान पर इनपुट युनिट्स के आधार पर TMM युनिट्स की गणना की जानी चाहिए थी अर्थात् 144000 – 114180 = 29820 युनिट्स, इस प्रकार 69951 – 29820 = 40131 युनिट्स जिसकी राशि 2.65 लाख रूपए है, अतिरिक्त वसूल किए गए हैं । यदि सौर संयंत्र स्थापित नहीं किया जाता तो केवल 29820 युनिट्स का TMM ही चार्ज लिया जाता, किन्तु सौर संयंत्र लगाने से सौर उत्पादन पर अतिरिक्त TMM बिल किया गया है जो साफ तौर पर अनुचित हैं और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन नीति, चाहे वह केन्द्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, का उल्लंघन है ।

15. अपीलार्थी का निवेदन है कि उनका पक्ष को स्वीकार किया जाए। अपीलार्थी ने लिखित एवं मौखिक रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण प्रतिवेदन का उत्तर प्रस्तुत करने में विलंब कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसको अपीलार्थी का अंन्तिम उत्तर माना जाए।

16. अन्त में अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना है कि –

    i) निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आधार नहीं बताते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत दिनांक 31.12.2019 को पारित आदेश रद्द किया जावे जो कि कानून के अन्तर्गत अरक्षणीय है ।

    ii) आदेश की दिनांक से 3 दिन में विनियम 2010 की कण्डिका 11.2 के अनुसार संविदा मांग को 120 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए. कम करने तथा कम की गई संविदा मांग का पूरक अनुबंध संपादित कर उनके द्वारा आवेदन प्राप्ति की दिनांक के एक माह बाद से इस प्रभावशील करने तथा 3 दिन में इसका पालन प्रतिवेदन लोकपाल को प्रस्तुत करने हेतु अनावेदक को निर्देशित किया जाए ।

iii) संविदा मांग में कमी की दिनांक से पुनरीक्षित स्थाई प्रभारों तथा न्युनतम खपत के लिए बिलों को पुनरीक्षित करने तथा आवेदक को अधिक वसूली की क्रेडिट पास करने के लिए अनावेदक क्र. 1 को निर्देशित करें ।

iv) टैरिफ मिनिमम की गणना नेट युनिट्स पर करते हुए इनपुट युनिट्स (विद्युत खपत) के आधार पर करने हेतु अनावेदक क्र.–1 को निर्देशित करें ।

अनावेदकों की अनुपस्थिति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 18.03.2020 को नियत की गई ।

06. अगली सुनवाई दिनांक 18.03.2020 को आयोजित की गई जिसमें आवेदक की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में आवेदक फर्म के एकाउन्टेन्ट श्री अमित अग्रवाल तथा अनावेदकगण की ओर से श्री देवादित्य दुबे (मैनेजर) कामर्शिलय, ईस्ट जोन एवं अधिवक्ता श्री सुमित भलेरा उपस्थित ।

आवेदक प्रतिनिधि श्री अमित अग्रवाल द्वारा अधिकृत अधिवक्ता श्री खण्डलेवाल के हस्ताक्षर से लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें सूचित है कि अनावेदक द्वारा सुनवाई दिनांक के पूर्व आवेदक को अपना लिखित प्रत्युत्तर उपलब्ध न कराने के कारण आज सुनवाई में आवेदक अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं और उनकी स्वयं की अस्वस्थता के कारण आज की सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हो सके हैं। अपने लिखित प्रतिवेदन में उनकी ओर से अनावेदक के लिखित उत्तर दिनांक 18.03.2020 पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम एक सप्ताह की अवधि दिए जाने की प्रार्थना की गई।

श्री दुबे की ओर से उन्हें प्रकरण का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाने संबंधी मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) के आदेश दिनांक 374 दिनांक 24.02.2020 की सम्पूर्ण सत्यापित प्रति तथा नवीन अधिवक्ता पत्र प्रस्तुत किया गया ।

अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा नियत प्रभारी अधिकारी श्री देवादित्य दुबे (मैनेजर) एवं अनावेदक क्रमांक 1 अधीक्षण यंत्री शहर वृत्त मप्रपूक्षेविविकलि0 जबलपुर द्वारा अलग–अलग शपथ पत्रों के माध्यम से निम्न संलग्नकों के साथ संयुक्त लिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया ।

(1) संलग्नक एक – Madhya Pradesh Policy for Decentralized Renewable Energy Systems, 2016

(2) संलग्नक दो – Madhya Pradesh P. K. V. V. C.L. Jabalpur Order No. EZ/ CGM/ Comml/ HT /VIP/ MISC-351/374 Jabalpur, date 24.02.2020

(3) संलग्नक तीन – प्राचार्य, पटना कॉलेज, पटना एण्ड अदर्स विरूद्ध कल्याण श्रीनिवास रमन के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.09.1965 की नेट से डाउनलोड की गई प्रति।

(4) संलग्नक चार – आर. एस. नायक विरूद्ध ए0 आर0 अंतुले के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.02.1984 की नेट से डाउनलोड की गई प्रति।

अनावेदक ने अपने लिखित उत्तर की प्रति संलग्नकों सहित आवेदिका प्रतिनिधि को उपलब्ध करा दिए जाने की सूचना दी जिसकी पुष्टि आवेदिका प्रतिनिधी द्वारा की गई।

अनावेदक क्रमांक. 1 एवं अनावेदक क्रमांक. 2 द्वारा सुनवाई में प्रस्तुत संयुक्त लिखित प्रत्युत्तर में मुख्य रूप से निम्न कथन/तर्क प्रस्तुत किए गए हैं :–

1. आवेदिका ने अपनी शिकायत में विभिन्न विनियमों और नीतियों का उल्लेख किया है जो वर्तमान प्रकरण से अप्रासंगिक हैं और कार्यवाहीयों को पथभ्रष्ट करती हैं। डिस्काम आवेदिका के तर्कों से सहमत नहीं है। वर्तमान मामलें को आवेदिका द्वारा संपादित नेट–मीटरींग अनुबंध की परिधि के अन्दर ही व्यवहारित किया जाना चाहिए। डिस्काम ने आवेदिका को माननीय आयोग द्वारा जारी नेट–मीटरींग रेगुलेशन 2015 व उसके उत्तरवर्ती संशोधनों तथा नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य की संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन नीति के संरेखित नेट–मीटरींग कनेक्शन प्रदान किया है।

2. नेट–मीटरींग कनेक्शन 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड कनेक्टेड शुद्ध मापन) विनियम 2015' (संक्षेप में – नेट मीटरींग विनियम 2015) के अन्तर्गत विनियमित होते हैं जिसमें लेखा और Settlement प्रक्रियां तथा समुचित मीटरींग व्यवस्था वर्णित हैं। इसलिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन] विनियम, 2010 और इसके उत्तरवर्ती संशोधन नेट–मीटरींग कनेक्शनों को विनियमित नहीं करते हैं ना ही ये म0प्र0 शासन की नीति जो 17.10.2006 को अधिसूचित की गई है, के अन्तर्गत आते हैं। इस नीति की अवधि भी अक्टोबर 2011 को समाप्त हो चुकी है जो इस नीति के प्रावधान–39 से स्पष्ट है। चूंकि आवेदिका का नेट–मीटरींग कनेक्शन जनवरी 2019 में प्रदान किया गया था, अतः यह नीति इस पर लागू नहीं है। प्रावधानानुसार नेट–मीटरींग कनेक्शन म.प्र. की विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली नीति 2016 (संक्षेप में – विकेन्द्रीत ऊर्जा प्रणाली नीति 2016) तथा इसके उत्तरवर्ती संशोधनों के अधीन है। इस नीति में नेट–मीटरींग कनेक्शन केटेगरी–I में वर्गीकृत हैं। उक्त विनियम तथा नीति दोनों ही आवेदिका के तर्क का समर्थन नहीं करते हैं।

3. विकेन्द्रीत ऊर्जा प्रणाली नीति 2016 में व्यवस्था दी गई है कि केटेगरी–I (नेट–मीटरींग प्रकरण) के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना परिसर के उद्देश्य के आनुषंगिक

(Ancillary) होनी चाहिए न कि प्रधान गतिविधि (Primary Activity)। यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि नेट–मीटरींग व्यवस्था के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की अधिकतम अनुज्ञेय क्षमता उपभोक्ता के संविदाकृत भार से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. नेट–मीटरींग विनियम 2015 के विनियम 6 में 'Eligible Consumer' को दी गई परिभाषा, जो निम्नानुसार उद्घृत है, स्पष्ट किया गया है कि नेट–मीटरींग व्यवस्था की प्रकृति निजि/स्वउपयोगी है ।

"6. **Eligible Consumer and individual project capacity:-** The capacity of Renewable Energy System to be installed at any premises shall be subject to the following conditions:-

(i) The installed capacity shall be aligned with the provisions of the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013, for permitting onsumer connections.

(ii) Third party sale shall not be allowed."

आवेदिका संविदा मांग में वांछित कमी कर आवश्यकता से अधिक (surplus) सौर उत्पादन क्षमता निर्मित करना चाहती है और स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता से नीचे संविदा मांग को कम करने पर यह इस संयंत्र की प्रकृति को परिसर के आनुषंगिक (Ancillary) से परिसर की प्रधान गतिविधि (Primary Activity) में परिवर्तित कर देगा।

5. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (संक्षेप में CEA या के.वि.प्रा.) द्वारा जारी CEA (Technical Standared for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 तथा इसके 2019 के संशोधन में संविदा मांग तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता में कोई संबंध निरूपित नहीं किया गया है। इसलिये 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम 2015' जहॉ डिस्काम को CEA के उक्त रेगूलेशन में विनिर्दिष्ट तकनीकी मानको के आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का अपनी ग्रिड से अंतर्संयोजन अनुज्ञेय कर रहे हैं वहीं इन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की अनुज्ञेय की जाने वाली क्षमता के निर्धारण के लिये म0प्र0 राज्य के सभी तीनों डिस्काम 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम 2015' के रेगूलेशन 7 का अनुसरण कर रहे हैं और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता को संविदाकृत भार की सीमा तक नियंत्रित कर रहे हैं। सभी डिस्काम द्वारा माननीय आयेाग को इस संबंध में अपनाई जा रही एक समान प्रक्रिया से रिट क्र. 42/2019 में दिनांक 25.2.2020 को प्रस्तुत संयुक्त उत्तर में सूचित कर दिया गया है।

6. आवेदिका द्वारा अपने उत्तर में कुछ अन्य रेगूलेशन, माननीय APTEL और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला दिया है किन्तु ये वर्तमान प्रकरण को प्रभावित नहीं करते हैं।

7. And/Or के बारे में आवेदिका की और से दिये गये विभिन्न न्यायालयीन आदेशों के दृष्टांत केवल "And" तथा "Or" शब्दों के बारे में हैं किन्तु इनमें "And/Or" के बारें में माननीय न्यायालय ने अपने आदेशों में कुछ भी उल्लेखित नहीं किया गया है।

8. शुद्ध मापन विनियम 2015 के विनियम–7 में संविदाकृत भार तथा वोल्टेज लेवल के मध्य "And/Or" का उपयोग किया गया है क्योंकि सप्लाई कोड 2013 में इन दोनों को निर्धारित किया गया है अतः "And/Or" के उपयोग का यह फल है कि जहॉ संविदाकृत भार तथा उपभोक्ता को लागू वोल्टेज लेवल दोनो निर्धारित किये गये हो वहॉ दोनो शर्तो को एक दूसरे के संदर्भ में संतुष्ट होने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिये – 10 कि.वा. संविदाकृत भार वाले उपभोक्ता नेट मीटरिंग के लिये आवेदन प्रस्तुत करता है तो वह सप्लाई कोड 2013 के प्रावधान अनुसार केवल 10 कि.वा. तक की नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली 400 वोल्ट पर संयोजन के लिये ही पात्र है। इसके साथ ही यदि वही उपभोक्ता इसको 11 के व्ही. सप्लाई वोल्टेज पर संयोजित करना चाहता है तो संहिता के अनुसार उसे इसकी पात्रता नहीं है।

9. अनावेदक दोहराना चाहते हैं कि यदि माननीय आयोग की मंशा संविदाकृत भार और वोल्टेज लेवल में से किसी एक शर्त को ही पूरी करने की होती तो "Or" के स्थान पर "And/Or" को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। आवेदिका द्वारा रेगूलेशन 7 की की गई व्याख्या से इसकी मूल भावना ही विफल हो जाती है क्योंकि संविदा मांग से ही उपभोक्ता के सप्लाई वोल्टेज का निर्धारण होता है।

10. माननीय न्यायाधीश जी.पी. सिंह की पुस्तक के पृष्ठ 404 के संदर्भ से यह स्पष्ट है कि कभी कभी "And" का मतलब "Or" तथा "Or" का मतलब "And" होता है। अपीलार्थी प्रकरण में "And" का मतलब "Or" ले रहे हैं जो कि उनके लिये अधिक लाभदायी है। किन्तु अपीलार्थी द्वारा गुजरात ऊर्जा विकास निगम विरूद्ध एस्सार पावर लि. के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रस्तुत दृष्टांत में न्यायालय ने आदेश में यह भी पाया है कि कभी कभी "Or" का मतलब "And" भी होता है। आवेदिका द्वारा गुजरात ऊर्जा विकास निगम विरूद्ध एस्सार पावर लिमिटेड के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रस्तुत दृष्टांत में न्यायालय ने आदेश में यह भी पाया है कि कभी–कभी ''Or'' का मतलब ''And'' भी होता है। यह तय है कि कभी कभी "And" का मतलब "Or" और "Or" मतलब "And" हो सकता है (जी.पी. सिंह की पुस्तक "Principle of Staturarry Interpretations' 9th Edition 2004,

page 404) आवेदिका प्रश्नाधीन प्रकरण में "And" का मतलब "Or" से ले रही हैं जो उनके लिए अधिक लाभकारी है। आवेदिका विधान में प्रयुक्त शब्दों का ऐसा अर्थ नहीं निकाल सकती है जो उसके लिए अधिक लाभदायी हो।

11. प्रतिवादी ने आवेदिका पर TMM प्रभार लगाने के कारणों को पहले ही दिनांक 25.02.2020 के लिखित अभ्यावेदन में प्रस्तुत कर दिया है। TMM चार्ज टैरिफ का एक भाग है और स्थाई लागत के रूप में वसूला जाता है। TMM चार्ज किसी प्रकार की शास्ति नहीं है जैसा कि आवेदिका ने अपने दिनांक 05.03.2020 के प्रस्तुतीकरण में उल्लेख किया है।

12. प्रत्येक माह उपभोक्ता की बिलिंग माननीय आयोग द्वारा जारी रिटेल सप्लाई टैरिफ आदेश तथा मप्रविनिआ (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार की जा रही है।

13. आवेदिका द्वारा TMM चार्ज की राशि का किया गया दावा प्रतिरक्षणीय नहीं है । आवेदिका को विकल्प दिया जा चुका है कि वह इस शर्त पर अपनी संविदा मांग कम कर सकती हैं कि उनकी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की उत्पादन क्षमता संविदा मांग तक सीमित रखी जाए। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शिकायत में कानून की दृष्टि से कोई ठोस तथ्य नहीं है। इस आधार पर प्रश्नाधीन विवादित प्रकरण आधारहीन है और आवेदिका द्वारा उठाए गए मुद्दों में कोई मेरिट नहीं है। निवेदन है कि आवेदिका की शिकायत तथा की गई प्रार्थना खारिज की जाए।

07. चूंकि कोविड–19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शासन की ओर से शीघ्र ही दिशा–निर्देश जारी किया जाना अपेक्षित था, अतः इन दिशा–निर्देशों के अनुरूप अगली सुनवाई की तिथि का निर्धारण किए जाने तथा इसकी सूचना आयोग की वैबसाईट तथा पृथक नोटिस के माध्यम से उभयपक्षों को समुचित रूप से दिए जाने संबंधी निर्णय लिया गया।

08. कोविड–19 और लाक डाउन के कारण संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए अगस्त तक कोई सुनवाई आयोजित नहीं की गई। इस बीच आवेदिका के अधिवक्ता ने अनावेदकों के सुनवाई दिनांक 18.03.2020 में प्रस्तुत उत्तर पर अपने पत्र दिनांक 20.05.2020 (02.06.2020) द्वारा डाक से अपना प्रत्युत्तर प्रेषित किया, जिसमें अनावेदकों के कथनों/तर्कों का विरोध करते हुए पूर्व में प्रस्तुत अपने कथनों/तर्कों को दोहराया गया। सितम्बर माह में दिनांक 15.09.2020 को सुनवाई आयोजित की गई। इस सुनवाई में भी कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आवेदिका की ओर से पत्र दिनांक 10.09.2020 से सुनवाई आगे बढ़ाने का निवेदन किया गया। इस दौरान आवेदिका के लिखित प्रस्तुतीकरण दिनांक 20.05.2020 (02.06.2020) पर अनावेदक क्र. 02 की ओर से डाक द्वारा पत्र

क्र.1254 दिनांक 25.08.2020 से उत्तर प्रस्तुत किया गया। अनावेदक क्र. 01 ने डाक से पत्र क्रमांक 2264 दिनांक 07.09.2020 से अनावेदक क्र. 02 के इस उत्तर पर अपनी सहमति देते हुए व्यक्त करते हुए इसको उनकी ओर से भी उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया। अनावेदकों के इस लिखित उत्तर में पूर्व में किए गए लिखित/मौखिक कथनों एवं प्रस्तुत तर्कों/साक्ष्यों को दोहराने के साथ निम्न अतिरिक्त कथन/तर्क प्रस्तुत किए गए हैं:–

1. आवेदिका ने अपने लिखित प्रत्युत्तर दिनांक 20.05.2020 (02/06/2020) में स्वयं स्वीकार किया है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी CEA (Technical Standard for Connectivity of Distributed Generation Resources) Regulations 2019 में संविदा मांग तथा नई ऊर्जा प्रणाली की क्षमता के मध्य कोई संबंध प्रतिपादित नहीं किया है। किन्तु नेट मीटरींग रेगुलेशन 2015 के विनियम 2(0) तथा 2(q) में क्रमशः **'नेट मीटरींग'** तथा **'परिसर'** की दी गई परिभाषा तथा विनियम – 6 के प्रावधान नेट मीटरींग कनेक्शन को संविदा मांग तक या उसके नीचे रखने के लिए विवश करते हैं और संविदा मांग या संविदाकृत भार तथा अनुज्ञेय किए जा सकने वाले अधिकतम उत्पादन के मध्य संबंध स्थापित करते हैं और इसलिए विनियम 7 का दूसरा भाग जो 'Until such time-------' से शुरू होता है, अभी भी प्रभावशील है।
2. उक्त विनियम 2 (0) एवं 2(q) के विनियम 7 की तरह नेट मीटरींग रेगुलेशन 2015 के भाग हैं जिसके प्रावधानों का अपना प्रभाव है और डिस्काम इन प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इन प्रावधानों के अनुसार नेट मीटरींग के अंतर्गत विद्युत का उत्पादन परिसर की प्रधान गतिविधि नहीं हो सकती है और ऐसा सुनिश्चित करने में सौर संयंत्र की क्षमता संयोजन की संविदा मांग से अधिक नहीं हो सकती है।
3. यदि आवेदिका के इस मन्तव्य कि CEA (Technical Standard for Connectivity of Distributed Generation Resources) Regulations 2019 को दिनांक 06.02.2019 को अधिसूचित करने के बाद, नेट मीटरींग रेगुलेशन 2015 के विनियम 7 का दूसरा भाग 'Until such time-------' अब प्रभावहीन हो गया है और यह संविदा मांग में कमी को प्रतिबंधित नहीं करता है, को मान लिया जाय तो इससे ऐसी विसंगति और अंतर्विरोध पैदा होगा जिसमें नेट मीटरींग उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय का वोल्टेज स्तर नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की अनुज्ञेय क्षमता के आधार पर निर्णित नहीं होने से, ऐसी परिस्थिति निर्मित होगी जहां उपभोक्ता 1000 के.व्ही.ए. क्षमता की प्रणाली का ग्रिड से 11 के.व्ही. वोल्टेज स्तर पर संयोजन किए जाने की मांग करेगा कृपया ध्यान दें कि अपीलार्थी के मन्तव्य को स्वीकार करने से विद्युत प्रदाय संहिता 2013 और नेट मीटरींग रेगुलेशन 2015 के प्रावधानों को निरर्थक कर देंगे।

4. नेट मीटरींग रेगुलेशन 2015 के विनियम 2(j) में **'पात्र–उपभोक्ता'** की दी गई परिभाषा से स्पष्ट है कि नेट मीटरींग स्व–स्वामित्व/निजी प्रकृति की व्यवस्था है। संविदा मांग में कमी कर अपीलार्थी अधिशेष सौर स्थापित क्षमता का निर्माण करना चाहता है जो इसके विनियम 7 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञेय नहीं किया जा सकता है और इससे सौर ऊर्जा संयंत्र की प्रकृति की आनुसंगिक से प्रधान गतिविधि में परिवर्तित हो जाएगी।

5. आवेदिका ने मुद्दा उठाया है कि फोरम ने अपने आदेश दिनांक 31.12.2019 में विवेचना/परीक्षण नहीं किया तथा अनावेदकों के मन्तव्यों को दोहराते हुए बिना आवेदिका के मन्तव्यों का परीक्षण किए प्रकरण का निपटारा किया है और पेज 26 पर निम्नानुसार कहा हैः–
''जहां तक उपभोक्ता के माह अक्टूबर 19 के विद्युत देयक के संशोधन तथा पुरानी विवादित राशि रू. 158143/– के समायोजन का प्रश्न है उसके लिए आवेदिका/उपभोक्ता अपना पक्ष/याचिका एम0प्र0 विद्युत नियामक आयोग भोपाल के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है।''
उक्त संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि संसद ने विद्युत अधिनियम 2003 धारा 45, 161, 181 (2)(zd) माध्यम से राज्य आयोग को टैरिफ निर्धारण के लिए आवश्यक नियम एवं शर्तें तय करने की शक्तियां प्रदत्त की हैं तद्नुसार म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ आदेश जारी किए गए हैं। फोरम ने आवेदिका की प्रार्थना पर आवेदिका को माननीय म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग की शरण में जाने के निर्देश दिए हैं जो वर्ष 2018–19 के टैरिफ आदेश की कण्डिका 1.24 एवं 1.28, जो निम्नानुसार उद्घृत हैं, के अनुसार उचित हैं।

1.24. In case any dispute arises regarding interpretation of this tariff order and/or applicability of this tariff, the decision of the Commission shall be final and binding.

1.28. If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this order, the Commission may, be general or special order, direct the Licensees to do or undertake things, which in the opinion of the Commission is necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

6. आवेदिका ने प्रार्थना की है कि TMM की गणना विद्युत की की गई खपत अर्थात् इनपुट युनिट्स पर की जाए न कि शुद्ध खपत (Net Consumption) पर जो अनावेदकों को मान्य नहीं है। नेट मीटरींग विनियम 2015 के विनियम 8(3) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि "In such case where the electricity supplied by the Distribution licensee during any billing period exceeds the electricity generated by the eligible consumer's renewable energy system, the Distribution licensee shall raise invoice for the net electricity consumption after taking into account any electricity credit balance remaining from

previous billing periods." म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर उपभोक्ता की बिलिंग माननीय आयोग द्वारा जारी विनियम एवं टैरिफ आदेश के अनुसार कर रहा है। इस विनियम 8(3) से स्पष्ट है कि डिस्काम आवेदिका के सौर संयंत्र से उत्पादित विद्युत के लिए जारी नहीं कर सकता है। यह एक तय स्थिति है कि डिस्काम से ली गई विद्युत की खपत के लिए टैरिफ आदेश में वर्णित प्रक्रियां/प्रावधान/शर्तों एवं निबंधन के अनुसार डिस्काम बिल जारी कर सकता है। अतः आवेदिका की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती है।

7. आवेदिका इस तथ्य को लोकपाल से छुपा रही हैं कि उन्होंने पहले ही प्रभारों के मुद्दे पर अपना प्रतिवेदन माननीय आयोग को प्रस्तुत कर दिया है। माननीय आयोग के क्र0 MPERC/RE/T.D./2020/525 दिनांक 13.03.2020 से आवेदिका का प्रतिवेदन अनावेदकों को अग्रेषित किया है। आवेदिका का प्रतिवेदन एनेक्चर – 8 के रूप में संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है।

8. टैरिफ निर्धारण और इसकी प्रक्रियां/नियम/शर्तें एवं निबंधन माननीय आयोग का विशेषाधिकार है। इस संबंध में याचिका 3402/2006 पीटीसी इंडिया विरूद्ध केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, (2010) 4 SCC 603 का आदेश एनेक्चर – 9 के रूप में संलग्न है । इसके अनुसार ''टैरिफ'' की व्याख्या अधिनियम 2003 में नहीं की गई हैं। 'टैरिफ' शब्द की सीमा में न केवल दरों का बल्कि इससे संबंधित नियमों एवं विनियमों का निर्धारण किया जाना है। अधिनियम 2003 की धारा 61 एवं 62 के अनुसार समुचित आयोग अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए शर्तो। एवं निबंधनों को विनिर्दिष्ट करते हुए वास्तविक टैरिफ का निर्धारण करेगा। धारा 62 एवं 64 से स्पष्ट है कि यद्यपि मूल्य निर्धारण की तरह टैरिफ निर्धारण की प्रकृति वैधानिक है, इसको अधिनियम की धारा – III में अपीलीय बनाया गया है। ये प्रावधान यानि धारा 61, 62 एवं 64 नियामाक आयोगों की द्वि–प्रकृति कार्यप्रणाली को इंगित करते हैं यथा निर्णय लेना तथा टैरिफ निर्धारण के लिए शर्तों एवं निबंधनों को विनिर्दिष्ट करना।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को खारिज किए जाने तथा उन्हें TMM का मामला माननीय आयोग के समक्ष उठाए जाने हेतु निर्देशित किए जाने का निवेदन है।

9. आवेदिका की सम्पूर्ण शिकायत छुपाये गए तथ्यों, बहकाने वाले तर्कों, गलत प्रस्तुतीकरण, नियमों/विनियमों/कानून के प्रति अज्ञानता पर आधारित है। आवेदिका की कोई भी प्रार्थना अनुरक्षणीय नहीं हैं। आवेदिका द्वारा लगाए गए सभी आरोपों और प्रस्तुत मन्तव्यों का

अनावेदक खण्डन करते हैं। और प्रस्तुत शिकायत में कानून की दृष्टि से कोई महत्ता नहीं होने से, प्रश्नाधीन विवादित प्रकरण आधारहीन होने तथा आवेदिका द्वारा उठाए गए मुद्दों में कोई मेरिट नहीं होने से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शिकायत तथा की गई प्रार्थना खारिज किए जाने का निवेदन है।

09. अनावेदकों के उक्त लिखित प्रस्तुतीकरण पर आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा अनावेदक क्र. 02 के उत्तर दिनांक 25.08.2020 पर डाक से प्रेषित अपने पत्र दिनांक 04.09.2020 से तथा अनावेदक क्र. 01 के समान उत्तर पर डाक से प्रेषित अपने पत्र (अदिनांकित) से जो 08.10.2020 को प्राप्त हुआ, अपना प्रत्युत्तर डाक से प्रेषित किया। इनमें आवेदिका अधिवक्ता ने अनावेदकों के कथनों / तर्कों का विरोध करते हुए पूर्व में प्रस्तुत अपने कथनों / तर्कों को दोहराया है ।

आवेदिका के अधिवक्ता ने अनावेदक क्र. 01 के पत्र क्र. 2264 दिनांक 07.09.2020 पर डाक से प्रेषित अपने अदिनांकित लिखित प्रत्युत्तर जो 08.10.2020 को प्राप्त हुआ, में निवेदन किया कि प्रस्तुत दस्तावेजों और विभिन्न सुनवाईयों में किए गए एवं संधारित मौखिक कथनों के आधार पर प्रकरण में आदेश पारित किया जावे । इसके साथ ही अपने पत्र क्रमांक – निरंक दिनांक 04. 09.2020 जो डाक से प्राप्त हुआ, में सूचित किया कि आवेदिका द्वारा प्रकरण में अन्तिम प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है और वे आगे कोई और सुनवाई नहीं चाहती हैं अतः अंतिम निर्णय पारित किया जाए । इसी प्रकार अनावेदकों की ओर से भी ई–मेल दिनांक 02.11.2020 से सूचित किया गया कि उनके द्वारा 25.08.2020 को डाक से प्रेषित पत्र को अंतिम प्रस्तुती मानते हुए निर्णय पारित कर दिया जाए ।

अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त कर प्रकरण को आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

10. आवेदिका द्वारा प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रकरण में निर्विवादित तथ्य निम्नानुसार है :–

1. आवेदिका का एक उच्चदाब विद्युत कनेक्शन श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ के नाम से जबलपुर में है, जिसकी स्वीकृत संविदा मांग 11 के.व्ही. पर 120 के.वी.ए. / 108 कि.वा. है ।
2. आवेदिका ने जनवरी 2019 में केन्द्र शासन से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त कर 100 कि.वा. के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कर इसको वितरण अनुज्ञप्तिधारी म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (संक्षेप में – वितरण अनुज्ञप्तिधारी) से नेट मीटर कनेक्शन प्राप्त किया ।
3. सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के बाद जनवरी, 2019 से जुलाई 2019 की अवधि में आवेदिका के उच्चदाब विद्युत कनेक्शन की मासिक अधिकतम मांग 92 के.वी.ए. तक ही रही । अतः आवेदिका द्वारा अपनी संविदा मांग 120 के.वी.ए. से घटाकर 100 के.वी.ए. किए जाने हेतु

वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अनावेदक क्र. 1 के कार्यालय में दिनांक 28.08.2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया ।

4. आवेदिका के अनुसार अनावेदक क्र. 1 द्वारा उक्त आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर (संक्षेप में – फोरम) के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जिसे फोरम में प्रकरण क्र. 3680/2019 पर दर्ज किया गया । शिकायत में आवेदिका ने वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ग्रिड से सकल आयातित विद्युत (Gross Electricity Imported from Grid - Gross Electricity generation from RE system injected in to the Grid) के आधार पर किए जाने को भी चुनौती दी थी ।

5. फोरम द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों की सुनवाई कर प्राप्त तथ्यों के आधार पर दिनांक 31.12.2019 को निम्नानुसार आदेश पारित किया :–

   i) आवेदक/शिकायतकर्ता संविदा मांग को घटाने के लिए अधीक्षण अभियंता (शहर) वृत्त, जबलपुर के प्रतिवाद पत्र दिनांक 13.11.19 (प्रदर्श आर) के अनुसार सोलर प्लांट की क्षमता को घटाना सुनिश्चत करे।

   ii) प्रतिवादी क्र0 02 को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विषय का स्पष्ट परिपत्र जारी करें।

   iii) उपभोक्ता के माह अक्टूबर–19 के विद्युत देयक के संशोधन तथा पुरानी विवादित राशि रू. 1,58,143/– के समायोजन का प्रश्न है उसके लिए आवेदिका/उपभोक्ता अपना पक्ष/याचिका म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग, भोपाल के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं।

   iv) प्रकरण में उभय पक्ष अपना–अपना व्यय वहन करेंगे ।

6. उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर आवेदिका द्वारा फोरम के उक्त आदेश को निरस्त करने तथा संविदा मांग कम 100 के.व्ही.ए. किए जाने व अधिक बिल की गई राशि रू0 1,58,143/– का समायोजन किए जाने हेतु प्रश्नाधीन अपील विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

11. उभयपक्षों द्वारा विवादित मामले के अलावा भी कई अन्य मुद्दे उठाए गए हैं जिनमें जहां अपीलार्थी की ओर से अनावेदक क्र. 2 के द्वारा जारी प्रकरण प्रभारी के नियुक्ति आदेश की वैधता पर वहीं अनावेदक क्र. 2 की ओर से अपीलार्थी के अधिवक्ता को पैरवी हेतु अधिकार प्राप्त नहीं होने संबंधी मुद्दा प्रमुख है। यहां यह स्पष्ट करना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है कि फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना उपभोक्ता सेवाओं को सुनिश्चित किए जाने के साथ–साथ उपभोक्ता शिकायतों का समयबद्ध तथा संतोषप्रद निराकरण करने की दृष्टि से की गई है और इनकी स्थापना माननीय म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की

शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009' के अन्तर्गत की गई है। इसके विनियम 4.11 (ब) में विनिर्दिष्ट है कि विद्युत लोकपाल एक सांविधिक निकाय है जो विद्युत अधिनियम 2003 तथा विद्युत नियम 2005 के मापदण्डों के अन्तर्गत प्रचलित होता है। मामले, जो कि दाखिल किये गये अभ्यावेदन के विषय–वस्तु हैं, में विद्युत लोकपाल विद्युत लोकपाल प्रथमतः परामर्शदाता अथवा मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन करेगा तथा शिकायतों का निपटान करते समय उपभोक्ताओं के अभ्यावेदनों पर अधिनियम के उपबंधों, इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा विनियमों अथवा केन्द्र/राज्य सरकार अथवा आयोग द्वारा जारी सामान्य आदेशों अथवा निर्देशों के सुसंगत विचार करेगा। इसके साथ–साथ विनियम 4.19 एवं 4.20 के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि विद्युत लोकपाल विशुद्ध न्यायिक निकाय न होकर एक सांविधिक निकाय है और दर्ज प्रकरणों में अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी स्वयं या उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता/प्रतिनिधि के माध्यम से विद्युत लोकपाल के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इन प्रावधानों के प्रकाश में प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए केवल उन तर्कों को विचारित किया गया है जो शुद्ध रूप से विवादित प्रकरण की विषय–वस्तु से ही संबंधित हैं।

12. उभयपक्षों द्वारा विभिन्न सुनवाईयों तथा Covid-19 के चलते डाक से प्रेषित प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत कथनों/तर्कों तथा साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में विवाद से संबंधित निम्न दो बिन्दु परिलक्षित होते हैं :–

(अ) <u>संविदा मांग में वांछित कमी</u> –

क्या आवेदिका उपभोक्ता के नेट मीटरिंग उच्चदाब कनेक्शन की संविदा मांग में उसके द्वारा स्थापित सौर संयंत्र की स्थापित क्षमता से नीचे कमी की जा सकती है ?

(ब) <u>टैरिफ मिनिमम प्रभारों की बिलिंग</u> –

क्या आवेदिक उपभोक्ता के नेट मीटरींग उच्चदाब कनेक्शन की बिलिंग में Guaranteed Minimum Consumption) अर्थात् टैरिफ मिनिमम (संक्षेप में– TMM) की गणना उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ग्रिड से सकल आयातित विद्युत की मात्रा (kwh) के आधार पर की जानी चाहिए या यह गणना ग्रिड से आयातित सकल विद्युत की मात्रा (kwh) में से उपभोक्ता के सौर संयंत्र द्वारा उत्पादित तथा अनुज्ञप्तिधारी को ग्रिड में डालकर निर्यात की गई विद्युत की मात्रा (kwh) घटाकर प्राप्त की गई शुद्ध खपत (Net Consumption) पर की जानी चाहिए।

13. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं साक्ष्यों के आधार पर संबंधित नियमों एवं विनियमों के अनुसार प्रकरण की निम्नानुसार बिन्दुवार विवेचना की गई और इसके लिए केवल विवाद से संबंधित कथनों, तर्कों एवं साक्ष्यों को ही विवेचना में लिया गया है।

(अ) <u>संविदा मांग में वांछित कमी</u> :—

उभयपक्षों की ओर से अपने पक्ष में प्रस्तुत किए तर्कों में निम्न विनियम, संहिता तथा नीतियों को संदर्भित किया गया है, अतः इनके संदर्भ में प्रस्तुत तर्कों की विवेचना की गई।

i) म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 (संक्षेप में — संहिता)

ii) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए म.प्र. शासन की प्रोत्साहन नीति 2006 (संक्षेप में — प्रोत्साहन नीति 2006)

iii) म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह—उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2010 उत्तरवर्ती संशोधनों सहित (संक्षेप में — विद्युत का सह—उत्पादन/उत्पादन विनियम 2010)

iv) विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की म.प्र. शासन की नीति 2016 (संक्षेप में — विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली नीति 2016)

v) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम 2015 (संक्षेप में — नेट मीटरींग विनियम 2015)

1. आवेदिका अपीलार्थी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा संविदा मांग में कमी विद्युत का सह—उत्पादन/उत्पादन विनियम 2010 के विनियम 11.2 के अन्तर्गत की गई है जिसमें प्रावधानित है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता जो अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत प्रदाय प्राप्त कर रहे हैं, को म.प्र. शासन की प्रोत्साहन नीति 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमति दी जाएगी। इस विनियम के तीन उत्तरवर्ती संशोधन 2015 में जारी नेट मीटरिंग विनियम अधिसूचित किए जाने के बाद अधिसूचित किए गए हैं किन्तु माननीय आयोग द्वारा विनियम 11.2 में कोई संशोधन नहीं किया है जिसके पीछे यह मंशा स्पष्ट होती है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत के उत्पादन को बढ़ावा देने की म.प्र. शासन की प्रोत्साहन नीति 2006 की भावना के अनुरूप ही विनियम 11.2 को यथावत् रखा गया है।

   इस संबंध में अनावेदकों का तर्क है कि म.प्र. शासन की प्रोत्साहन नीति 2006 की वैधता केवल 5 वर्ष के लिए थी जो इसकी कण्डिका—39 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। इस प्रकार प्रोत्साहन नीति 2006, अक्टोबर 2011 में समाप्त हो चुकी है अतः इसके प्रावधान

अपीलार्थी के उच्चदाब नेट मीटरींग कनेक्शन जो जनवरी 19 में प्रदान किया गया था, पर लागू नहीं होते हैं।

2. उभयपक्षों के तर्कों की विवेचना के लिए विद्युत का सह–उत्पादन/उत्पादन विनियम 2010 की कण्डिका 11.2 तथा म.प्र. शासन की प्रोत्साहन नीति 2006 की कण्डिका–14 का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार उद्घृत हैं ।

– विद्युत का सह–उत्पादन/उत्पादन विनियम 2010

11.2 *वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के ऐसे उपभोक्ता, जो ऊर्जा के अपारम्परिक स्त्रोतों से विद्युत प्रदाय का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, की संविदा मांग में कमी को, म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 17.10.2006 को अधिसूचित की गई म.प्र. राज्य में अपारम्परिक स्त्रोतों के माध्यम से विद्युत के उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने संबंधी प्रोत्साहन नीति के उपबंधों के अनुसार, अनुज्ञेय किया जाएगा।*

– म. प्र. शासन की प्रोत्साहन नीति 2006

14. ***कांट्रेक्ट डिमाण्ड में कमी :–*** *ऐसी औद्योगिक ईकाईयां जो मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की उपभोक्ता है यदि पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत से उत्पादन हेतु स्वंय के उपयोग के लिए ईकाई स्थापित करती है या तृतीय पार्टी के रूप में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत से उत्पादित विद्युत क्रय करती है तो ऐसी ईकाईयों को कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड में कमी की सुविधा दी जाएगी एवं यह ईकाई अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत से उत्पादित विद्युत का उपयोग कर सकेगी।*

39. *यह प्रोत्साहन नीति 5 वर्ष के लिए होगी। विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का सं. 36) में निहित प्रावधानानुसार यदि केन्द्र सरकार कोई राष्ट्रीय नीति जारी करती है तो तद्नुसार इस नीति को परिवर्तित किया जाएगा।*

उक्त अवलोकन से एक ओर जहां विद्युत का सह–उत्पादन/उत्पादन विनियम 2010 की कण्डिका 11.2 में प्रावधानित है कि अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत प्रदाय प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं की संविदा मांग में कमी की अनुमति प्रोत्साहन नीति 2006 के प्रावधानों के अनुसार दिए जाने की पुष्टि होती हैं, वहीं प्रोत्साहन नीति 2006 की कण्डिका–14 से भी संविदा मांग में कमी किए जाने की सामान्य रूप से पुष्टि होती है। किन्तु इस नीति की कण्डिका–39 से ज्ञात होता है कि इस नीति की वैधता केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए ही थी इस प्रकार अक्टोबर 2006 में अधिसूचित यह नीति अक्टोबर 2011 में समाप्त हो चुकी है। अपीलार्थी को जनवरी 2019 में नेट मीटरींग कनेक्शन प्रदान किए जाते समय ऐसी कोई प्रोत्साहन नीति अस्तित्व में नहीं थी । अतः नीति के अस्तित्व में नहीं रहने से इसके प्रावधानों को प्रभावी किए जाने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है ।

यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि उक्त संदर्भित विनियम एवं प्रोत्साहन नीति के प्रावधान अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत प्रदाय प्राप्त करने के आधार उपभोक्ताओं की संविदा मांग में कमी को सामान्य रूप से प्रतिपादित करता है किन्तु अनुज्ञेय की जाने वाली कमी के परिमाण संबंधी कोई प्रावधान इसमें निर्दिष्ट नहीं है। इस कण्डिका–14 के सावधानीपूर्वक अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता को संविदा मांग में कमी की सुविधा इस प्रकार दी जाएगी कि वह उत्पादित पूर्ण विद्युत का उपयोग कर सकें। यहां विद्युत का उपयोग उपभोक्ता की उसकी विद्युत आवश्यकता से है जो कि उसकी संविदा मांग पर आधारित है और उत्पादित विद्युत का आशय नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता से है। इस प्रकार उत्पादित विद्युत का पूर्ण उपयोग तभी संभव है जब स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की अधिकतम उत्पादन क्षमता उपभोक्ता की स्वीकृत संविदा मांग के बराबर हो क्योंकि संविदा मांग से अधिक उत्पादन क्षमता होने पर उत्पादित विद्युत का पूर्ण उपयोग वास्तविकता में संभव ही नहीं हो सकता है।

अपीलार्थी द्वारा अपने प्रस्तुतीकरणों में संविदा मांग में कमी को मुद्दा बनाया गया है जबकि यथार्थ में यह मुद्दा सौर संयंत्र की क्षमता के सापेक्ष संविदा मांग में कमी का है। अनावेदकों द्वारा भी अपीलार्थी की संविदा मांग में कमी की मांग को अस्वीकार नहीं किया गया है वरन सौर संयंत्र की स्थापित क्षमता के साक्षेप अपीलार्थी द्वारा मांग की गई कमी की मात्रा/परिमाण के लिए असहमति व्यक्त करते हुए सौर संयंत्र की क्षमता को संविदा मांग तक सीमित रखने का विकल्प दिया है। संविदा मांग में कमी की सुविधा दिया जाना निर्विवादित रूप से विधिसंगत होकर स्वीकार योग्य है किन्तु संविदा मांग में सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता के सापेक्ष एक निश्चित परिमाण तक की कमी किया जाना एक अलग एवं विशिष्ट मुद्दा है जिसको केवल उक्त विनियम एवं प्रोत्साहन नीति के संकेतात्मक प्रावधानों के दायरें में विचारित किया जाना, जबकि माननीय आयोग द्वारा जारी संबंधित नेट मीटरिंग विनियम 2015 भी अस्तित्व में होकर प्रभावशील है, उचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक उक्त विनियम एवं प्रोत्साहन नीति के प्रावधानों का प्रश्न है, अनावेदकों का तर्क विधि अनुसार होकर स्वीकार योग्य पाया जाता है।

3. अनावेदकों का तर्क है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने आवेदिका को नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2015 एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए म.प्र. राज्य की प्रोत्साहन नीति 2010 के संरेखित नेट मीटरींग कनेक्शन प्रदान किया है और यह कनेक्शन नेट मीटरींग रेगुलेशन 2015, जिसमें ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन तथा

मीटरींग व्यवस्था विनिर्दिष्ट है, के अन्तर्गत विनियमित होता है और विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणाली के लिए म.प्र. राज्य की नीति 2016 के अधीन है। इस नीति में नेट मीटरींग कनेक्शन श्रेणी–I (Category-I) में वर्गीकृत हैं। यह नीति तथा नेट मीटरींग रेगुलेशन 2015 दोनों ही आवेदिका की ओर से प्रस्तुत तर्क का समर्थन नहीं करते हैं। इस नीति में व्यवस्था दी गई है कि श्रेणी–I (नेट मीटरींग प्रकरण) के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना परिसर के आनुषंगिक (Ancillary) होगी और यह परिसर की प्रधान गतिविधि नहीं होनी चाहिए। इस प्रावधान में विशिष्ट रूप से व्यवस्था दी गई है कि नेट मीटरींग के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की अधिकतम अनुज्ञेय क्षमता उपभोक्ता के संविदाकृत भार से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक स्थापित सौर संयंत्र की क्षमता के नीचे संविदा मांग में कमी कर अधिशेष (Surplus) सौर उत्पादन क्षमता निर्मित करना चाहती है जिससे इनके सौर संयंत्र की प्रकृति आनुषंगिक (Ancillary) से प्रधान गतिविधि (Primary Activity) में परिवर्तित हो जाएगी।

आवेदिका की ओर से अनावेदकों के उक्त तर्क पर कथन किया गया है कि उक्त नीति के दिनांक 04.11.2017 को अधिसूचित संशोधन में निम्न प्रावधान किया गया है और चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई संविदा मांग में कमी इसका पालन करती है अतः चाही गई कमी को अनुमति देने में कोई प्रतिबंध नहीं है।

"The proposed capacity of renewable energy system shall align with the provision of Electricity Supply Code, 2013"

आवेदिका के अनुसार कमी किए जाने के पश्चात भी उनकी संविदा मांग संहिता के विनियत 3.4 के अनुरूप रहेगी।

विकेन्द्रीत ऊर्जा प्रणाली की नीति 2016 की कण्डिका 2(m) के अवलोकन से जहां अनावेदकों के तर्क की पुष्टि होती है वहीं संहिता 2015 के विनियम 3.4 के अलवोकन से ज्ञात होता है कि इसमें विभिन्न संविदा मांगों के लिए लागू वोल्टेज स्तर का निर्धारण किया गया है।

4. आवेदिका की ओर से नेट मीटरींग विनियम 2015 के प्रावधानों के आधार पर तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि इसके विनियम 2(j) में दी गई **'पात्र उपभोक्ता'** की परिभाषा से स्पष्ट है कि नेट मीटरींग एक निजी/स्व उपयोगी (Captive) प्रकृति की व्यवस्था है और अपीलार्थी आवेदिका संविदा मांग में इच्छित कमी कर सौर संयंत्र की अधिशेष क्षमता निर्मित करना चाहता है जो कि विनियम 7 के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है। वहीं सौर ऊर्जा

संयंत्र की स्थापित क्षमता के नीचे संविदा मांग में कमी इस संयंत्र की प्रकृति को अनुसांगिक से प्रधान गतिविधि में परिवर्तित कर देगी, जो विनियम 2(j) के प्रतिकूल होगी।

वर्तमान स्थिति में अपीलार्थी उपभोक्ता अपनी पूर्ण विद्युत आवश्यकता स्वीकृत संविदा भार (108 कि.वा.) के एक अंश (100 कि.वा.) का समायोजन सौर ऊर्जा से कर रहे हैं, किन्तु संविदा मांग में वांछित कमी पश्चात् आवेदिका की सकल विद्युत आवश्यकता संशोधित संविदा मांग के अनुसार 90 कि.वा. ही रह जाऐगी। इससे अनावेदकों के तर्क की पुष्टि होती है कि संविदा मांग में वांछित कमी पश्चात् आवेदिका उपभोक्ता की सकल विद्युत आवश्यकता के पूर्ण समायोजन पश्चात् 10 कि.वा. की अधिशेष सौर क्षमता निर्मित होगी जो विनियम 2(j) और विनियम 7 के प्रावधानों के प्रतिकूल होगी।

इस संबंध में नेट मीटरींग विनियम 2015 के विनियम 2(j) का अवलोकन किया गया, जो निम्नानुसार उद्घृत हैं :–

"2(j) - "Eligible Consumer" means a consumer of electricity in the area of supply of the Distribution Licensee, who uses a renewable energy system installed in the consumer's premises to offset part or all of the consumer's own electrical requirements, given that such systems can be self-owned or third party owned; "

उक्त अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस विनियम के अन्तर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत प्रदाय क्षैत्र में विद्युत उपभोक्ता केवल अपनी स्वयं की पूर्ण या आंशिक विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के समायोजन हेतु एक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करने पर ही अनुज्ञप्तिधारी की ग्रिड से अन्तर्संयोजन हेतु पात्र हो सकता है। यहां 'विद्युत आवश्यकता' से तात्पर्य उसके परिसर के प्रयोजन के लिए विद्युत खपत से है और इस आवश्यकता के परिमाण/मात्रा की पुष्टि विशिष्ट रूप से उपभोक्ता के संविदाकृत भार अर्थात् संविदा मांग जिसकी पूर्ति के लिए उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया है, से ही हो सकती है। इससे स्पष्ट है कि उपभोक्ता अपनी स्वयं की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना कर सकता है जिसकी क्षमता अधिकतम संविदाकृत भार/संविदा मांग के बराबर, जब वो अपनी पूर्ण विद्युत आवश्यकता का समायोजन चाहता हो, या उसके नीचे जब वह अपने संविदाकृत भार का आंशिक समायोजन चाहता हो। विनियम से स्पष्ट है कि उपभोक्ता अधिकतम अपनी पूर्ण विद्युत आवश्यकता अर्थात् संविदाकृत भार के समायोजन के लिए ही

नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना कर सकता है। अतः इस समायोजन के लिए संविदाकृत भार से अधिक क्षमता की ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का प्रश्न ही नही उठता है क्योंकि अधिक क्षमता की ऊर्जा प्रणाली की स्थापना उपभोक्ता की पूर्ण विद्युत आवश्यकता के Over Compensation के रूप में परिलक्षित होगी जो विनियम 2(j) के प्रावधान के प्रतिकुल होकर विधिसंगत नहीं होगी।

5. आवेदिका का तर्क है कि विनियम 6 सामान्य रूप से बताता है कि किसी परिसर में स्थापित किए जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का अनुज्ञप्तिधारी की ग्रिड से अन्तर्संयोजन के लिए इसमें निर्दिष्ट दो शर्तों का पालन करना चाहिए जिसका अपीलार्थी पालन कर रहे हैं। नेट मीटरींग विनियम 2015 के विनियम 6– **'Eligible Consumer and Individual Project Capacity'** के अनुसार सौर संयंत्र की स्थापित क्षमता, उपभोक्ता संयोजनों को अनुमति देने के संहिता के प्रावधानों से संरेखित है और कमी पश्चात् भी संविदा मांग संहिता के विनियम 3.4 के अनुरूप होगी, अतः विनियम 6 संविदा मांग में कमी को प्रतिबंधित नहीं करता है। इस विनियम में प्रावधानित है कि स्थापित क्षमता उच्चदाब संयोजनों की अनुमति प्रदान करने हेतु म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के उपबंधों के साथ संरेखित किया जाना है तथा उत्पादित विद्युत को तृतीय पक्ष को विक्रय नहीं किया जाएगा। इसमें ये उल्लेख नहीं है कि सोलर प्लांट की क्षमता आवेदक की संविदाकृत मांग से कम होनी चाहिए। उनके द्वारा सौर संयंत्र की स्थापना स्वयं के उपयोग के लिए की गई है और वह उत्पादित विद्युत को किसी तृतीय पक्ष को विक्रय में संलग्न नहीं है ना ही वह ऐसा कोई इरादा रखती हैं।

अनावेदकों की ओर से केवल विनियम 6 को अपने लिखित कथनों में उद्घृत किया गया है किन्तु इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी है तथापि अपीलार्थी के तर्क की विवेचना के लिए विनियम 6 जो निम्नानुसार उद्धृत है, का अवलोकन किया गया।

> **"6. 'Eligible Consumer and individual project capacity:-** The capacity of Renewable Energy System to be installed at any premises shall be subject to the following conditions:-
>
> (i) The installed capacity shall be aligned with the provisions of the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013, for permitting consumer connections.
>
> (ii) Third party sale shall not be allowed. **"**

चूंकि किसी भी पक्ष द्वारा उपभोक्ता संयोजन की अनुमति दिए जाने संबंधी संहिता के किसी विशेष प्रावधान का उल्लेख अपने कथन/तर्क में नहीं किया है, अतः उक्त विनियम 6 के आधार पर नीतिगत विवेचना की गई। इस विनियम के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि संहिता के जिन प्रावधानों के अन्तर्गत उपभोक्ता संयोजन को अनुमति दी जाती है वही प्रावधान नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता निर्धारण के लिए लागू होंगे और इस स्थिति में किसी उपभोक्ता विशेष को संहिता के प्रावधान अनुसार एक निश्चित संविदाकृत भार के लिए विद्युत कनेक्शन दिया गया है तब उन्हीं प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की अधिकतम क्षमता भी संयोजन के स्वीकृत संविदाकृत भार अर्थात् संविदा मांग के बराबर ही हो सकती है। इस विवेचना के आधार पर आवेदिका की ओर से प्रस्तुत तर्क स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

6. आवेदिका का कथन है कि अनावेदकों ने फोरम के समक्ष नेट मीटरींग विनियम 2015 के विनियम **'7. Interconnection with the Grid'** के प्रावधानों को आधार बनाया था किन्तु उनके द्वारा इस धारा की गलत अवधारणा प्रतिपादित की गई है इस धारा में स्पष्ट उल्लेख है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र से किसी विशिष्ट क्षमता के नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का अंतर संयोजन, संविदाकृत भार ''और/या'' उपभोक्ता को लागू उसके तत्संबंधी वोल्टेज स्तर पर मध्यप्रदशे विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के उपबंधो के अनुसार किया जावेगा। इस धारा में संविदाकृत भार और प्रदाय वोल्टेज स्तर के मध्य प्रयुक्त ''और/या'' किसी भी प्रकार से सोलर प्लांट की स्थापित क्षमता से नीचे संविदाकृत मांग में वांछित कमी उपरांत सोलर प्लांट का ग्रिड से अंतर संयोजन प्रतिबंधित नहीं करता है। अर्थात संविदाकृत भार **''और/या''** तथा ''उपभोक्ता को लागू उसके तत्संबंधित वोल्टेज स्तर'' में से कोई भी शर्त का पालन होने पर उपभोक्ता के सोलर प्लांट का अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र से अन्तर्संयोजन किया जाना वैधानिक रूप से बाध्यकारी है।

आवेदक संस्था के प्रकरण में इन दोनों शर्तों में से बाद की शर्त का आवेदक संस्था मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहित 2013 के उपबंधो के अधीन पालन करती है। मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की धारा 3.4 में प्रावधानित ह कि 11 के.व्ही. पर नवीन संयोजन कि संविदाकृत मांग 50 से 300 के.व्ही.ए. के मध्य होगी। आवेदित वांछित कमी पश्चात आवेदिका संस्था की संविदाकृत मांग 11 के.व्ही. पर 100 के.व्ही.ए. होगी जो मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 3.4 के अनुरूप होकर उसका पालन करती है।

अनावेदक द्वारा इस संबंध में उठाई गई इस आपत्ति का कि सोलर प्लांट की स्थापित क्षमता के नीचे कमी संमांग में कमी रेग्युलेशन की धारा 7 के प्रावधान के अंतर्गत स्वीकृत नहीं की जा सकती का कोई विधिक आधार नहीं है।

'और/या' की समुचित व्याख्या के लिए आवेदिका की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन आदेशों की प्रतियां तथा माननीय न्यायाधीश जी.पी. सिंह की पुस्तक – 'Principle of Staturary Interpretations' के संबंधित अंश दृष्टांत स्वरूप प्रस्तुत हैं। आवेदिका संस्था के प्रकरण में इन दोनों शर्त में से बाद की शर्त 'उपभोक्ता को लागू उसके तत्संबंधी वोल्टेज स्तर' का संहिता के उपबंधों के अधीन पालन करती है। इस विनियम 7 में प्रयुक्त शब्द 'And/or' का स्पष्ट अर्थ निम्नानुसार होगा –

A. "Until such time, the interconnection of the renewable energy system of a capacity with the network of the distribution system shall be made on the contracted load and respective voltage level applicable to the consumer as per the provisions of Electricity Supply Code 2013."
B. "Until such time, the interconnection of the renewable energy sytem of a capacity with the network of the distribution system shall be made on the contracted load or respective voltage level applicable to the consumer as per the provision of Electricity Supply Code 2013."

यदि माननीय आयोग की मंशा दोनो शर्त यथा 'संविदाकृत भार' तथा 'उपभोक्ता को लागू तत्संबंधी वोल्टेज स्तर' के अनिवार्य पालन की होती तो विनियम में 'And' के स्थान पर 'And/Or' लिखने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे भी विनियम 7 का दूसरा भाग का जो "Until such time" (तब तक) से शुरू होता है अर्थात् केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तन्त्र (Network) से अन्तर्संयोजन हेतु तकनीकी मापदंड का विनियम जारी लिए जाने तक, कोई महत्व नहीं है क्योंकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा CEA (Technical Standards for connectivity of the Districuted Generation Resources) Regulations, 2019 दिनांक 06.02.2019 को अधिसूचित किया जा चुका है जिसमें संविदा मांग तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापित क्षमता के मध्य कोई संबंध प्रतिपादित नहीं किया गया है। इस प्रकार विनियम 7 आवेदिका की संविदा मांग में कमी को प्रतिबंधित नहीं करता है।

अनावेदकों की ओर से आवेदिका का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी विनियम 7 का गलत अर्थ लगा रही हैं।

आवेदिका के इस तर्क का कि CEA द्वारा अधिसूचित CEA (Technical Standards for Connectivity of the Districuted Generation Resources) Regulation 2019 में उपभोक्ता की संविदा मांग और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापित क्षमता में कोई स्पष्ट संबंध नहीं दर्शाया गया है अतः विनियम 7 का दूसरा भाग महत्वहीन है, के संबंध में अनावेदकों का तर्क है कि नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2015 के विनियम 6 तथा 2(o) एवं 2(q) में 'नेट मीटरींग' तथा 'परिसर' की दी गई परिभाषा अनुज्ञप्तिधारी को विवश करती है कि कनेक्शन संविदा मांग के बराबर या उससे नीचे के लिए नेट मीटरींग प्रदान किया जावे। चूंकि CEA के विनियम में उक्त संबंध निर्दिष्ट नहीं करने हैं इसलिए विनियम 7 का दूसरा भाग i.e. 'Until such time ……….' अभी भी प्रभावशील है। CEA विनियम में स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से नीवनकरणीय ऊर्जा प्रणाली की अनुज्ञेय क्षमता के निर्धारण के लिए विनियम एक हल प्रदान करता है। राज्य के तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारी CEA के विनियम में विनिर्दिष्ट तकनीकी मापदण्डों के आधार पर नीवकरणीय ऊर्जा प्रणाली ग्रिड से अन्तर्संयोजन की अनुमति दे रहे हैं किन्तु इस प्रणाली की अनुज्ञेय क्षमता के लिए वे विनियम 7 का अनुसरण करते हुए प्रणाली की क्षमता संविदाकृत भार तक नियंत्रित कर रहे हैं। चूंकि उपभोक्ताओं द्वारा विनियम 7 की अपनी सुविधानुसार व्याख्या की जा रही है अतः नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की अनुज्ञेय क्षमता पर उचित स्पष्टीकरण का मुद्दा प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नीवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से माननीय आयोग में दायर याचिका क्र. 42/2019 में माननीय आयोग के समक्ष उठाया गया है। चूंकि यह मुद्दा माननीय आयोग के समक्ष विचाराधीन है, अतः मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009' विनियम 2009 के विनियम 4.11 जिसमें उन मुद्दों पर जो माननीय आयोग के समक्ष विचाराधीन या प्रस्तावित हों उन्हें लोकपाल द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना प्रावधानित है, का अवलोकन किया जावें।

अनावेदकों के माननीय आयोग के समक्ष मुद्दा उठाने के आधार पर संविदा मांग में कमी के आवेदिका के प्रकरण को लोकपाल के क्षैत्राधिकार के बाहर बनाए जाने के संबंध में आवेदिका की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चूँकि माननीय आयोग द्वारा सुनवाई के बाद जो भी पुनरीक्षण/संशोधन किया जावेगा वह विधि अनुसार आदेश दिनांक के

बाद के समय के लिए लागू होगा, अतः फोरम/विद्युत लोकपाल की स्थापना विनियम 2009 का विनियम 4.11 कोई वैधानिक बाधा उत्पन्न नहीं करता है।

उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों की विवेचना के लिए नेट मीटरींग रेगुलेशन 2015 के विनियम 7, जो निम्नानुसार उद्द्यृत है, का सुक्ष्मता एवं सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया :–

"7. Interconnection with the Grid

The interconnection of the renewable energy system with the network of the Distribution licensee shall be made as per the technical standards for connectivity of distributed generated resources Regulations to be notified by the Central Electricity Authority. Until such time, the interconnection of the renewable energy system of a particular capacity, with the network of the Distribution licensee, shall be made on the contracted load and/or respective voltage level applicable to the consumer as per the provisions of Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013. All the cost related to augmentation shall be borne by the consumer. Provided that the system fulfils the technical requirements for grid interconnection with the network of the distribution licensee."

उक्त विनियम के अवलोकन से ज्ञात होता है कि Interconnection (अन्तर्संयोजन) के दो मुख्य कारक हैं – पहला **'संविदाकृत भार'** और दूसरा **'उपभोक्ता को लागू उसका तत्संबंधी वोल्टेज स्तर'**। विनियम के अनुसार कोई उपभोक्ता नेट मीटरींग व्यवस्था के अन्तर्गत अपनी पूर्ण विद्युत आवश्यकता अर्थात् संविदाकृत भार के बराबर या उसके अंश के समायोजन के लिए नवीकरणीय प्रणाली की स्थापना कर सकता है। यहां पर नोट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस विनियमों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना उपभोक्ता की स्वयं की विद्युत आवश्यकता के समायोजन के लिए अनुज्ञेय की गई है और उपभोक्ता इस प्रणाली से अपनी पूर्ण विद्युत आवश्यकता का समायोजन भी कर सकता है। अब चूंकि उपभोक्ता की पूर्ण विद्युत आवश्यकता उसके स्वीकृत संविदाकृत भार/संविदा मांग से परिलक्षित होती है अतः अपनी पूर्ण विद्युत आवश्यकता (पूर्ण संविदा मांग के बराबर) के समायोजन के लिए स्थापित की जाने वाली प्रणाली क्षमता भी संविदा मांग के बराबर ही हो सकती है, इससे अधिक नहीं। अब यदि उपभोक्ता द्वारा अपनी संविदाकृत भार के किसी अंश के समायोजन के लिए ऐसी प्रणाली की स्थापना की है तो निश्चित रूप से उसकी क्षमता संविदाकृत भार से कम होगी और ऐसी स्थिति में संविदाकृत भार पर प्रणाली का वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ग्रिड से अन्तर्संयोजन संभव नहीं

हो सकता है। वहीं दूसरी ओर विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधानों के अनुसार संबधित उपभोक्ता जिस वोल्टेज स्तर पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्रदाय प्राप्त कर रहा है उस वोल्टेज स्तर के अलावा अन्य वोल्टेज स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का अन्तर्संयोजन नहीं किया जा सकता है।

इसके आधार पर आवेदिका का यह तर्क कि दोनों शर्तों अर्थात् **'संविदाकृत भार'** एवं **'लागू वोल्टेज स्तर'** में से किसी भी एक शर्त का पालन होने से उपभोक्ता अपनी प्रणाली का वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ग्रिड से अर्न्तसंयोजन के लिए पात्र हो जाता है विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

7. आवेदिका का आगे तर्क कि विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानानुसार उनके उच्चदाब नेटमीटरींग कनेक्शन के वोल्टेज स्तर के लिए वह इस वोल्टेज स्तर पर संहिता के अनुसार अधिकतम अनुज्ञेय संविदाकृत भार 300 के.व्ही.ए./270 कि.वा. के बराबर क्षमता सौर संयंत्र की स्थापना कर सकता है चाहे उसका संविदाकृत भार संहिता में प्रावधानित अनुज्ञेय सीमा के अन्दर कितना भी क्यों ना हो। आवेदिका का यह तर्क भी नेट मीटरींग विनियम, 2015 के विनियम 2(j) तथा विनियम 6 की पूर्व में की गई विवेचना के आधार पर सुसंगत नहीं पाया जाता है।

वहीं दूसरी ओर अनावेदकों की ओर से प्रस्तुत तर्क की नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ग्रिड से अन्तर्संयोजन के लिए विनियम 7 में उल्लेखित दोनों शर्तों अर्थात् 'संविदाकृत भार' एवं 'लागू वोल्टेज स्तर' का पालन होना अनिवार्य है भी स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है क्योंकि यदि उपभोक्ता द्वारा अपने संविदाकृत भार के मात्र एक अंश के समायोजन के लिए उक्त प्रणाली की स्थापना की है तो प्रणाली की क्षमता संविदाकृत भार से कम होगी और इस परिस्थिति में संविदाकृत भार पर ग्रिड से अर्न्तसंयोजन संभव नहीं होगा। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता संविदाकृत भार के बराबर होने पर अर्थात् जब नेट मीटर्ड उपभोक्ता अपनी विद्युत आवश्यकता का पूर्ण समायोजन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से करता है तब इस प्रणाली का अनुज्ञप्तिधारी की ग्रिड से अन्तर्संयोजन संविदाकृत भार अर्थात् संविदा मांग पर तथा तत्संबंधी लागू वोल्टेज स्तर पर होगा। किन्तु अपनी विद्युत आवश्यकता का आंशिक समायोजन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से करने पर इस प्रणाली का अनुज्ञप्तिधारी की ग्रिड से अन्तर्संयोजन संविदाकृत भार अर्थात् संविदा मांग पर संभव नहीं हो सकेगा और इस स्थिति में अन्तर्संयोजन तत्संबंधी लागू वोल्टेज स्तर पर होगा।

अतः नेट मीटरींग विनियम 2015 के विनियम 2(j) एवं 6 के प्रकाश में विनियम 7 के उक्तानुसार सुक्ष्मतापूर्वक एवं सावधानीपूर्वक किए गए अवलोकन से इस विनियम 7 के दूसरे भाग जो 'Until such time ….' से शुरू होता है कि समुचित व्याख्या, नेट मीटरींग रेगुलेशन 2015 की मूल भावना के अनुरूप, निम्नानुसार होगी :–

"……….Until such time, the interconnection of the renewable energy system of a particular capacity with the network of the Distribution Licensee, shall be made on the contracted load **AND** respective voltage level applicable to the consumer as per the provision of the M.P Electricity Supply Code 2013 where the capacity of RE system in equal to the contracted load of the consumer **OR** on the respective voltage level applicable to the consumer as per the provision of the M.P. Electricity Supply Code 2013 where intalled capacity of RE system is less then the contracted load of the consumer."

आवेदिका का तर्क यदि मान्य किया जाए तो कोई भी उपभोक्ता लागू वोल्टेज स्तर की शर्त का पालन करते हुए अपने संविदाकृत भार से कहीं अधिक क्षमता की प्रणाली की स्थापना कर सकेगा और अपनी पूर्ण विद्युत आवश्यकता के समायोजन के बाद भी अधिशेष विद्युत उत्पादन क्षमता निर्मित करेगा जो कि विनियम 2(j) के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से स्वीकार योग्य नहीं हैं। इसके अलावा, उपभोक्ता संविदाकृत भार की शर्त का पालन करते हुए उसको तत्संबंधी लागू वोल्टेज स्तर से इतर वोल्टेज स्तर पर ग्रिड से अर्न्तसंयोजन की मांग करेगा जो विनियम 7 से संरेखित नहीं होने से मान्य नहीं है। नेट मीटरींग विनियम 2015 के संबंधित विनियमों के प्रावधान अपीलार्थी के तर्क से सहमति का समर्थन नहीं करते हैं।

जहां तक CEA द्वारा अधिसूचित Central Electricity Authority (Technical Standards for connectivity of the Distributed Generating Resources) Regulations, 2019 के संबंध में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्क का प्रश्न है, अपीलार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है कि इसमें संविदाकृत भार तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता के मध्य कोई स्पष्ट संबंध नहीं दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में अनावेदकों का यह तर्क कि चूंकि CEA द्वारा अधिसूचित विनियम में संविदाकृत भार तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता के मध्य कोई स्पष्ट संबंध निरूपित नहीं किया गया है इसलिए इन प्रणाली की अनुज्ञेय क्षमता के निर्धारण के लिए नेट मीटरींग विनियम 2015 के विनियम 7 का दूसरा भाग 'Until such time …….' एक हल प्रदान करता है और राज्य के तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारी CEA के विनियम में विनिर्दिष्ट तकनीकी मापदण्डों के आधार पर

नीवकरणीय ऊर्जा प्रणाली ग्रिड से अन्तर्संयोजन की अनुमति दे रहे हैं किन्तु इस प्रणाली की अनुज्ञेय क्षमता के लिए वे विनियम 7 का अनुसरण करते हुए प्रणाली की क्षमता संविदाकृत भार तक सीमित कर रहे हैं, उचित प्रतीत होता है।

8. अनावेदकों ने कथन किया है कि उनके द्वारा माननीय आयोग के समक्ष विचाराधीन याचिका क्र0 42/2019 में तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की ओर से प्रस्तुत संयुक्त उत्तर में भी माननीय आयोग के समक्ष नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता के निर्धारण के लिए अपनाई जा रही इस प्रक्रिया की जानकारी प्रस्तुत कर माननीय आयोग से इस संबंध में समुचित स्पष्टीकरण दिए जाने का अनुरोध किया गया है। चूंकि यह मुद्दा याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका में नहीं उठाया गया है और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा परिस्थितिजन्य कारणों से माननीय आयोग के समक्ष यह एक अनुरोध के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2009' के विनियम 4.11(a) के अन्तर्गत विद्युत लोकपाल को अपीलार्थी का अभ्यावेदन ग्राह्य कर सुनवाई किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है।

(ब) <u>टैरिफ मिनिमम प्रभारों की बिलिंग</u> :–

1. आवेदिका की ओर से अनावेदकों द्वारा टैरिफ मिनिमम युनिट्स (TMM) की गणना के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विरोध किया गया है । उनका कथन है कि जनवरी 2019 में सौर संयंत्र की स्थापना के बाद आयातित युनिट्स (Import Units) में से निर्यातित युनिट्स (प्उचवतज न्दपजे) घटाकर नेट युनिट्स के आधार पर TMM युनिट्स निकाले जा रहे हैं जो अनुचित है और नेट मीटरींग विनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस विनियम के विनियम 8(3), 8(5) और 8(6) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि ग्रिड खपत से अपीलार्थी के सौर संयंत्र से उत्पादित अधिशेष मात्रा के निर्यात किए गए युनिट्स (kwh) घटाएं। अपने दिनांक 20.05.20 (02.06.20) के पत्र में उन्होंने लिखित कथन किया है कि विनियम 8(3) में कहीं भी उन उच्चदाब उपभोक्ताओं के टैरिफ मिनिमम बिलिंग की गणना के बारे में कोई प्रावधान नहीं है जिन्होंने अपने परिसर में स्वयं के उपयोग के लिए सौर संयंत्र की स्थापना की है। इस विनियम के प्रावधान अनावेदकों को इसकी इजाजत नहीं देते हैं कि वे आवेदिका के कनेक्शन की, जब सौर

संयंत्र की स्थापना नहीं की गई थी, टैरिफ मिनिमम की गणना को बदल दें जो कि आवेदिका के लिए नुकसानदेह हो।

2. आवेदिका की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि टैरिफ आदेश की गारंटीड वार्षिक विद्युत खपत संबंधी कण्डिका ग्रिड से लिए गए इनपुट युनिट्स पर लागू होती है और आवेदिका की विद्युत खपत की परिधि में आती है। अनावेदकों की बिलिंग की उक्त प्रक्रियां से जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019 की अवधि में 40131 युनिट्स जिसकी राशि 2.65 लाख रूपए होती है की अतिरिक्त बिलिंग की गई है।

3. अनावेदक नेट मीटरींग रेगुलेशन 2015 के विनियम 5 का सहारा लेकर नेट युनिट्स के आधार पर TMM की गणना कर रहे हैं जो अनुचित है क्योंकि एक्सपोर्ट किए गए युनिट्स सौर संयंत्र से उत्पादित विद्युत के अधिशेष युनिट्स हैं जो कि वास्तव में अनावेदकों को विक्रय किए गए हैं। इनको समायोजित करने से ग्रिड से की गई वास्तविक विद्युत खपत कम हो जाती है जो अनुचित TMM बिलिंग के रूप में अधिरोपित होती है। आवेदिका का निवेदन है कि आदेश में TMM की गणना इनपुट युनिट्स जो उपभोक्ता द्वारा ग्रिड से लिए और खपत किए गए हैं, के आधार पर किए जाने का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

4. अनावेदकों की ओर से कथन किया गया है कि नेट मीटरींग रेगुलेशन 2015 के विनियम 8(6) के प्रावधानानुसार उपभोक्ता टैरिफ के अलावा वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी अन्य प्रभार के लिए जो आयोग द्वारा अनुज्ञेय किए गए हों तथा शासन द्वारा अधिरोपित टेक्स/ड्यूटी/सेस के लिए बिल जारी करने के लिए अधिकृत होगा। न्युनतम टैरिफ प्रभार की मांग माननीय आयोग द्वारा जारी खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश के अनुसार की गई है। उनके द्वारा Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of Charges) Regulations, 2015 (संक्षेप में टैरिफ निर्धारण विनियम 2015) के विनियम 39 को उद्धृत किया गया है जो निम्नानुसार है :–

"Income from all charges determined by the Commission for Distribution and supply of electricity shall be considered as Tariff income. Tariff income shall include fixed charges, energy charges, minimum charges and other charges as may be specified by the Commission for different Consumer categories".

उनकी ओर से टैरिफ निर्धारण विनियम 2015 के विनियम 42.1 के हवाले से कथन किया गया है कि टैरिफ विनियम चार्जेस का उद्देश्य डिस्काम की स्थाई लागत की गारंटी के साथ वसूली है और यह उपभोक्ता श्रेणी के अनुसार संविदा मांग के प्रति के.व्ही.ए. के लिए निर्धारित युनिट्स की मात्रा के आधार पर माननीय आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार बिल किए जावेंगे चाहे वर्ष के दौरान कोई विद्युत खपत की गई हो या न की गई हो TMM चार्ज टैरिफ का एक भाग है और स्थाई लागत के रूप में वसूला जाता है।

5. अनावेदकों की ओर से नेट मीटरींग विनियम 2015 के विनियम 8 का हवाला देते हुए कथन किया गया है कि विनियम 8 नेट मीटरींग संयोजनों की बिलिंग निर्दिष्ट करता है और इसके विनियम 8(3) में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि ऐसे प्रकरणों में जहां किसी माह में विद्युत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा पात्र उपभोक्ता के नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा से अधिक हो, पूर्व बिलिंग अवधियों के बकाया मसमबजतपबपजल बतमकपज इंसंदबम को हिसाब में लेने के बाद नेट विद्युत खपत के लिए बिल जारी करेगा। इससे स्पष्ट है कि आवेदिका के सौर संयंत्र से उत्पादित के लिए डिस्काम बिल जारी नहीं कर सकता है और ऐसे सौर युनिट्स को उपभोक्ता द्वारा ग्रिड से सकल आयातित युनिट्स में से घटाना/समायोजित करना आवश्यक है।

6. आवेदिका के तर्क कि सौर संयंत्र की स्थापना के बाद उनके संयोजन पर अतिरिक्त TMM बिलिंग की गई है, जिससे उन्हें वित्तीय कठिनाई हुई है, के संबंध में अनावेदकों की ओर से अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 की अवधि की गणना प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार इस अवधि में सौर उत्पादन से आवेदिका को लगभग 2,43,314/— रू. का लाभ नेट मीटरींग संयोजन के अंतर्गत प्राप्त हुआ है।

7. उभयपक्षों द्वारा अपने अपने पक्ष में किए गए कथनों/तर्कों की विवेचना में सर्वप्रथम नेट मीटरींग विनियम के विनियम 8 का अवलोकन किया गया जिसको इस आदेश के पूर्व पैरा 4(ब)(21) में उद्धृत किया गया है। इसके विनियम 8(9) और 8(6) से अनावेदकों के कथन की पुष्टि होती है। विनियम 8(3) में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि उन प्रकरणों में जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा पात्र उपभोक्ता के नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से उत्पादित विद्युत की मात्रा से अधिक हो, तब वितरण अनुज्ञप्तिधारी शुद्ध विद्युत खपत (Net Electricity Consumption) के लिए बिल जारी

करेगा। अब चूंकि शुद्ध विद्युत खपत के लिए बिल जारी किया जा रहा है तो निःसंदेह इस शुद्ध खपत पर ही टैरिफ आदेश के TMM बिलिंग के प्रावधान लागू होंगे ना कि ग्रिड से सकल आयातित युनिट्स (Gross Imported Units from Grid) पर। यदि आवेदिका का तर्क मान्य किया जावे तो उस स्थिति में जब सौर संयंत्र से उत्पादित विद्युत की मात्रा ग्रिड से ली गई विद्युत की मात्रा के बराबर या उससे अधिक हो और ग्रिड से ली गई विद्युत की मात्रा लागू TMM खपत की सीमा से अधिक हो, तो वास्तव में उपभोक्ता को कोई बिलिंग की ही नहीं की जाएगी और ऐसी स्थिति में वितरण अनुज्ञप्तिधारी की स्थाई लागत की वसूली कभी नहीं हो पाएगी।

14. स्थापित विधि एवं लागू नियमों / विनियमों / नीतियों / विद्युत अधिनियम के आधार पर प्रकरण में की गई उक्त विवेचना से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए गए :—

(अ) <u>संविदा मांग में वांछित कमी</u> :—

1. आवेदिका को दिया गया नेट मीटरींग कनेक्शन माननीय आयोग द्वारा अधिसूचित नेट मीटरींग विनियम 2015 से विनियमित होता है ।

2. नेट मीटरींग रेगुलेशन 2015 के विनियम 6 के प्रावधानों के अवलोकन पश्चात् लोकपाल का अभिमत है कि म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के संबंधित उपबंधों के अन्तर्गत अपीलार्थी उपभोक्ता की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति हेतु 120 के.व्ही.ए. / 108 कि.वा. के उच्च दाब नेट मीटरींग संयोजन के लिए अनुमति प्रदान की गई है उन्हीं उपबंधों को संरेखित करते हुए उसी परिसर में समान परिमाण की विद्युत आवश्यकता के समायोजन के लिए नेट मीटरींग व्यवस्था के अन्तर्गत निजि / स्व—उपयोग हेतु स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है। इन उपबंधों के अनुसार ही स्वीकृत संविदा भार के बराबर ही हो सकती है। इस निष्कर्ष के आधार पर आवेदिका की ओर से प्रस्तुत तर्क कि इस विनियम में यह उल्लेख नहीं है कि सौर संयंत्र की क्षमता उपभोक्ता की संविदाकृत मांग से कम होनी चाहिए, विधिसंगत नहीं पाया जाता है और इसे अस्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

3. नेट मीटरींग रेगुलेशन 2015 के विनियम—2 'परिभाषाएं' के 2(j) में 'पात्र उपभोक्ता' की दी गई परिभाषा से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि नेट मीटरींग व्यवस्था के अन्तर्गत किसी उपभोक्ता के परिसर में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की अधिकतम क्षमता उसकी पूर्ण विद्युत आवश्यकता अर्थात् स्वीकृत संविदाकृत भार के बराबर ही हो सकती है प्राप्त

किए गए इस निष्कर्ष के आधार पर आवेदिका का इस संबंध में प्रस्तुत तर्क विधिसंगत नहीं पाया जाता है और इसे अस्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

4. नेट मीटरींग रेगुलेशन 2015 के दिनांक 03.02.2017 को अधिसूचित प्रथम संशोधन के अनुसार विनियम 2 **'परिभाषाएं'** के **2(q)** में **'परिसर'** की दी गई परिभाषा की परिसरों के प्रयोजन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना आनुषंगिक होना चाहिए न कि प्रधान गतिविधि, से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि इस प्रावधानित शर्त के पालन के लिए उपभोक्ता परिसर में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की अधिकतम क्षमता अनिवार्य रूप से उपभोक्ता की स्वीकृत संविदा मांग के बराबर होनी चाहिए। प्राप्त किए गए इस निष्कर्ष के आधार पर आवेदिका का इस संबंध में प्रस्तुत तर्क विधिसंगत नहीं पाया जाता है और इसे अस्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

5. नेट मीटरींग रेगुलेशन 2015 के विनियम 7 में के प्रथम भाग, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र (Network) से अन्तर्संयोजन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के इस संबंध में जारी विनियम के तकनीकी मापदण्डों के अनुसार किया जाना प्रावधानित है। चूंकि अनावेदकों द्वारा इस संबंध में लिखित में पुष्टि की है कि उनके द्वारा के.वि.प्रा. द्वारा 2019 में जारी संशोधित विनियम में निर्दिष्ट तकनीकी प्रावधानों के अनुसार ही ग्रिड से अन्तर्संयोजन किया जा रहा है और आवेदिका की ओर से भी इसका कोई विरोध नहीं किया गया है, अतः इसमें कोई विवाद नहीं है।

6. ग्रिड से अन्तर्संयोजन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता की निःसंदेह एक महत्वपूर्ण भूमिका हैं। ऐसी स्थिति में जबकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित Central Electricity Authority (Technical Standards for connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2019 में उपभोक्ता की नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र से अर्न्तसंयोजन के लिए तकनीकी मापदण्ड विनिर्दिष्ट किए गए हैं किन्तु जैसा कि उभयपक्षों ने कथन किया है कि इसमें संविदाकृत भार और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की उत्पादन क्षमता के मध्य कोई विशिष्ट संबंध नहीं दर्शाया गया है, तब अनावेदकों द्वारा नेट मीटरींग व्यवस्था के अन्तर्गत स्थापित की नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की अनुज्ञेय अधिकतम क्षमता का निर्धारण नेट मीटरींग रेगुलेशन 2015 के विनियम 7 के दूसरे भाग यथा "Until such time……." के अनुसार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। इस विनियम के इस भाग के प्रावधान अनुसार उपभोक्ता की न नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तन्त्र से

अर्न्तसंयोजन संविदाकृत भार के लिए तथा उसको तत्संबंधी लागू वोल्टेज स्तर पर अथवा इस प्रणाली की क्षमता संविदाकृत भार से कम होने पर उपभोक्ता के तत्संबंधी लागू वोल्टेज स्तर पर किया जाना है। प्राप्त किए गए इस निष्कर्ष के आधार पर आवेदिका का इस संबंध में प्रस्तुत कथन/तर्क विधि संगत नहीं पाया जाता है और इसे अस्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

7. म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2010 के विनियम 11.2 सहपठित प्रोत्साहन नीति 2006 की कण्डिका 14 में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत प्राप्त कर रहे वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत उपभोक्ताओं की संविदा मांग में कमी की अनुमति दिया जाना प्रावधानित है किन्तु प्रोत्साहन नीति 2006 की प्रभावशील अक्टोबर 2011 में समाप्त हो जाने से यह अपीलार्थी को 2019 में दिए गए नेट मीटरींग कनेक्शन पर लागू नहीं है।

8. उपरोक्त के अलावा भी प्रोत्साहन नीति 2006 की कण्डिका–14 के प्रावधान संविदाकृत भार को उस सीमा तक कम किए जाने की सहमति प्रदान करते हैं जहां उपभोक्ता अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत से उत्पादित पूर्ण विद्युत का उपयोग करे जो कि तभी संभव है जब विद्युत उत्पादन की अधिकतम क्षमता उसके संविदाकृत भार के बराबर या उससे कम हो। प्राप्त किए इस निष्कर्ष के आधार पर आवेदिका का इस संबंध में प्रस्तुत कथन/तर्क विधि संगत नहीं पाया जाता है और इसे अस्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

9. म.प्र. राज्य की विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की नीति 2016 की कण्डिका–2 'Definition' की उप–कण्डिका 4 में **'नेट मीटर्ड उपभोक्ता'** की दी गई परिभाषा से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि उपभोक्ता द्वारा अपनी पूर्ण या आंशिक विद्युत आवश्यकता अर्थात् पूर्ण संविदाकृत भार या इसके अंश के समायोजन के लिए स्थापित की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की अधिकतम क्षमता संविदाकृत भार के बराबर ही हो सकती है।

   इसी कण्डिका–2 की उप कण्डिका (m) में **'परिसर'** की दी गई परिभाषा से, जिसमें प्रावधानित है कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना परिसर के आनुषंगिक होगी न कि परिसर की प्रधान गतिविधि, यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि ऐसी ऊर्जा प्रणाली

की अधिकतम क्षमता संविदाकृत भार के बराबर ही हो सकती है क्योंकि इससे अधिक क्षमता होने पर इस प्रणाली की प्रकृति आनुषंगिक से प्रधान गतिविधि में परिवर्तित हो जाएगी जो वैधानिक प्रावधान के प्रतिकूल होने से अनुज्ञेय नहीं की जा सकती है। प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर आवेदिका की ओर से प्रस्तुत तर्क विधि संगत नहीं पाया जाता है और इसे अस्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

(ब) <u>टैरिफ मिनिमम प्रभारों की बिलिंग :</u>

की गई विवेचना से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि नेट मीटर्ड संयोजनों की बिलिंग नेट मीटरींग विनियम 2015 के विनियम 8(3) से विनियमित होती है और इस विनियम के अनुसार उपभोक्ता को की जाने वाली बिलिंग शुद्ध विद्युत खपत (Net Electricity Consumption) के लिए की जावेगी और इसी शुद्ध विद्युत खपत पर ही TMM युनिट्स की गणना की जावेगी। इस निष्कर्ष के आधार पर जहां अनावेदकों द्वारा TMM युनिट्स की गणना के लिए अपनाई गई प्रक्रियां विधिसंगत पाई जाती है, वही आवेदिका का तर्क विधि अनुरूप नहीं होकर स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है और इसे अस्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

15. <u>निर्णय</u>

प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/तर्कों/साक्ष्यों की संबंधित नियमों/विनियमों/नीतियों के प्रावधानों के अनुसार की गई विवेचना तथा इसमें प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवेदिका अपीलार्थी श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, राईट टाउन, जबलपुर की अपील अस्वीकार करने और फोरम के आदेश दिनांक 31.12.2019 को यथावत् रखे जाने का निर्णय पारित किया जाता है।

इस निर्णय के साथ ही प्रकरण निराकृत होकर समाप्त होता है।

उभय पक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ उभय पक्षकार एवं फोरम अलग से सूचित हों और फोरम का अभिलेख वापिस हो।

विद्युत लोकपाल